लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation ... Fumigated ... Parliament Library

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23—गुरुवार, 16 सितम्बर, 1965/25 भाद्र, 1887 (शक)

No. 23—Thursday, September 16, 1965/Bhadra 25, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
659	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की विदेश यात्रा	Tours abroad by Central Government Officers . . .	2289–92
660	कृन्तक नियंत्रण समिति	Rodent Control Committee . .	2292–94
661	फिलेरिया, मलेरिया और हाथीपांव रोगों का उन्मूलन	Eradication of Filaria, Malaria and Elephantiasis . . .	2294–97
663	कृषि शिक्षा	Agricultural Education . .	2297–2302
664	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	National Health Insurance Scheme	2302–04
665	चतुर्थ वित्त आयोग	Fourth Finance Commission .	2304–06
666	जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation .	2307

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.			
662	सरकारी उपक्रमों में लागत कम करने के अनुभाग	Cost Reduction Cells in Public Undertakings . . .	2308
667	प्रत्यक्ष कराधान नियमों का नर्म किया जाना	Liberalisation of Direct Taxation Rules	2309
668	दिल्ली में सरकारी क्वार्टर	Government Quarters in Delhi .	2300
669	सिन्ध जल आयोग संबंधी संहिता	Code for Indus Waters Commission	2310
670	बैंकों तथा साहूकारों पर रोक	Curbs on Banks and Financiers .	2310
671	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकानों की बिक्री	Disposal of flats built by D.D.A. .	2310
672	महंगाई भत्ता सूत्र	Dearness Allowance Formula .	2311
673	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा	Medical Education . . .	2311
674	मैसर्स स्कोडा एण्ड कम्पनी	M/s. Skoda and Co. . . .	2311

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
675	नेफा में डाक्टरों की नियुक्ति	Posting of Doctors in NEFA	2312
676	राज्यों को दिये गये ऋणों पर व्याज	Interest on Loans to States .	2312–13
677	सहकारी बैंकों के लिये जमा बीमा योजना	Deposit Insurance Scheme for Cooperative Banks . .	2313
678	विदेशी मुद्रा रैकेट	Foreign Exchanges Rackets .	2313
679	नर्मदा नदी परियोजना सम्बन्धी खोसला समिति का प्रतिवेदन	Khosla Committee Report on Narmada River Project . .	2313–14
680	बम्बई में फर्मों पर छापे	Raids on Business Houses in Bombay	2314–15
681	खाद्य अपमिश्रण रोक के सम्बन्ध में राज्य स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन	Health Ministers' Conference on Prevention of Food Adulteration	2315
682	विदेशी मुद्रा का संकट	Foreign Exchange Crisis	2315–16
683	विदेशी ऋण	Foreign Loans . .	2316
684	निर्यात पर कर-समंजन	Tax Credits on Exports .	2316
685	पेंशन, उपदान तथा भविष्य निधि के भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया का सरल बनाया जाना	Simplification of payment of Pensions, Gratuity and Provident Fund Procedure . . .	2317
686	बम्बई में आयात निर्यात करने वाली एक फर्म पर छापे	Raid on Import-Export Firm in Bombay	2317
687	समवायों के कार्यों में गड़बड़ियां	Malpractices in Companies' Affairs	2317–18
688	दिल्ली नगर निगम के नलों के जल में कीड़े	Insects in Tap Water of D.M.C. .	2318

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2230	एर्नाकुलम जिले में नहर	Canal in Ernakulam District	2318
2231	चम्बाकारा नहर	Chambakkara Canal . .	2318–19
2232	केरल में पीने के पानी की कमी	Drinking Water Scarcity in Kerala	2319
2233	केरल के पिछड़े हुए जिले	Backward Districts of Kerala	2319
2234	कर्मचारी निरीक्षण एकक	Staff Inspection Union . .	2319–20
2235	महाराष्ट्र में जल सम्भरण योजनायें	Water Supply Schemes in Maharashtra	2320
2236	महाराष्ट्र में पीने के पानी की योजनायें	Drinking Water Schemes in Maharashtra	2320–21
2237	श्रीलंका को सहायता	Aid to Ceylon	2321
2238	सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान के लिये मार्ग-दर्शक सिद्धान्त	Guidelines for Social Science Research	2321–22
2239	दो रुपये के नये नोट	New Two Rupees Notes	2322

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2240	मद्रास राज्य में ग्रामीण जल सम्भरण परियोजनायें	Rural Water Supply Projects in Madras State . . .	2322
2241	मद्रास राज्य में कोढ़ उन्मूलन	Leprosy Eradication in the Madras State	2322-23
2242	मद्रास राज्य में परिवार नियोजन	Family Planning in Madras State .	2323
2243	कावेरी से बिजली बनाना	Power Generation from Cauvery	2323
2244	मद्रास में ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme in Madras	2324
2245	केरल में विद्युत् परियोजनायें	Power Projects in Kerala . .	2324
2246	बागमती योजना	Bagmati Scheme . . .	2324
2247	पंजाबी सूबा आन्दोलन में पेंशनरों का भाग लेना	Pensioners' participation in Punjabi Suba Agitation . .	2324-25
2248	सामान्य अंशों (ईक्विटी) में पूंजी लगाना	Equity Investment . . .	2325
2249	चित्तौनी-बांध	Chitauni Bund	2325-26
2250	बिहार में सोन बांध	Sone Barrage in Bihar . .	2326
2251	उत्तरी कोइल नदी पर ऊंचा बांध	High Dam on the North Koel River (Bihar) . . .	2326-27
2252	दिल्ली में अस्पताल में मरी महिला की हड्डी में लोहे का टुकड़ा	Iron Piece in Woman bone who died in Delhi Hospital . .	2327
2253	दिल्ली में मकान	Houses in Delhi .	2327-28
2254	दामोदर घाटी निगम	D.V.C.	2328
2255	अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi .	2328-29
2256	राज्य सरकारों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to State Governments	2329
2257	इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली	Irwin Hospitals, New Delhi .	2329
2258	हैजा	Cholera	2330
2259	तापीय बिजली घर का डिजाइन बनाना	Designing of Thermal Power Stations	2331
2260	अंग्रजों की प्रतिमायें	Statues of Britishers . .	2331
2261	आयकर कर्मचारी	Income-tax Employees . .	2331-32
2262	राज्यों में उद्योग का विकास	Development of Industries in States	2332
2263	तुंगभद्रा नहर	Tungabhadra Canal . . .	2332
2264	दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Delhi . .	2333
2265	राजस्थान में आवास सर्वेक्षण	Housing Survey in Rajasthan .	2333
2266	जोधपुर बैंक	Jolhpur Bank	2334
2267	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	2334
2268	सिगरेट पीना	Smoking of cigarettes . .	2334

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2269	फरीदाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	C.P.W.D. Employees at Faridabad	2334–35
2270	राष्ट्रीय बचतों में निगमित क्षेत्र का योग	Corporate Sector's share in National Savings . . .	2335
2271	राणा प्रताप सागर बांध	Rana Pratap Sagar Dam . .	2335
2272	बाढ़ों को रोकने के लिये रूसी परियोजना	U.S.S.R. Project to check Floods	2336
2273	आय-कर अधिकारी	Income Tax Officers . .	2336
2274	कनिष्ठ तकनीकी स्कूल	Junior Technical Schools .	2336
2275	भूमि सुधार	Land Reforms .	2337
2277	नगरों का वर्गीकरण	Classification of Cities . .	2337
2278	नगरों के स्थानीय निकायों के वित्तीय साधन	Financial Resources of Urban Local Bodies	2337
2279	भारत सरकार के मुद्रणालयों में बेकार पड़ी मशीनरी	Machinery lying idle in Government of India Presses . .	2337–38
2280	कलकत्ता ट्रामवेज़ कम्पनी लिमिटेड	Calcutta Tramways Company Ltd.	2338
2281	कलकत्ता ट्रामवेज़ कम्पनी लिमिटेड	Caluttta Tramways Company Ltd.	2339
2282	तापीय बिजली घर	Thermal Power Stations . .	2339–40
2283	केन्द्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क का नवीन निदेशालय	New Directorate of Central Excise and Customs . . .	2340
2284	केरल भूमि सुधार अधिनियम	Kerala Land Reforms Act .	2340–41
2285	नानकपुर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर	Government Quarters in Nanakpury, New Delhi . . .	2341
2286	ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरें	Electricity Rates in Rural Areas	2341–42
2287	इन्द्रप्रस्थ बिजली घर (नई दिल्ली) में आग लगाना	Fire in the Indraprastha Power Station, New Delhi . .	2342
2288	केरल के तटीय क्षेत्रों में ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें	Rural Water Supply Schemes in the Central Area of Kerala .	2342
2289	कलकत्ता तथा अन्य बड़े नगरों के लिये जल सम्भरण तथा जल विकास योजना	Water Supply and Drainage Scheme for Calcutta and other big cities	2343
2290	नई दिल्ली में क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quaters in New Delhi	2343
2291	राज्यों में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Central Officers in States	2344–44
2292	गंडक परियोजना	Gandak Project . . .	2344
2293	पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में राज्यों के लिये आवंटन	Allocation to States during 1st, 2nd and 3rd Plans . .	2344–45

अता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2294	समुद्र द्वारा तट-कटाव सम्बन्धी बोर्ड	Sea Erosion Board . . .	2345
2296	रद्दी ऊन और ऊनी चिथड़ों पर सीमा शुल्क	Customs Duty on Wool Waste and Rags	2345
2297	सफदरजंग अस्पताल	Safdarjang Hospital . . .	2345-46
2298	बैंक आफ चाइना के भूतपूर्व कर्मचारी	Former Employees of Bank of China	2346
2299	सिंचित भूमि	Irrigated Land . . .	2346
2300	मुद्रण तथा लेखनसामग्री विभाग में अनियमितताएं	Irregularities in Department of Printing and Stationery . .	2346-47
2301	असम में बारक नदी परियोजना	Barak River Project in Assam .	2347
2302	मलेरिया उन्मूलन	Malaria Eradication . . .	2347-48
2303	रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर	Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi	2348
2304	केन्द्रीव सरकार के कर्मचारियों को शिक्षण शुल्क का प्रतिशोधन	Reimbursement of Tuition Fees to Central Government Employees	2348
2305	नेफा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सैक्शनल आफिसर	C.P.W.D. Sectional Officers in NEFA	2348-49
2306	विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण	Health Survey of Students .	2349
2307	स्टेट बैंक आफ इंडिया के निदेशक	Directors of State Bank of India.	2349
2308	दिल्ली में भीषण जल संकट	Water Famine in Delhi .	2349-50
2309	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad	2350
2310	विदेशी ऋणों का भुगतान	Repayment of Foreign Loans .	2350-51
	सभा-पटलपर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	2351
	संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य	Statement re: Discussion with Secretary-General of U.N.	
	श्री लाल बहादुर शास्त्री	Shri Lal Bahadur Shastri .	2351-54
	गोवा, दमण और दीव (समानिष्ट कर्मचारी) विधेयक—पुरःस्थापित	Goa, Daman and Diu (Absorbed Employees) Bill—Introduced .	2356-57
	विधेयक—पारित	Bills Passed—	
	1. केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965	1. Kerala Appropriation (No. 3) Bill, 1965 . .	2357
	2. केरल विनियोग (संख्या 4) विधयक, 1965	2. Kerala Appropriation (No. 4) Bill, 1965 . .	2358

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965	3. Appropriation (No. 3) Bill, 1965	2359–60
4. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965	4. Appropriation (No. 4) Bill, 1965 . . .	2360–61
5. विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1965	5. Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1965 . .	2361–62
6. विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1965	6. Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1965 . .	2362
कोयला खान भविष्य निधी तथा अधिलाभांश योजनायें (संशोधन) विधेयक	Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes (Amendment) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री वारियर	Shri Warior . . .	2363–64
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya . .	2364–65
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti .	2365
श्री शिवचरण माथुर	Shri Shiv Charan Mathur .	2365–66
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	2366–67
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . . .	2367–68
खंड 2 से 15 और 1	Clause 2 to 15 and 1 . .	2369–72
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass, as amended —	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	2372
इलायची विधेयक	Cardamom Bill	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री सें० वें० रामस्वामी	Shri S. V. Ramaswamy .	2372–74
श्री वारियर	Shri Warior .	2374–75
श्री अ० शं० आल्वा	Shri A. S. Alva . .	2375
श्री मलाइछामी	Shri M. Malaichami .	2376
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	2377
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . .	2377–78
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney . . .	2378
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf .	2378
श्री सिद्धनंजप्पा	Shri Siddananjappa .	2378–79
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	2379
श्री बालकृष्णन	Shri Balakrishnan . .	2379
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki .	2379
श्री म० प० स्वामी	Shri M. P. Swamy . .	2380
श्री मा० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav .	2380

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
बर्ड एण्ड कम्पनी के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour discussion re: Bird and Co.	
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy .	2380-81
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat .	2382-83

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 16 सितम्बर, 1965/25 भाद्र, 1887 (शक)
Thursday, September 16, 1965/Bhadra 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Ten of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Tours abroad by Central Government Officers

+

***659. Shri Bibhuti Mishra :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri K. N. Tiwary : **Shri A. N. Vidyalankar :**
Shri Indrajit Gupta : **Shri Shinkre :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Central Government officers who went abroad on official visits during the period from 1st January, 1964 to 15th August, 1965 and the names of countries visited by them;

(b) the purpose of their visit; and

(c) the expenditure involved including the foreign exchange component?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). The information is being collected from the various Ministries and Departments and will be laid on the Table as soon as it is available.

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister in his answer has just now stated that information is being collected and it will be laid on the table of the House as soon as it is available. May I know whether the embassies, Commercial Attaches and other allied offices that we have in foreign countries are not enough so as to necessitate other officers being sent abroad by the Government ?

Shri B. R. Bhagat : They are not enough that is why we are sending the officers from here.

Shri Bibhuti Mishra : May I know as to how many officers have been sent abroad on political, trade or cultural considerations and to what extent they have been successful?

Shri B. R. Bhagat : It will be difficult to make an estimate of it now but I may state that any delegation which is sent abroad, it may consist of one person or two persons, or it may be of the level of minister and sometimes it is of the level of Prime Minister, it is seen and investigated whether it is necessary to send this delegation abroad.

Shri Bibhuti Mishra : Deputy Speaker, Sir, I had asked about the extent of success they have met but it has not been answered by the hon. Minister.

Shri B. R. Bhagat : I have stated that it is difficult to make an estimate of it.

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की विदेश यात्राओं के परिणामों को निर्धारण करने के लिये कोई व्यवस्था है क्योंकि हम मूल्यवान विदेशी मुद्रा इस पर व्यय कर रहे है ? यदि नहीं तो क्या परिणामों को निर्धारण के लिये व्यवस्था करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैने कहा इन प्रतिनिधिमण्डलों की विभिन्न स्तरों पर और कभी कभी उच्चतम स्तर पर भी जांच की जाती है । जब यह अधिकारी प्रतिनिधिमण्डलों में या व्यक्तिगत रूप में जाते है तो वे वापिस आने पर अपनी उपयोगिता के बारे में रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट के स्वरूप और महत्व को देख कर इस को सम्बन्धित मंत्री या मंत्रिमण्डल के सम्मुख रख दिया जाता है ।

Shri Sidheshwar Prasad : As the hon. Minister has just now stated that the visits of the officers to the foreign countries have been quite successful and it is necessary to improve the relations with other countries. May I know whether Government is considering to send more delegations to those countries with-which our relations are not cordial enough or with whom our relations need improvement ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

श्री शिकरे : इस प्रश्न का सम्बन्ध गत 1½ वर्ष से है अर्थात् 1 जनवरी, 1964 से अगस्त 1965 तक । फिर मन्त्री महोदय ने यह कैसे कह दिया कि सूचना अभी एकत्र की जा रही है । क्या यह सूचना इस सारी अवधि के लिये एकत्र की जा रही है अथवा उन्होंने सूचना तो एकत्र कर ली है परन्तु कुछ ब्योरे अभी एकत्र करने हे और यदि हां तो उन्हें यह सूचना सभा को देने में क्या बाधा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शिकरे : गत वर्ष के बारे में क्या है. क्या उसके लिये भी सूचना अभी एकत्र की जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत है कि देश के लगभग सभी समाचार-पत्रों ने इस बात पर टीका टिप्पणी की है कि 1965 की ग्रीष्म ऋतु में मंत्रियोंकी अभिलेख संख्या विदेशों की यात्रा पर गई थी ? स्वाभाविक है कि जब व विदेश यात्रा पर जाते है तो अपने साथ अपने विभाग के अधिकारी भी ले जाते हैं । हमें यह बताया गया है कि विशेषकर इस वर्ष विदेशी मुद्रा की अपूर्व संकट है । क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय इन दो तथ्यों को कैसे आपस में मिलायेंगे या कि मन्त्रियों को अपने साथ विदेशों में अधिकारियों की कोई भी संख्या ले जाने की आज्ञा है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक मन्त्रियों की यात्रा के समय का प्रश्न है उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है । संसद की बैठक वर्ष में सात महीने तक होती है और अध्यक्ष महोदय की संव्यवस्था के

अनुसार उस समय कोई मंत्री स्टेशन छोड कर नहीं जा सकता। वे केवल गर्मी के महीनों में, बड़े दिनों में या दूसरे समय में बाहर जाते हैं। मेरा विचार है कि किसी को उन की यात्रा के समय के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। जहां तक अधिकारियों को साथ ले जाने का प्रश्न है उनकी न्यूनतम संख्या ही साथ जाती हैं। कभी कभी मंत्रिमण्डल के मन्त्री अपने साथ निजी सचिव ले जाते हैं इसलिये किसी दूसरे व्यक्ति को साथ ले जाने की आज्ञा नहीं है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the visits of those ladies, which go as Private Secretaries to officers, are also in the interest of India?

Shri B. R. Bhagat : I do not have any such information.

Shri Hukam Chand Kachhaviya : The hon. Minister has just now stated that when the officers in our embassies abroad or in other departments are unable to do the work only then we send officers from here. . . . .

Shri B. R. Bhagat : I did not ask this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : You have just now said something like that in your statement. I would like to know whether any steps are being taken by the Government to improve the working of those officers who are unable to work or officers are sent from here only on the receipt of their negative reply?

Shri B. R. Bhagat : I did not say that they are not able to do the work. I simply said that when officers are sent from here all these things are taken into consideration whether the officers there in the embassies will be able to do the work or it is necessary to send some officers from here and when it is considered necessary to send officers from here only then they are sent.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ ओर से कुछ इस प्रकार की शिकायत आई है कि कुछ मामलों में प्रतिनिधिमण्डल भेजते समय कुछ अधिकारी जो इस काम के योग्य नहीं होते वे अपनी सैयचाल से योग्य और ज्येष्ठ अधिकारियों को टाल देते हैं और स्वयं विदेश यात्रा पर इन प्रतिनिधि-मंडलों में चले जाते हैं?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने कहा इन प्रतिनिधिमंडलों की बड़ी सावधानी से जांच की जाती है। इसलिये इसके बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री जोकिम आल्वा : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने अधिकारियों के साथ उन की औरतें भी जाती हैं। यदि वे सरकारी कार्य पर एकत्र जाते हैं तो कितने अधिकारियों की औरतें उनके बाद उन के पीछे जाती हैं और जब उन के जवान बच्चे उनके पीछे विदेशों में जाते हैं जिनको बाद में उन्हीं देशों से छात्र-वृत्तियां मिलती हैं।

श्री ब० रा० भगत : किसी भी अधिकारी के साथ उस की औरत नहीं जाती जब कि वह अधिकारी किसी प्रतिनिधिमंडल के साथ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें दूसरे प्रश्न को लेना चाहिये। सूचना एकत्र की जा रही है। मुझे एक प्रश्न की भी आज्ञा नहीं देनी थी परन्तु मैंने बहुत से प्रश्नों की आज्ञा दे दी है।

श्री रंगा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री वेंकटासुब्बया के इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या प्रतिनिधिमण्डलों के साथ भेजने के लिये अधिकारी बिना उचित बारी के और वरिष्ठता के चुने जाते

हैं मन्त्री महोदय ने केवल इतना कहा है कि इस की सावधानी से जांच की जाती है इसलिये इसकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। यह उचित उत्तर नहीं है। सभा मंत्री महोदय से इस बात की आशा करती है कि वह कहेंगे इस के बाद ऐसा नहीं होगा। हम इस बारे में मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह उनकी जांच करेंगे।

श्री रंगा : परन्तु जांच के साथ ही ऐसा हुआ है।

श्री ब० रा० भगत : मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता। जो कुछ मैंने उत्तर में कहा है वह ठीक है। मैंने कहा है कि उन की अच्छी तरह जांच की जाती है इस लिये इस की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। यदि माननीय सदस्य के पास इस का कोई उदाहरण है तो वह बतायें मैं उसकी जांच करूंगा। परन्तु मैं ऐसे अस्पष्ट प्रश्न को स्वीकार नहीं कर सकता।

कृन्तक नियन्त्रण समिति

*660. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने कृन्तक समस्या के संबंध में विचार करने तथा इस समस्या के नियंत्रण के लिये कारगर उपाय करने के लिये एक समिति बनाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी हां। कृन्तक नियंत्रण की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकार ने एक समिति गठित की है। वर्तमान संगठन तथा देश के विभिन्न भागों में कृन्तक नियंत्रण के लिये अंगीकार किये गये साधनों के संबंध में सूचना एकत्र एवं संकलित की जा रही है। यह काम काफी बड़ा है। कृन्तक नियंत्रण के लिये और आगे क्या आवश्यक कदम उठाये जायेंगे इस के बारे में समिति की रिपोर्ट मिलने पर ही विचार किया जा सकता है। समिति सम्भवत: अपनी रिपोर्ट मार्च, 1966 के अंत तक दे देगी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने यह कहा है कि ईश्वर ने जिन्दगी व्यर्थ में नहीं बनाई और उसकी योजना में प्रत्येक जीव को कुछ कार्य करना होता है और प्रकृति उनमें सन्तुलन रखती है और इन्सान को वह सन्तुलन बिगाड़ना नहीं चाहिये। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, यदि हां, तो क्या सरकार रोडन्ट नियंत्रण की ओर कोई भी कदम इस सन्तुलन को बिगाड़ नहीं देगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो दर्शनशास्त्र की बातें कर रहे हैं।

स्वाथ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : इस विषय पर विचार विमर्श करने का मेरा कोई ईरादा नहीं है। जो कुछ इस समय मैं कह सकती हूं वह यह कि रोडन्ट से फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है, कि इस से इन्सानी जिन्दगी को भी खतरा है इस लिये हमें इन को नियन्त्रण में लाने के लिय कुछ न कुछ करना है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : देश में रोडण्ट की कुल कितनी संख्या है इस का कुछ अनुमान लगाया गया है ?

श्री पू० शे० नास्कर : देश में रोडण्ट की कुल संख्या मालूम करना बड़ा कठिन है। अभी मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेषज्ञ को मिला था उस ने भी यही बताया था कि देश के किसी एक क्षेत्र में

रोडण्ट की संख्या जानना बहुत कठिन है। राष्ट्रीय छुआछूत बिमारी की संस्था ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिस में कहा गया है कि देश में रोडण्ट की संख्या इन्सानों की संख्या से छः गुना है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या समाचार पत्र में प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट में कुछ सचाई है,—शायद यह रिपोर्ट राष्ट्रीय संस्था की ओर से प्रकाशित की गई है, कि देश में 50,000 लाख चूहे हैं ? यदि आंकड़े इस से भिन्न हैं तो भी क्या यह सच है कि चूहों की बहुत जल्दी संख्या बढ़ गई है यह या तो इसलिये कि बिल्लियां सुस्त, आराम पसंद, या अहिंसावादी हो गई हैं या फिर वे चूहों की संख्या के साथ अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकीं हैं ? यदि हां तो क्या समिति को बिल्लियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करने के लिये कहा गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी समिति का प्रश्न बीच में कैसे आता है ?

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सरकार ने एक समिति बनाई है, क्या वह समिति केवल चूहों और ऐसे ही दूसरे जन्तुओं या बिल्लियों के विषय में भी जांच करेगी ?

डा० सुशीला नायर : मैं प्रश्न को नहीं समझ सकी हूं। चूहों की संख्या का अनुमान.....

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रश्न सुना नहीं है इस लिये क्या मैं फिर कहता हूं ? शायद उनका ध्यान इस ओर नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री हरि विष्णु कामत : अभी अभी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि हमारे देश में चूहों की संख्या लगभग 50,000 लाख है। यदि यह आंकड़े कुछ भिन्न भी हों तो क्या यह सच है कि चूहों की संख्या बहुत जल्दी दुगनी चौगुनी हो गई है क्योंकि बिल्लियां सुस्त, आराम पसन्द और हो सकता है कि अहिंसावादी हो गई हों या बिल्लियां चूहों की संख्या के साथ अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकी हैं ? यदि हां तो क्या सरकार कि बिल्लियों के बारे में भी कोई योजना है ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक चूहों की संख्या के अनुमान का संबंध है यह लगभग 24,000 लाख हो सकती है। हो सकता है मनुष्य गणना की तरह यह बिल्कुल ठीक संख्या न हो फिर भी यह उचित अनुमान ही है। चूहों की गणना के कुछ तरीके हैं जैसा कि चूहों की मेंगनों से या उन के बिलों को, एक तरफ से बन्द कर के उसमें गैस लगा कर गिनती करना। जहां तक चूहों और बिल्लियों में तुलना का सम्बन्ध है मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। हमारे पास बिल्लियों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. member Shri Kamath has just now stated that cats should catch the rats in homes. May I know what Government is doing for those rats which live in our fields and harm the crops?

Dr. Sushila Nayar : This discussion is only about those rats.

Shri K. N. Tiwary : The hon. minister has given some figures of the rats. May I know how Government has counted them?

Dr. Sushila Nayar : I have just now stated, perhaps hon. member was not attentive at that time, that there are certain methods for their counting, like counting of rat droppings, closing rat holes at one end and counting the number of rats in that hole after cynagassing them.

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार दक्षिण में हाथीपांव की बढ़ती हुई बिमारी से अवगत है ?

श्री भागवत झा आज़ाद : इस का सम्बन्ध दूसरे प्रश्न से है ।

श्री दी० चं० शर्मा : चूहों का उन्मूलन करते हुए क्या हम नर-चूहों और मादा-चूहों में सम्यक अनुपात या संतुलन रख रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्तिः । श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ : मन्त्री महोदय के कहने के अनुसार क्योंकि चूहों की संख्या बहुत जल्दी दुगनी, चौगनी हो रही है क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के पास चूहों में परिवार नियोजन लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्तिः शान्तिः । श्री बेरवा ।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether Pakistani rats are crossing the border between India and Pakistan?

Mr. Deputy Speaker : Shri Kapur Singh.

श्री कपूर सिंह : प्रश्न के भाग (क) का उपसंहार अंश अनुपूरक प्रश्न के लिये सिद्ध करता है कि क्या इस प्रभाव में सार है कि इस समिति को धरती में चूहों के वास्तव उन्मूलन का काम सौंपा गया है । या कि समिति केवल इस बारे में रिपोर्ट देगी कि इस कार्य को कैसे किया जाये ?

डा० सुशीला नायर : समिति इस बारे में रिपोर्ट देगी कि समस्या किस हद तक है और इस सुझाव देगी की इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से कैसे निपटा जा सकता है । हम समिति से यह आशा नहीं कर सकते कि वह नियंत्रण योजना को कार्यान्वित करेगी ।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : क्या समाचार पत्र में प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट में कोई तथ्य है कि चूहा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत सी नगर समितियों की तरफ से जो खर्च किया गया है उस का हिसाब एक चूहे पर 100 रूपया निकलता है ।

डा० सुशीला नायर : इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मेरी प्रार्थना है कि हमारे पास और बहुत से आवश्यक प्रश्न हैं । इस विषय पर काफी प्रश्न हो चुके हैं ।

Eradication of Filaria, Malaria and Elephantiasis

+

*661. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) Whether a programme has been launched to eradicate Filaria and Elephantiasis along with the programme of eradicating Malaria at certain places;

(b) if so, the names of places and the progress made;

(c) the definite cure for Filaria and Elephantiasis and why the same has not been propagated among the people;

(d) the amount allocated for this purpose in the Fourth Plan; and

(e) whether any assistance is likely to be received from abroad for the purpose?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No, Sir. Filariasis does not lend itself to eradication according to a scheduled programme as does Malaria. However, the National Filaria Control Programme has been undertaken in certain States/Union Territories on a pilot basis since the end of 1955 with the following objectives:

(i) Carrying out filaria survey;

(ii) evaluating the known methods of filariasis control in selected areas; and

(iii) training professional and sub-professional personnel required for the programme.

(b) At present, 65·4 Filaria Control units are functioning. A statement showing the location of control units is placed on the table of the Sabha. **[Placed in the library.** *See* **No. LT-4867/65.]**

There has been definite reduction in transmission of infection in areas where filaria programme has been in operation for 4 or 5 years.

(c) There is no drug known at present which is sure cure for filaria and elephantiasis. The drugs available at present reduce the blood infection considerably but do not cure when the disease has developed and elephantiasis has occurred.

(d) In the proposals for the Fourth Five Year Plan, an outlay of Rs. 14·00 crores has been provisionally recommended for the National Filaria Control Programme.

(e) No.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether Government is doing any research work in our country to invent some medicine for eradication of Philaria and elephantiasis? If not, why? This disease is causing very much harm to India.

The Minister of Health (Shrimati Sushila Nayar) : Research or investigation work has been going on at many places but no effective drug has been invented so far.

Shri M. L. Dwivedi : The statement laid on the Table of the House shows the number of centres and places where they have been opened. They are twenty in Kerala, ten in Uttar Pradesh and eight in Bihar and in remaining States they are either five or one. This does not indicate as to whether the States where more centres have been opened are affected more by Philaria and Elephantiasis? What is the reason for opening more centres in states having less population whereas in others their number is less.

Dr. Sushila Nayar : More centres have been opened at the places where these diseases are more. This disease is there in some districts of Uttar Pradesh and the centres have been opened there. As these diseases are more in Kerala so more centres have been opened there.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि संसद सदस्यों का निरोधक उपचार किया गया था यदि हां तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह कहां तक सफल हुआ था ।

डा० सुशीला नायर : कई सदस्यों में इन रोगों के कीटाणु पाये गये जिन्होंने कृपा कर के हमें आधी रात को भी जांच के लिये अपना रक्त दिया और हमने उन का प्रभावशाली ढंग से उपचार किया । हमारे पास इसके निरोध का यही सर्वोत्तम उपचार है अर्थात् कीटाणुरहित वाहकों का उपचार करना है ताकि वे संक्रमण को न फैला सकें ।

Shri Sheo Narain : Philaria is creating havoc in Gorakhpur and Basti. May I know whether these centres have been opened in those areas also?

Dr. Sushila Nayar : This has been given in the statement. These centres have been opened in Basti and Gorakhpur.

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस का पंजाब में एक भी केन्द्र क्यों नहीं है ? क्या इस का यह अर्थ है कि पंजाब में यह रोग बिल्कुल नहीं है ।

डा० सुशीला नायर : काश कि मैं ऐसा कह सकती कि पंजाब में यह रोग नहीं है । कुछ वर्ष पूर्व तक यह सत्य था परन्तु अनियमित ढंग से नगरों की वृद्धि, बढ़ते हुए रोजगार के अवसर जिस से कि सारे भारत से लोग आकर्षित होते हैं मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इन सब चीजों से फिलेरिया का रोग पंजाब में भी आ गया है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the thon. minister is not aware that in Bihar, particularly in northern Regions of Kosi, diseases like Malaria, Philaria and Elephantiasis etc. have spread in large scale and it is necessary to open more centres to eradicate these diseases?

Dr. Sushila Nayar : Malaria is being eradicated quite effectively. So far as Philaria is concerned I have submitted that few research laboratories and training centres are being run by us in various states and Bihar is also included in them.

Shri Madhu Limaye : May I know why more centres have not been opened in Bihar?

Dr. Sushila Nayar : Keeping in view the resources, we have opened as many centres as we could possibly do at such places wherefrom maximum guidance and benefit can be obtained by our country.

Shri Bade : A very good medicine is available with the tribal people for the cure of Elephatiasis. The hot iron bar is touched on affected part of the body and in this way, I have personally seen, hundreds of cases being cured. May I know whether any investigation has also been made by the Government in respect of such treatments and medicines?

Dr. Sushila Nayar : If the hon. member passes on to me the information in his possession, I shall let him know after making necessary investigation.

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. minister has stated that a number of centres have been opened in various states for the eradication of elephantisis and more centres have been opened in states where this disease is on a large scale. May I know whether investigations have been made to find out the causes of Philaria?

Dr. Sushila Nayar : Yes Sir. We are very well aware of the causes of Philaria. The mosquitoes bite a person suffering from Philaria irrespective of its symptoms, and take away the germs of Philaria and injects them into the body of other healthy persons while biting. This causes Philaria.

श्री श्याम लाल सर्राफ : इस में कोई संदेह नहीं कि मलेरिया निरोधक कार्यक्रम सफल हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि फाइलेरिया और हाथी पांव के रोग के निवारण के लिये भी आवश्यक कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है और यदि हां, तो कितनी जल्दी इस कार्यक्रम को आरम्भ करना सम्भव होगा ?

डा० सुशिला नायर : काश मैं ऐसा कह सकती कि हम फाइलेरिया के निवारण का काम हाथ में ले सकते हैं परन्तु मुझे खेद है कि हम नहीं जानते कि इसको कैसे किया जाये। केवल लाभदायक बात यह है कि हम उचित स्वच्छता और नालों की सफाई का ध्यान रखें ताकि मच्छरों की वृद्धि को रोका जा सके। यह एक बहुत कार्यक्रम है जो कि हमारे वर्तमान साधनों से बाहर है।

Shri A. P. Sharma : The elephantisis is mostly found in some parts of Orissa particularly in the eastern parts. May I know as to why such a centre has not been opened there?

Dr. Sushila Nayyar : There is also a centre.

Shri R. S. Pandey : May I know if the Ministry of Health as conducted a survey as to the states where this disease is mostly found?

Dr. Sushila Nayar : The survey has been conducted and relevant information not only regarding the states but also of districts is available with us.

श्री दे० जी० नायक : दक्षिण गुजरात में मलेरिया और फाइलेरिया के रोग फैले हुए हैं। क्या वहां भी कोई केन्द्र आरम्भ किये गये हैं।

श्री पू० शे० नास्कर : गुजरात में जो केन्द्र खोले गये हैं वे सूरत बरो म्युनिसिपैल्टी, जामनगर जुनागढ़ और जिला सूरत में हैं।

\+ **कृषि शिक्षा**

*663. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ दल ने योजना आयोग को रिपोर्ट दी है कि स्पष्ट उद्देश्यों के अभाव, उदासीनता और भूमि, सिंचाई, उपकरण तथा अन्य सामग्री सम्बन्धी अपर्याप्त सुविधाओं के कारण कृषि शिक्षा क्षीण हो रही है।

(ख) क्या विशेषज्ञ दल की उपपत्तियों के अनुसार कृषि शिक्षा पाने वाले मुश्किल से 10 से 13 प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा समाप्त करने के बाद खेतों में काम करते हैं;

(ग) क्या सरकार ने मिडिल के बाद शिक्षा पाने वाले लाखों विद्यार्थियों में से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को गहन कृषि शिक्षा देने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो विस्तृत रूप से फैली हुई इस भावना को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है कि कृषि लाभदायक नहीं है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) माध्यमिक और पूर्व-विश्वविद्यालय चरणों में कृषि शिक्षा सर्वेक्षण पर दल ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु जून 1965 में श्रीनगर में सम्पन्न राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के लिये इस विषय में एक संक्षिप्त नोट प्रचारित किया गया था। इसमें अन्य बातों के साथ साथ दल की प्रारंभिक टिप्पणी का समावेश भी किया गया था।

(ख) दल के निष्कर्षों को देते हुए नौट के सम्बद्ध उद्धरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या 4868/65]**

(ग) और (घ) : शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित कनिष्ठ कृषि स्कूलों के कार्यकारी दल की सिफारिशों पर, चौथी योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर कृषि पाठ्यक्रमों में चार लाख विद्यार्थियों को बदलने का प्रस्ताव है। चौथी योजना आवंटन में अपेक्षित व्यय-व्यवस्था कर दी गई है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कृषि शिक्षा में मोड़ के लिये क्या निश्चित कदम उठाये हैं ताकि इसमें फार्म प्रबन्ध के प्रशिक्षण को भी शामिल किया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : दल इसकी जांच कर रहा है। आरंभिक टिप्पण में इस की एक सिफारिश यह है कि कृषि पाठ्यक्रमों को सैकण्डरी स्टेज से ही अनिवार्य कर देना चाहिये ताकि इसकी समाप्ति पर उनको मोड़ा जा सके।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अमरीका और सोवियट संघ में की गई संपरीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जहां कि कृषि शिक्षा सैकण्डरी शिक्षा का एक संघटक भाग है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस ओर कोई कदम उठा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : दल इस प्रश्न पर भी ध्यान देगा।

Shri D. S. Patil : Keeping in view the importance of the Agricultural education, may I know how many Agricultural Universities are there in India and what suggestions have been made to give agricultural education in villages?

Shri B. R. Bhagat : No suggestions have been made at present. Report is expected and the suggestions will be made in that report.

Shri Bibhuti Mishra : We are not satisfied with the answer of the hon. minister. Is it not a fact that First class students go in for engineering and medical colleges and for I.A.S. but they don't go to agriculture? Is this not the reason that Government give them less pay and that they have not good further prospectus?

Shri B. R. Bhagat : This can also be the reason. All these things are being looked into.

श्री पु० र० पटेल : कठिनता से 10 से 13 प्रतिशत विद्यार्थी कृषि पाठ्यक्रम के बाद फ़ार्म पर जाते हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ? क्या मैं यह समझ सकता हूं कि यह एक लाभदायक व्यवसाय नहीं है और दूसरे व्यवसायों में अधिक पैसे मिलते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा हो सकता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि ऐसी कितनी संस्थायें हैं जो प्रशिक्षण देती हैं और उनके पास अपने फ़ार्म हैं ? सरकार इसके लिये क्या कर रही है कि संस्थाओं के पास अपने फ़ार्म हों ताकि वे विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दे सकें ?

श्री ब० रा० भगत : पीछे कहे जाने वाली बात तो एक वांछित उद्देश्य है। जहां तक फ़ार्म रखनेवाली संस्थाओं का सम्बन्ध है मेरे पास अभी सूचना नहीं है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : This has been stated in part (b) of the question that 13 per cent students take up agricultural work after completing their education. I want to know how many students have been sent for training from agriculturist families? Whether this number has been sent from them?

Shri B. R. Bhagat : This is one of the suggestions that boys of such farmers may be given training for agriculture who have got their own lands so that they may plough their lands well.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : How many have you sent?

Shri B. R. Bhagat : The committee has been set up and these things are being considered. It is very difficult to say anything now.

श्री रंगा : क्या सरकार इस समिति को या किसी दूसरी अधिकारी को कहेगी कि वह मालूम करे कि ऐसे लोगों की क्या प्रतिशत है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने फ़ार्म पर नहीं जाते क्योंकि जमीन पर आय की 500 रुपये साल प्रत्येक परिवार के लिये हद नियत है जहां कि दूसरे व्यवसायों में ऐसी कोई हद नियत नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : समिति इस पर भी विचार करेगी, परन्तु मुझे इन दोनों में सम्बन्ध प्रबल मालूम नहीं होता ।

श्री रंगा : प्रश्न का उत्तर क्या है मैं सुन नहीं सका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर यह है कि समिति इस प्रश्न पर भी ध्यान देगी ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Has this not been cleared to the Government after 18 years of planning that the country is lacking in clear objectives in regard to agricultural education and there is shortage of able personnels and there is also a continuous demand in the country that Agricultural Service may be made an All India Service. If these things are clear to the Government why these committees are being set up instead of working on these things?

Shri B. R. Bhagat : It is clear that country is lacking clear objectives in regard to agricultural education.

Shri M. L. Dwivedi : Do you accept this?

Shri B. R. Bhagat : I accept this. At present you should not make any complaint. A Committee has been set up to investigate all these things so that in the Fourth Five Year Plan training may be imparted for agricultural education or other material and agricultural objective may be met.

Shri Gauri Shankar Kakkar : May I know whether the hon. minister has any information that in reality there has not been any connection uptill now between the agricultural education and agricultural output or agricultural work? May I know whether Government is considering any such proposal to keep the proportion and balance of Agricultural education so that it may be used for the betterment of agriculture and agricultural output?

Shri B. R. Bhagat : We are trying to establish direct relation between agricultural education and agricultural production.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार खुले आम यह मानने को तैयार है कि निजी फ़ार्मज का बिल्कुल अदक्ष कमर्कों के अलावा किसी के लिये भी आकर्षक न होने का मूल उत्तरदायित्व सरकार की अपनी जमीन सुधार नीतियों पर है ?

श्री ब० रा० भगत : हम यह नहीं मानते ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री कपूर सिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल ही अलग है और मेरा विचार है कि माननीय मंत्री इसका उत्तर देने जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know whether it is a fact that boys belonging to agriculturist families are not admitted in the Agricultural colleges and people who are not connected with the agriculture are admitted in such colleges and whether this is the reason that only 13 per cent people go back to their farms after training and others search for other professions?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का भी उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री शिव नारायण : यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर दिया जाना चाहिये ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Deputy Speaker, Sir, you answer to 80 per cent of the questions and we do not get any reply from the hon. minister. May I know the reason for it. This question is very clear that 13 per cent of the students have agricultural land and the remaining do not adopt this profession or go to the farms. You have answered this question and not the hon. minister.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : नहीं, यह सत्य नहीं है कि इस का उत्तर दिया जा चुका है । हम माननीय मंत्री से इस का उत्तर चाहते है, आप से नहीं ।

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास कृषि विद्यार्थियों में कृषि वर्ग और गैर-कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का अनुपात नहीं है ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूँ कि कृषि शिक्षा के वर्तमान साइलेबस में कृषि उपकरणों के निर्माण का कोई कार्यक्रम है ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां, पाठ्यक्रम में उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण देना शामिल है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि यह सच है कि भूमि की हद नियत करने के लिये विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं किये गये हैं और यदि हां, तो क्या यह सच है कि भूमि सुधार कानून की अनिश्चितता के कारण खेती के उत्पादन में बाधा आई है ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां, संदेह प्रगट किया गया है कि पीछे कहे जानी वाली बात सच है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि उन के पास कृषि विश्व विद्यालयों में प्रवश किये जाने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में उन को कृषि जानकारी के बारे में कोई सूचना नही है ?

श्री० ब० रा० भगत : विभाजन :

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जिन विद्यार्थियों को दूसरे कालेजों में प्रवेश नहीं मिलता वे कृषि कालेजों में प्रवेश लेते हैं और इसलिये नहीं कि वे कृषि शिक्षा पाने के बहुत उत्सुक होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान अध्ययन दल के इस वक्तव्य की ओर दिला सकता हूं कि ऐसा ख्याल है कि कृषि लाभप्रद नहीं है और विभिन्न सरकारी नीतियों और उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून के कारण भूमि के टुकड़े हो जाने के फलस्वरूप स्थिति कठिन हो गई है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन विचारों से सहमत है और यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये वह क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार इस दल की पूरी सिफारिशों के साथ इन सभी सिफारिशों पर विचार करेगी ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : अमरीका में विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से कृषि कालिज हैं और जो भी विद्यार्थी इन स्कूलों से पास होते हैं, वे विस्तार सेवाओं में लगे हैं, वे फार्मों में काम करते हैं । क्या मंत्री महोदय यह सुझाव देने जा रहे हैं कि यहां भी यह नीति अपनाई जाय ताकि विश्वविद्यालयों के अपने क्षेत्राधिकार में इन्हीं जैसे कृषि का लिज हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है । सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री श्याम लाल सर्राफ़ : सामुदायिक विकास और विभिन्न अन्य योजनाएं चालू किये जाने से यह आशा थी कि सम्बन्धित व्यक्तियों को कृषि शिक्षा के निकट लाया जा सकेगा । अब तक जो त्रुटि रही है वह नौकरशाही के कारण है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र में और राज्यों में सम्बन्धित विभाग अपना दृष्टिकोण बदलने में सफल रहे हैं ताकि सभी सम्बन्धित व्यक्ति कृषि की ओर ध्यान दे सके ? यदि हां, तो किस हद तक ?

श्री ब० स० भगत : मैं मानता हूँ। इसलिये हम इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

+

*664. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री बासप्पा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्रीमती लक्ष्मी बाई

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) चौथी योजना के अन्तर्गत मार्गदर्शी स्वास्थ्य बीमा योजनायें चलाने का एक प्रस्ताव है।

(ख) इसके ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : There is no water in South Avenue for the last 18 hours. In such circumstances how the National Health Insurance Scheme can become successful ?

श्री पू० शे० नास्कर : यह प्रश्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में है। इसमें जल संभरण का क्या प्रश्न है।

Shri Yashpal Singh : So far as tobacco is used by the people, no scheme can be fruitful. I want to know the measures being taken by Government to prevent this evil? Crores of rupees are being spent on this.

श्री पू० शे० नास्कर : इसका स्वास्थ्य बीमा से कोई सबन्ध नहीं है।

श्री कपूर सिंह : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये। यदि आप इस प्रकार मूल बातों की उपेक्षा करते रहेंगे तो राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्या कैसे सुलझेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बासप्पा: इस योजना में कौन से व्यक्ति शामिल हो सकेंगे और क्या इस मामले में राज्य सरकारों से, जिनकी इसमें बड़ी रुचि है, परामर्श लिया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): हमने राज्य सरकारों को पत्र लिख कर यह सुझाव दिये हैं कि चौथी योजना में वे कुछ मार्गदर्शी योजनाएं चालू करें और इस विचार को कुछ क्षेत्रों में लागू करके देखें। जैसा सभी को ज्ञात है, कुछ वर्गों के व्यक्तियों के लिये जैसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनमें इस सभा के माननीय सदस्य भी शामिल हैं, और औद्योगिक कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य योजनायें चल रही हैं। दिल्ली में हमने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को कुछ अर्द्ध-सरकारी निकायों, जैसे निगमों आदि पर और कुछ क्षेत्रों में अन्य नागरिकों पर भी लागू करने का प्रयत्न किया है। अतः हम समझते हैं कि इसको कुछ अन्य स्थानों पर मार्गदर्शी आधार पर चालू करना अच्छा रहेगा।

Shri Onkar Lal Berwa : Has any board been constituted to introduce this national health insurance scheme; if so, its constitution and when it is likely to submit its report and when this scheme is likely to be introduced?

Dr. Sushila Nayar : No, Sir; no board has been constituted.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Do they intend to extend this scheme to agriculturists and whether Government contemplate to extend this scheme also to private businessmen, manufacturers of shoes, cloth etc.?

Dr. Sushila Nayar : It is difficult for me to tell as the schemes would be introduced by State Governments on sections of people which they consider proper. I may also submit that at certain places such schemes are already there for agriculturists through private institutions.

श्री. प्र० रं० चक्रवर्ति : क्या सरकार विश्व के अन्य देशों की तरह यहां भी एक प्रकार की गैर अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करना व्यवहार्य समझती है ?

डा० सुशीला नायर : जी, नहीं। यह गैर-अंशदायी नहीं है। यह इस हद तक अंशदायी स्वास्थ्य बीमा है कि बीमा-शुदा लोगों को पूर्व-भुगतान के रूप में कुछ धन देना पड़ेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : इसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या 'राष्ट्रीय' शब्द में सभी वर्गों के नागरिक आ जाते हैं, जो कस्बों में अथवा गांवों में रहते हैं अथवा इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी ही आते हैं, यदि हां, तो क्या इस बारे में भी कुछ कार्यवाही की जायेगी कि इस सम्बन्ध में 'राष्ट्रीय" शब्द का वास्तव में महत्व हो ?

डा० सुशीला नायर : मैं बता चुकी हूं कि इस समय व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है। इस समय प्रस्ताव यह है कि चौथी योजना में गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना के लिये मार्गदर्शी परियोजनाएं चालू की जाएं--क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिये पहले से ही योजना चालू है।

Shri K. N. Tiwary : May I know the institutions who are introducing this scheme and the towns where such projects are being tried?

Dr. Sushila Nayar : Viswa Bharati is trying this in Shri Niketan. In Sewagram, through Kasturba Health Society this scheme is being introduced in 25 villages and there are certain other people engaged in this work but their details are not available with me at present.

श्री रामनाथन चेट्टियार : मूल प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमंत्री महोदय ने बताया कि चौथी योजना में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना लागू करने का प्रस्ताव है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस योजना के वित्तीय परिणामों का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो इस पर वार्षिक कितना आवर्ती व्यय होगा ?

डा० सुशीला नायर : उपमंत्री महोदय ने ऐसा नहीं कहा था। माननीय सदस्य ने शायद पूरा उत्तर नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि चौथी योजना के अन्तर्गत मार्गदर्शी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाने का एक प्रस्ताव है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री रामनाथन चेट्टियार : इस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री पू० शे० नास्कर : ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि भर्ती में जो उम्मीदवार फेल किये जाते हैं उनमें से 95 प्रतिशत घबराहट होने, सीधा पैर पड़ने और नेत्र-दृष्टि कमजोर होने के कारण फेल कर दिये जाते हैं ?

डा० सुशीला नायर : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । यदि वह मुझे ब्योरे दे तो मैं इसकी जांच कराउंगी ।

चतुर्थ वित्त आयोग

+

*665. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री अ० व० राघवन :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कजरोलकर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हु० च० लिंग रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट, उस के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, 10 सितम्बर, 1965 को लोक-सभा-पटल पर रख दी गयी थी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या राज्य सरकारों ने आयोग को बताया है कि करों के केन्द्रीयकरण और राज्यों के केन्द्र पर अधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप राज्यों को केन्द्र को बहुत ब्याज देना पड़ता है जिसमें राज्यों के राजस्व का बहुत सा भाग चला जाता है, और यदि हां, तो क्या सरकार राज्यों को स्वावलंबी बनाने के लिये समूचे कर-ढांचे पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक सुझाव है । माननीय सदस्य के पास प्रतिवेदन है और यदि यह बात बतायी गयी है तो इसको देखा जा सकता है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों ने आयोग को बताया है कि आय-कर अधिनियम में हाल में किये गये संशोधनों से राज्यों को उनके उचित अंशों से वंचित कर दिया गया है और यदि हां, तो क्या वे आय-कर के राज्यों के अंश में परिवर्तन कर रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास आयोग की कार्यवाही नहीं है । जो कुछ प्रतिवेदन में है वह सदस्यों को मालूम है, लेकिन राज्यों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन उसके अंग नहीं हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री और मंत्रालय के बीच आयोग द्वारा दी गयी सहायता, ऋण अथवा अनुदान को उनकी अर्थ-व्यवस्था के कार्य से सम्बद्ध करने के बारे में कोई बातचीत हुई है और क्या इन दोनों को सम्बद्ध करने के लिये कोई अभिकरण बनाये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : वित्त आयोग से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई ।

Shri Bibhuti Mishra : Do the Government contemplate to distribute the revenue from income-tax to States on the basis of their per capita income; those who have more per capita income should get more and those whose per capita income is less should get less?

Shri B. R. Bhagat : The Commission have given their recommendations and as per their recommendations States will get 75 per cent of the income-tax revenue. The mode of distribution is also mentioned in the recommendations. The Government have accepted their recommendations.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : करों से प्राप्त राजस्व और उसके बटवारे के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार संविधान में संशोधन करके, यदि आवश्यक हुआ, समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार करना आवश्यक समझती है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क और आय-कर के बटवारे के मामले में वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों में विकास की प्रगति को क्यों ध्यान में नहीं रखा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : आयोग की सिफारिशें सभा के समक्ष हैं। आयोग ने किसी विशेष बात के बारे में क्यों नहीं सोचा। यह बताना तो आयोग का ही काम है, मैं आयोग की ओर से कोई उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Yashpal Singh : May I know the reaction of the Government on the separate note of the Chairman?

Shri B. R. Bhagat : We have seen that.

Shri Yashpal Singh : What is the reaction?

श्री हरि विष्णु कामत : राज्यों के वित्तीय साधन बढ़ाने की दृष्टि से क्या राज्य सरकारें मद्य-निषेध को समाप्त कर सकती हैं अथवा इस दिशा में वे केन्द्रीय परामर्श से बंधे हुए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ? क्या वित्त आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश की है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विशिष्ट रूप से कुछ नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न यह है कि संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से क्या राज्य सरकारें यह समाप्त करने के लिये स्वतंत्र हैं . . . **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। हमारा सम्बन्ध केवल वित्त आयोग की सिफारिशों से है।

Shri Bhagwat Jha Azad : According to recommendations of the Fourth Finance Commission, there are certain States who have not got a single penny. I want to know the basis of these recommendations. Have the commission seen their inability to use the funds because there was surplus and so they were not given?

Shri B. R. Bhagat : So far as reasons are concerned, the States have themselves said that they have got surplus. They have themselves given their opinion.

श्री गा : वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक आयव्ययक में उपबन्ध करके उनके मार्गोपायों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार की सहायता के लिये इस वर्ष जो विशेष कदम उठाये हैं क्या वित्त आयोग ने उन पर भी ध्यान दिया है और यदि नहीं, तो क्या वित्त मंत्री वित्त आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त राज्यों की मार्गोपाय कठिनाइयों को पूरा करने के लिये राज्यों के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये इसी प्रकार यहां पर कर लगाने की प्रवृत्ति को जारी रखेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : राज्य के संसाधनों में कमी के सामान्य प्रश्न को वित्त आयोग ने ध्यान में लिया है परन्तु उस आयोग की सिफारिशें अगले साल से लागू होंगी । उन सिफारिशों के कुछ भाग पर अमल कार्यकारी आदेश जारी करके किया जा रहा है और कुछ के बारे में विधान बनेगा । इस विषय में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । इस समय तो इस वर्ष के बारे में बात हो रही है । कुछ असंतुलन है उनको दूर करने की कोशिश हो रही है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether while allocating the income-tax quota the Finance Commission took into consideration the principle that those states should be given more whose per capita income is less and those states should be given less whose per capita income is more.

Shri B. R. Bhagat : I have stated that commission has referred to the population of states and their respective per capita income and has allocated their respective share. I cannot comment on this.

Shri Ram Sewak Yadav : Whether this has been taken into consideration at the time of allotment?

Shri B. R. Bhagat : Hon. member can himself see.

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय वित्त आयोग को करना है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या यह अन्तिम निर्णय है या यह सरकार ने परिवर्तन करने के लिये व्यवस्था की है ताकि आवश्यकता वाले राज्यों की सहायता की जा सके ।

श्री ब० रा० भगत : उसके लिये संविधान में एक विशेष अनुदान की व्यवस्था है और 11 राज्यों को सहायक अनुदान दिये गये हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैंने पूछा था कि क्या यह अन्तिम सिफारिश है और क्या सरकार इस में परिवर्तन नहीं करेगी ? और क्या अभाव वाले राज्यों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक निरर्थक प्रश्न है । हमने वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या आयोग को आयकर के बांटते समय सम्बन्धित राज्यों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखने के लिये कहा गया था ?

श्री ब० रा० भगत : आयोग के निर्देश पद संविधान में दिये हुए हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : वित्त आयोग की रिपोर्ट में दिया है कि अब राज्य सरकारों को पहले की अपेक्षा अधिक धन मिल रहा है । क्या भारत सरकार राज्य सरकारों को हिदायत जारी कर रही है कि वे अपने संसाधनों को सुदृढ़ बनाने के लिये चौथी योजना तैयार करते समय अधिक कर लगायें ?

श्री ब० रा० भगत : इन सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य तृतीय कमीशन द्वारा देने की अपेक्षा लगभग 780 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त करेंगी । केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर विचार हो रहा है ।

जीवन बीमा निगम

+

*666. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा कारोबार का विस्तार करने के लिये जीवन बीमा निगम को चार अथवा पांच स्वतंत्र मंडलों में विभक्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख): इस दिशा में सरकारी उपक्रमों पर संसदीय समिति द्वारा सिफारिश कर दी गई है। रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री प्र० चं० बरूआ : जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन के पश्चात् इसके ढांचे का स्वरूप क्या होगा और इस के विभिन्न एककों में समन्वय कसे रखा जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : सिफारिश तो यह है कि एक निगम के स्थान पर प्रादेशिक निगम बना दिये जायें। अन्य सिफारिशों के साथ साथ इस पर भी विचार हो रहा है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या संसदीय समिति ने प्रीमियम के दरों में भी कमी करने की सिफारिश की है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : वह एक पृथक प्रश्न है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या वित्त मंत्री को सहकारी संस्थाओं से सामान्य बीमे को सहकारी संस्थाओं से चलाने के बारे में प्रस्ताव मिले हैं, यदि हां, तो मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न जीवन बीमे के बारे में है और सामान्य बीमे के बारे में नहीं।

प्रश्न संख्या 687 के बारे में

Shri Madhu Limaye (Monghyer) : Sir, I want to invite your attention to Rule No. 46. I have received a letter from the Planning Minister. In that letter he has stated that I would get answer to my question. I want that its answer should be given. The hon. Minister has written to you and me in this connection. I request that this question should be taken up.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तर मिला है कि वह उत्तर देने को तैयार नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye : You have not heard me. I have received a letter from the hon. Minister.

Mr. Deputy Speaker : You had written and a reply has come. This question cannot be answered without his consent. वह तैयार नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye : I will read his letter. He has written:—

"I am in receipt of your letter of 10th September addressed to the Finance Minister. Your Starred Question No. 687 will be answered on 16th September. Its answer will be given even if its turn does not come. If you want more information in this connection, I would be glad to give you the information available with the Government. I am forwarding a copy each of your and my letter to the hon. Speaker."

This letter is from Shri B. R. Bhagat.

Shri B. R. Bhagat : It is clearly stated that if its turn does not come, the information will be given later on. It is not said that oral answer would be given.

Shri Madhu Limaye : If the hon. Minister agree it can be taken up according to Rule 46.

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर नहीं देना चाहते। मुझे पत्र मिला है कि वह उत्तर देने को तैयार नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी उपक्रमों में लागत कम करने के अनुभाग

*662. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन में लागत कम करने के अनुभाग स्थापित किये गये हैं; और

(ख) उन उपक्रमों के लिये निर्धारित कर्मचारीवृन्द के स्वरूप की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में "लागत कम करने के अनुभाग" स्थापित किये गये हैं :

1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
2. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (आयल ऐन्ड नेचरल गैस कमीशन)
3. हिन्दुस्तान स्टील
4. हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड
5. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
6. भारतीय तेल निगम (इन्डियन आयल कार्पोरेशन)
7. इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, लिमिटेड।

(ख) मांगी गयी सूचना का क्षेत्र स्पष्ट नहीं है। फिर भी मोटे तौर पर इन प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध का ढांचा यह है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव) होता है जो प्रतिष्ठान के समुचित संचालन के लिये उत्तरदायी होता है और इस काम में निर्माण, रूपांकन (डिज़ाइन), उत्पादन, कर्मचारी वर्ग, वित्त, लेखा, लागत, बिक्री आदि जैसे विभिन्न कार्य करने वाले विभागों के मुख्य अधिकारी उसकी सहायता करते हैं।

प्रत्यक्ष कराधान नियमों का नर्म किया जाना

*667. **श्री हेडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 295 के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने में व्यापारियों तथा उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनमें कोई परिवर्तन करने अथवा उन्हें नर्म बनाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां। करनिर्धारिती द्वारा विज्ञापन आदि पर किये गये व्यय की छूट के लिये कुछ सीमाएं और शर्तें निर्धारित करने के अभिप्राय से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(3) के अनुसरण में बनाये गये आयकर नियम पहले 8 मार्च, 1965 की एक गजट अधिसूचना के अंतर्गत जारी किये गये थे। नियमों के पालन करने में व्यापार और उद्योग को होने वाली कठिनाइयों के विषय में, प्रेस, व्यापार, तथा व्यापारिक संघों के कुछ वर्गों से और जनता के कुछ सदस्यों से बहुत से अभिवेदन प्राप्त हुए। सरकार द्वारा उन पर योग्य विचार किया गया और 30 मार्च, 1965 की एक गजट अधिसूचना द्वारा इन नियमों को वापस ले लिया गया था।

(ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में प्रेस, व्यवसाय, व्यापारिक संघों तथा जनता से बड़ी संख्या में अभिवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) इस बारे में प्रभावित हितों से प्राप्त सुझावों और राय को दृष्टि में रखकर संशोधित नियम बना दिये गये हैं। और 30 सितम्बर तक और भी सुझाव तथा राय प्राप्त करने के लिए इन नियमों को "मसौदे" के रूप में प्रकाशित किया गया है। मसौदे के रूप में प्रकाशित नियम पूर्व प्रकाशित नियमों की अपेक्षा कई तरह से अधिक उदार हैं। "नियमों के मसौदे" पर आगे राय और सुझावों पर इन नियमों को अंतिम रूप देने के पहले, विचार किया जायेगा।

Government Quarters in Delhi

*668. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) the total number of Government employees in Delhi to whom Government accommodation has not been allotted so far;

(b) the percentage of those employees to whom Government accommodation has been allotted upto the 31st July, 1965; and

(c) the time by which Government would be in a position to provide accommodation to those who are still on the waiting list?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Allotment has not so far been made to nearly 62,600 officers, who are eligible for general pool accommodation.

(b) About 37%.

(c) Government is taking all possible measures to build more houses but it will take many years to provide them all with accommodation.

सिन्ध जल आयोग संबंधी संहिता

*669. **श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों का संकेत करने के हेतु एक संहिता तैयार करने का कोई प्रस्ताव है, जिनमें संबंधित देशों में, सिन्ध नदी आयोग के सदस्य जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बैंकों तथा साहूकारों पर रोक

*670. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

श्री बासप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति को कम करने के लिये चालू वर्ष के अभियान में बैंकों तथा मान्यताप्राप्त अन्य साहूकारों पर ऋण सम्बन्धी रोक लगाई गई है; और

(ख) इस प्रयत्न में कितनी सफलता मिली है तथा इससे क्या प्रत्याशित परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मुद्रा-विस्तार की गति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों के ऋणों पर सामान्य नियन्त्रण तथा खास-खास वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले नियन्त्रण लगाये हैं ।

(ख) सब मिलाकर इस प्रयत्न का अच्छा परिणाम निकला है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकानों की बिक्री

*671. **श्री कपूर सिंह :**

श्री सोलंकी :

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किराया-खरीद आधार पर बेचे जाने के लिये बनाये गये 400 फ्लेटों को बेचने के संबंध में कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) क्या इन सब फ्लैटों में सब नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) अभी नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकार की ओर से केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सफदरजंग आवास योजना में अभी तक केवल 32 मकानों (64 आवास एकक) का निर्माण पूरा किया है । नजफगढ़ रोड आवास योजना में 50 मकानों (100 आवास एकक) का निर्माण कार्य अभी चल रहा है । इस प्रकार 82 मकान (164 आवास एकक) तैयार हुए हैं अथवा तैयार होने वाले हैं न कि 400 फ्लैट ।

(ख) जल व्यवस्था का अभी भी अभाव है ।

Dearness Allowance Formula

*672. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government Employees' Organisations have represented to Government to review the existing dearness allowance formula; and

(b) If so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir, some representations have been received in this regard.

(b) No change in the existing dearness allowance formula is contemplated.

चिकित्सा संबंधी शिक्षा

*673. **श्री हरि विष्णू कामथ :**
श्री कर्णीसिंह जी ।

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 4 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा संबंधी शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये किये गये विविध उपायों के परिणामों का कोई अनुमान लगाया जा चुका है अथवा लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : चूंकि चिकित्सा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये शुरू किए गए विभिन्न उपायों का पूरा परिणाम निकलने में समय लगेगा, अत: उपलब्ध परिणामों का कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किए गए निरीक्षणों से इस प्रकार के मूल्यांकन का काम भी सिद्ध हो जाता है। उनके हाल ही में किए गए निरीक्षणों से पता चलता है कि अपर्याप्त वित्तीय साधनों वाले गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों के अलावा शेष सभी कालेज वर्तमान स्तर के अनुरूप हैं।

मेसर्स स्कोडा एण्ड कम्पनी

*674. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 98 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स स्कोडा एण्ड कम्पनी द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के उल्लंघन के बारे में जांच पूरी की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने मैसर्स स्कोडा (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड, और दूसरों को, जिनका विभिन्न लेन-देनों से सम्बन्ध रहा है, अब तक 41 शो कॉज नोटिस जारी कर दिये हैं। तीन मामलों में न्यायनिर्णय हो चुका है और बाकी पर विचार किया जा रहा है।

नेफा में डाक्टरों की नियुक्ति

*675. श्री जा० ना० हजारिका :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्रीमती गंगा देवी :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री गजराज सिंह राव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पदोन्नतियों के अवसरों और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण डाक्टर लोग नेफा में नौकरी पर जाने के लिये इच्छुक नहीं होते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों को अधिक आकर्षक तथा लाभप्रद बनाने के लिये सरकार कुछ विशेष उपायों का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : उपूसी (नेफा) में काम करने वाले डाक्टरों के सभी पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित कर दिये गये हैं अतः वहां काम करने वाले डाक्टरों के लिये पदोन्नति के अवसर भी वैसे ही हैं जैसे इस सेवा के अन्य सदस्य के लिये हैं। उपूसी में नियुक्त डाक्टरों को वे सब सुविधायें दी जायेंगी जो वहां नियुक्त अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं।

राज्यों को दिये गये ऋणों पर ब्याज

*676. श्री धिरुमल राव :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री द० ब० राजू :
श्री अकिनीडु :
श्री दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों पर ब्याज वसूल कर रही है, जब कि एक परियोजना का निर्माण अभी चल रहा है और नहरों को पानी नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितनी राशि इकट्ठी की गई है और राशि इकटठी करने के क्या तरीके हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम, हीराकुड और भाखड़ा नंगल परियोजनाओं के निर्माण की लगभग 15 वर्षों की अवधि के दौरान दरों की पूंजी बना दिया गया था और परियोजनाओं के लिये स्वीकृत केन्द्रीय सहायता में से अदायगी कर दी गई। अब जिन परियोजनाओं को निश्चित सहायता दी जाती है, उन के सिलसिले में दर को निर्माण के प्रथम पांच वर्षों में पूंजी बन जाने दिया जाता है। किन्तु कोसी, चम्बल और नागार्जुनसागर की तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के मामले में इस अवधि को बढ़ा कर सात साल कर दिया गया है। नागार्जुनसागर परियोजना के सम्बन्ध में चाहे कार्य 1955–56 के वर्ष के दौरान आरम्भ कर दिया गया था, लाभ प्राप्त होने आरम्भ नहीं हुए हैं। फिर भी, स्वीकृत ऋणों की शर्तों के अधीन निर्माण कार्य के आरम्भ होने के सात वर्ष पश्चात् दर प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) ऋणों पर मिलने वाला दर सम्बद्ध महालेखाकार द्वारा संबद्ध राज्य सरकारों से प्राप्त इजाजत के आधार पर केन्द्रीय सरकार के लेखे में लिख लिया जाता है। चूक हो जाने पर, दर की बकाया राशि

को केन्द्रीय करों और अनुदानों के राज्य के भाग के प्रति भी समायोजित किया जा सकता है। ऋणों से प्राप्त दर की राशि के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सहकारी बैंकों के लिये जमा बीमा योजना

*677. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक कोई ऐसी योजना बना सके हैं जिससे जमा बीमा योजना को सहकारी बैंकों पर लागू किया जा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों से कहा है कि राज्यों के, सहकारी समितियों सम्बन्धी कानूनों में ऐसे संशोधन किये जायें जिनसे इस बात की व्यवस्था हो जाय कि सहकारी बैंकों के, जिन पर भी बीमा योजना लागू करने का विचार है, अधिक्रमण (सुपर-सेशन), समापन, पुनर्निर्माण या एकीकरण के सम्बन्ध में कोई भी फैसला रिजर्व बैंक से परामर्श करके ही किया जायगा। यह भी विचार है कि यदि इन संस्थाओं के प्रबन्ध में परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो वह रिजर्व बैंक के कहने पर ही किया जायगा। जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 में ऐसा संशोधन करने के प्रश्न पर, जिससे निगम सहकारी बैंकों में जमा की गयी रकमों का भी बीमा कर सके, राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक के सुझावों पर की गयी कार्रवाई को देखते हुए विचार किया जायगा।

विदेशी मुद्रा रैकेट

*678. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास, गुजरात और पंजाब में ऐसे क्रियाशील जत्थों के अड्डे कहे जाते हैं जो विदेशी मुद्रा का कारोबार करते हैं जैसा कि 1 सितम्बर, 1965 के 'स्टेट्समैन' में छपा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) यद्यपि मद्रास, गुजरात और पंजाब से विदेशी मुद्रा विनिमय के कई अनधिकृत लेन-देन के मामलों का पता चला है, तथापि यह कहना संभव नहीं है कि विदेशी मुद्रा विनिमय का अनधिकृत व्यापार करनेवाले सक्रिय दलों के ये अड्डे हैं।

(ख) नियम-भंग के अपराधी पाये जाने वालों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय विनियम अधिनियम, 1947 के अधीन योग्य कार्यवाही की जा रही है।

नर्मदा नदी परियोजना सम्बन्धी खोसला समिति का प्रतिवेदन

*679. **श्री दे० जी० नायक** :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोसला समिति ने नर्मदा नदी परियोजना के सम्बन्ध में अपना निवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सुझावों पर विचार किया जा रहा है और मैं समिति के मुख्य सुझावों का एक विवरण सभा पटल पर यथाशीघ्र रखने का विचार रखता हूं।

बम्बई में फर्मों पर छापे

*680. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हु० च० लिंग रेड्डी ।
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बम्बई में कुछ फर्मों पर छापे मार कर 3 करोड़ रुपये के मूल्य के आभूषण एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं तथा छिपाया हुआ धन पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं ;

(ग) कुल कितनी राशि पकड़ी गई ; और

(घ) क्या इनमें से कुछ व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तथा थोड़ा जुर्माना करने के लिये अनुरोध किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) से (घ) : बम्बई में, अपने नामों को गैर कानूनी ढंग से दूसरों के द्वारा काम में लिये जाने का धंधा करने वाले कुछ ऐसे व्यक्तियों के 61 व्यापार स्थानों और घरों की तलाशियां ली गई जो रंगों और रसायनों के व्यापारियों को झूठे बीजक और बिक्रीपत्र जारी किया करते थे, और इन तलाशियों में पाये गये दोषारोपणीय कागज पत्र और बही खाते तथा रुपये 45,000 तक नकद पकड़े गये। तलाशियों के दौरान दो लाख रुपये के जवाहरात भी पाये गये। मध्यस्थ का काम करने वाले इन लोगों में से कई ने इकबाल कर लिया कि वे झूठे हिसाब बनाने के लिए झूठे बिल देने का धंधा करते थे। अभी तक उनमें से किसी ने भी कम दण्ड के लिए प्रार्थना नहीं की है।

जिन फर्मों पर छापे मारे गये उनके नाम नीचे दिये गयेहैं :—

1. महेन्द्रकुमार शान्तिलाल
2. बाम्बे कैमिकल कम्पनी
3. देसाई ब्रदर्स
4. अशोक ट्रेडर्स
5. कांतिलाल एन्ड कम्पनी
6. पी० नन्दलाल एन्ड कम्पनी
7. अरविन्द के० सादु
8. कुमार एन्ड कम्पनी
9. डिडवानिया एन्ड सन्स
10. श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी
11. डिडवानिया फेब्रिक्स

12. सत्य नारायण एन्ड कम्पनी

13. एम० टी० एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड

14. हर्षद डाईज एन्ड केमिकल्स

15. महेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी

16. रूपम् ब्रदर्स।

Health Ministers Conference on Prevention of Food Adulteration

***681. Shri Bibhuti Mishra :**

Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government convened a Conference of the Health Ministers of various States at Nainital during the first week of June, 1965 to review the measures taken so far to prevent the adulteration of foodstuffs in the country;

(b) if so, the main Resolutions passed at the Conference; and

(c) the steps taken to implement them?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) A meeting of the Central Committee of Ministers on Prevention of Food Adulteration, consisting of Health Ministers of Maharashtra and Rajasthan and L. S. G. Ministers of Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Madras under the Chirmanship of Union Deputy Health Minister was held at Nainital on the 3rd June, 1965.

(b) A copy of the resolutions passed by the Central Committee of Ministers is laid on the Table of the Sabha. [**Placed in the Library. See No. LT-4869/65.**]

(c) Copies of resolutions have been forwarded to the respective Governments for necessary action.

विदेशी मुद्रा का संकट

***682. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याब्रि टेन ने विदेशी मुद्रा के वर्तमान संकट को दूर करने में भारत की सहायता करने के लिये 50 लाख पौंड की परियोजनेतर सहायता तत्काल देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा एड इण्डिया कंसौरशियम के अन्य देशों से तत्काल इसी प्रकार की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी निर्बाध सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है ;

(ग) परियोजनेतर बड़ी सहायता के लिये भारत की प्रार्थना के बारे में कंसौरशियम के विभिन्न सदस्य देशों ने क्या प्रत्युत्तर दिया है ; और

(घ) कंसौरशियम की सहायता में अनुदान तथा 25 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि में वापिस किये जाने वाले तथा कम व्याज वाले ऋणों का क्या अनुपात है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत सहायता संघ (इण्डिया कंसार्शियम) के तत्वावधान में 1965–66 के लिए जिस 3 करोड़ पौंड की सहायता का वचन दिया गया था उसमेंसे ब्रिटेन

ने भारत को 50 लाख डालर देना मंजूर किया है जो बिटेन से मंगायी गयी विकास-सम्बन्धी वस्तुओं के सम्बन्ध में पहले ही लिया जा चुका है।

(ख) और (ग) : सहायता संघ की जो बैठकें मार्च और अप्रैल 1965 में हुई थीं उनमें भिन्न-भिन्न देशों से मिलने वाली सहायता के उस अनुपात को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था जिसे प्रायोजना से भिन्न कार्यों के लिए आयात करने के लिये इस्तेमाल किया जा सके। इस सम्बन्ध में बातचीत अभी जारी है।

(घ) सहायता करने वाले देशों के साथ बातचीत अभी चल रही है।

विदेशी ऋण

*683. **श्री हेडा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मधु लिमये :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशी ऋणों तथा उनके ब्याज की कुल कितनी राशि का भुगतान भारत को करना होगा ;

(ख) क्या उस भुगतान को पूरा करने में कोई कमी रह जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) विदेशी मुद्रा के ऋणों के लिए विदेशों से अब तक जो करार किये गये हैं उनके सम्बन्ध में भारत की कुल देनदारी 1393 करोड़ रुपया है, जिसमें 959 करोड़ रुपया मूलधन का और 434 करोड़ रुपया ब्याज का है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

निर्यात पर कर समंजन

*684. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न चुनीदा वस्तुओं तथा पदार्थों के निर्यात पर कर-समंजन देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी की वस्तुओं पर कितना कर-समंजन दिया जायेगा ;

(ग) क्या इस मामले में चाय तथा पटसन को सबसे कम प्रोत्साहन दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात की जानेवाली जिन वस्तुओं पर और उन के सम्बन्ध में जिस दर से कर-जमा (टैक्स क्रेडिट) की सुविधा दी जायगी उनका ब्योरा 17 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1183 में, जिसकी एक प्रति 9 सितम्बर, 1965 को सभा की मेज पर रखी गयी थी, प्रकाशित "कर जमापत्र (निर्यात) योजना, 1965" में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पेंशन, उपदान तथा भविष्य निधि के भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया का सरल बनाया जाना

*685. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये सुझाव के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन, उपदान (ग्रेचुइटी) तथा भविष्य निधि के भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को कुछ सुझाव दिये हैं जिनकी जांच की जा रही है।

बम्बई में आयात निर्यात करने वाली एक फर्म पर छापे

*686. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जनवरी में बम्बई में आयात-निर्यात करने वाली एक फर्म पर मारे गये छापे में ब्रिटेन के एक बैंक का कई हजार पौंड का एक चैक तथा ब्रिटेन बैंक का ड्राफ्ट पकड़ा गया;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है तथा चैक और बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) 15 फरवरी, 1965 को सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर बम्बई की एक कम्पनी की जगहों की तलाशी लेने पर वहां से, संयुक्त राज्य के एक बैंक के नाम जारी किया गया 10,000 पौण्ड का एक चैक और संयुक्त राज्य के ही एक दूसरे बैंक के नाम बनाया गया 100 पौण्ड का एक ड्राफ्ट पकड़ा गया।

(ख) और (ग) : चूंकि अभी भी इस मामले की जांच-पड़ताल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है, इसलिए इसका ब्यौरा प्रकट करना वांछनीय नहीं है।

Malpractices in Companies Affairs

*687. **Shri Madhu Limaye** :	**Shri S. M. Banerjee** :
Shrimati Renu Chakravarty :	**Shri Daji** :
Shri Bagri :	**Dr. Ranen Sen** :
Shri Alvares :	**Shri Kishen Pattnayak** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Haridas Mundhra, who was convicted for various malpractices in the transaction of affairs of the companies has been debarred from being appointed as a director of any company or interfering in its affairs under the Companies Act, 1956;

(b) If so, whether Government are aware that from jail Shri Haridas Mundhra interfered in the affairs of Duncan Stratton & Company Ltd. and other companies; and

(c) If so, the action being taken by Government in the matter?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) In view of the prohibition contained in section 274(1) (d) of the Companies Act, Shri Haridas Mundhra who was sentenced to imprisonment for a period exceeding six months is not capable of being appointed as director of a company for a period of 5 years from the date of expiry of the sentence.

(b) Government have no information that Shri Haridas Mundhra used to interfere in the affairs of the Duncan Stratton & Co. Ltd., and other companies during his imprisonment. However, there were some occasions when Shri Haridas Mundhra came out of jail in connection with some case or the other pending before the courts.

(c) Does not arise.

Insects in Tap Water of D. M. C.

***688. Shri Bagri :**
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Health** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that insects had been noticed on the 28th August, 1965, in the water drawn from a tap of the Delhi Municipal Corporation, near Chandni Chowk, Delhi;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in the matter?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) A complaint was received that water supplied in House No. 2033 and nearby public hydrant in Gali Barfawali, near Kinari Bazar in Naughara, Delhi, contained worms and mud particles. After a proper analysis and examination, it was found that water from the house did not contain any worms etc., but a couple of worms were found in the sample from the public hydrant.

(b) The public hydrant in question is located very close to the dead end and appears that foreign matter had accumulated in course of time which can get in through loose water connections when the water supply in the pipes is intermittent.

(c) The Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee were directed to take immediate action to ensure that all the water mains and water reservoirs are periodically and systematically cleaned and a record of this work kept.

एर्नाकुलम जिले में नहर

2230. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एर्नाकुलम जिले (केरल) में इरिपबानम पाथरीसेरी नहर के निर्माण की एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या काम इस वर्ष में आरम्भ कर दिया जायेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चम्बाकारा नहर

2231. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने एर्नाकुलम जिले में चम्बाकारा नहर को चौड़ा करने की योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष काम आरम्भ कर दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस स्कीम के लिये चालू वर्ष के बजट में 20,000 रुपये का प्रबन्ध किया गया है और केरल सरकार ने सूचित किया है कि आवश्यक औपचारिकताओं के पश्चात् कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

केरल में पीने के पानी की कमी

2232. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के तटवर्ती क्षेत्रों तथा "कुतानाद" जलमग्न प्रदेश में पीने के पानी कि कमी लोक स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है ?

(ख) यदि हां, तो यह कमी विशेष कर किन किन स्थानों में है; और

(ग) इस क्षेत्र में सरकार ने कौन सी ग्राम्य जल सम्भरण योजनायें आरम्भ की हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) सारा तटवर्ती क्षेत्र पीने योग्य पानी के संभरण के अभाव से प्रभावित है।

(ग) तटवर्ती क्षेत्रों में केरल सरकार ने 52 ग्रामीण जल संभरण योजनाओं को कार्यान्वित किया हैं। इन योजनाओं के नाम अनुबन्धन में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया दखिये संख्या एल० टी० 4870/65।]**

केरल के पिछड़े हुए जिले

2233. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को योजना आयोग के सलाहकार श्री पी० वी० आई० वैद्यनाथन् से केरल के कोजीकोड और कन्नानूर जिलों के पिछड़ेपन के बारे में रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और चौथी योजना में अधिक धन नियत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन पिछड़े हुए जिलों को राज्य के अन्य जिलों के समान बनाने के क्या प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) श्री वैद्यनाथन ने कोजीकोड और कन्नानूर के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

कर्मचारी निरीक्षण एकक

2234. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर-दिसम्बर, 1964 में विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों में कर्मचारियों के कार्य-मापन अध्ययनों के पुर्नविलोकन के परिणामस्वरूप वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : चूंकि जांच-पड़ताल का कार्यक्रम तिमाही आधार पर तैयार और क्रियान्वित किया जाता है इसलिए नवम्बर-दिसम्बर 1964 के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अक्टूबर-दिसम्बर 1964 की तिमाही में कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 9 विभागों/कार्यालयों के काम की जांच-पड़ताल पूरी की। इसके परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि निम्नलिखित पद फालतू हैं:—

पहली श्रेणी के पद	3
दूसरी श्रेणी के पद	70
तीसरी श्रेणी के पद	198
चौथी श्रेणी के पद	14
जोड़	285

उपर्युक्त पदों के कम होने से लगभग 10 लाख रुपये वार्षिक की सीधी बचत हुई। इसके अतिरिक्त इस जांच के कारण 56 नये पद बनाने के लिए की गयी मांग या तो वापस ले ली गयी या उसमें कमी की गयी जिससे 2.17 लाख रुपये वार्षिक की निवारक बचत हुई।

Water Supply Schemes in Maharashtra

2235. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Health** be pleased to state the number of engineering Divisions and Sub-divisions, separately, which have either been set up in Maharashtra for the setting up of which the Central Government have communicated sanction to the Government of Maharashtra, to implement the water supply schemes for those villages in that State where there are no sources of drinking water ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : One special Investigation Division with six Sub-Divisions has been set up in Maharashtra.

Drinking Water Schemes in Maharashtra

***2236. Shri D. S. Patil :**
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have prepared any Master Plan to provide drinking water in each village of the State where there is a problem of water;

(b) if so, the main features of the plan; and

(c) the financial assistance given by the Central Government therefor?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b). Information has been called for from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

(c) The financial assistance given and allocated during the Third Five Year Plan is indicated below :

Assistance given	Loans for urban and Corporation's Water Supply Schemes.	*Grants for all Centrally-aided schemes including Rural Water Supply Schemes.	Grant for Special Investigation Divisions in Rural areas.
1961-65	Rs. 509·07 Lakhs	Rs. 625·55 Lakhs	
Allocated			
1965-66	Rs. 229·10 Lakhs	Rs. 176·47 Lakhs	Rs. 3·06 Lakhs

*According to the prescribed procedure, Central assistance on all Centrally-aided schemes is sanctioned in lumpsum and not for individual schemes. As such, it is not possible to indicate the amount of grants for Rural Water Supply and Sanitation Schemes separately.

श्रीलंका को सहायता

2237. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने श्रीलंका को भूगतान-शेष की कठिनाईयां दूर करने के लिये उसे सात करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस के भूगतान की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) भारत से मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिये हमारी सरकार ने श्रीलंका सरकार को 5 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिये सिद्धान्त रूप में अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी है ।

कुछ और ऋण भी अपेक्षित हैं और वे विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग) : इस की शर्तों पर अभी बातचीत हो रही है ।

सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान के लिये मार्ग-दर्शक सिद्धान्त

2238. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त सुझाने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन होंगे; और

(ग) इस के कृत्य और निर्देश-पद क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : समिति के गठन के विषय में सभा के पटल पर दिनांक 2-9-1965 को रखे संकल्प की प्रति को देखिये।

दो रुपये के नये नोट

2239. श्री राम हरख यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल्दी ही दो रुपये के नोटों की एक नयी सिरीज जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो नये नोटों के अनुचित्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) नये नोट कब से प्रचलित होंगे; और

(घ) क्या पहले के नोट भी चलते रहेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने दो रुपये के नोटों की एक नयी श्रृंखला (सीरिज़) जारी की है।

(ख) नया नोट लाल-भूरे रंग का है जिसमें पीले-हरे, नारंगी, बैंगनी और जैतूनी-हरे रंगों की इन्द्रधनुषी झलक है। इस परिवर्तन को छोड़कर, नया नोट, अन्य सभी बातों में, मौजूदा नोट के समान है।

(ग) ये नोट नागपुर से 14 सितम्बर को चालू किये गये हैं और इस सप्ताह रिजर्व बैंक के दूसरे कार्यालयों से जारी कर दिये जायेंगे।

(घ) जी, हां।

मद्रास राज्य में ग्रामीण जल सम्भरण परियोजनायें

2240. श्री राजाराम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मद्रास राज्य में कुल कितनी ऐसी ग्रामीण जल सम्भरण परियोजनाएं हैं जिनके लिए संघ सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहायता दी हैं; और

(ख) अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 102 परियोजनायें।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र की सभी केन्द्र सहायियत योजनाओं के लिये जिनमें ग्राम जल पूर्ति योजनायें भी सम्मिलित हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में मद्रास सरकार को 441·03 लाख रुपये सहाय्यानुदान के रूप में दिये गये हैं। ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के लिये अलग से आंकड़े बतलाना संभव नहीं है क्योंकि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान पद्धति अनुसार धन का नियतन योजना-वार न होकर योजनाओं के व्यापक समूहों अथवा वर्गों के लिये होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को जल व्यवस्था के लिय ग्राम क्षेत्रों में विशेष जांच प्रभाग खोलने के लिये 3·32 लाख रुपये का सहाय्यानुदान भी दिया गया है।

मद्रास राज्य में कोढ़ उन्मूलन

2241. श्री राजाराम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1964–65 में मद्रास राज्य को कोढ़ उन्मूलन के लिये कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) 1965–66 में उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) कोढ़ नियंत्रण योजना स्वास्थ्य मन्त्रालय की केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में से एक है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये योजनावार निधि का वंटन नहीं किया जाता है परन्तु योजनाओं बड़े ग्रूपों या उनके वर्गों के लिये प्रत्येक वर्ष के अन्त में सहायक अनुदान मंजूर किया जाता है। 1964–65 के दौरान मद्रास को 82.02 लाख रुपये (जिसमें मलेरिया फाईलेरिया, चेचक और तपेदिक रोगों की योजनाओं के लिये वस्तु के रूप में दिये जाने वाली 10.60 लाख रुपये की सहायता भी शामिल है) की पिण्ड राशि सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये जिस में कोढ़ उन्मूलन योजना भी शमिल है, देना मंजूर किया गया है। राज्य सरकार ने 1964–65 के लिये राज्य में कोढ़ नियंत्रण योजना के लिये 5.41 लाख का प्रबन्ध किया है।

इसके अलावा, 1964–65 में राज्य में स्वेच्छा से काम करने कोढ़ संस्थाओं को 43.112 रुपये का अनुदान दिया गया है।

(ख) उपर बताई गई पद्धति के अनुसार 1965–66 के लिये राज्य स्वास्थ्य योजना के लिये जिस में कोढ़ नियंत्रण योजना भी शामिल है 99.31 लाख रुपये रखे गये हैं। 1965–66 के वर्ष के लिये राज्य सरकार ने राज्य में कोढ़ नियंत्रण योजना के लिये 6.57 लाख रुपये का प्रबन्ध किया है। उन योजनाओं पर जो वास्तविक व्यय होगा, राज्य सरकारें उसमें से अनावर्ती व्यय का 75 प्रतिशत और आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त कर सकेंगी।

मद्रास राज्य में परिवार नियोजन

2242. श्री राजा राम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को हाल में मद्रास सरकार से परिवार नियोजन सम्बन्धी कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

कावेरी से बिजली बनाना

2243. श्री राजा राम : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी के बहते पानी से बिजली बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

मद्रास में ग्रामीण आवास योजना

2244. **श्री राजा राम :** क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 में मद्रास में ग्रामीण आवास योजना के लिये कितनी रकम नियत की गई और अब तक वास्तव में कितनी रकम खर्च की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : मद्रास राज्य में चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास योजना के लिए 5 लाख रुपये की निधि नियत की गयी है । तथापि प्रथम चार महीनों में अर्थात् अप्रैल से जुलाई 1965 तक उनके द्वारा कोई खर्चा नहीं किया गया है ।

केरल में विद्युत् परियोजनायें

2245. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य द्वारा भेजी गई विद्युत् परियोजनाओं की सूची की गई अन्तिम रूप से जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ; और

(ग) कितनी परियोजनायें स्वीकार कर ली गई हैं तथा उनके लिये कितनी रकम की मंजूरी दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4871/65 ।]

Bagmati Scheme

2246. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri N. P. Yadab :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to take over the Bagmati Scheme for execution during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the estimated benefits likely to accrue from this scheme?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Government of Bihar propose to take up a comprehensive flood control scheme as also an irrigation scheme on the Bagmati river during the Fourth Five Year Plan.

(b) The flood control scheme is expected to protect an area of 455 sq. miles in Bihar and the Irrigation Scheme is expected to irrigate an area of about 1·78 lakh acres.

पंजाबी सूबा आन्दोलन में पेंशनरों का भाग लेना

2247. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **वित्त** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 687 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पेंशनरों को, जिन्हों ने पंजाबी सूबा आन्दोलन में भाग लिया था, अब फिर पेंशन मिलनी शुरू हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी): (क) सैनिक पेंशनरों के तीन मामले सरकार के सामने लाये गये हैं। इन मामलों में पेंशन फिर से चालू कर दी गयी है। असैनिक पेंशनर का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

सामान्य अंशों में (ईक्विटी) में पूंजी लगाना

2248. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या वित्त मंत्री 25 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नये औद्योगिक उद्यमों में सामान्य अंशों (ईक्विटी) में पूंजी लगाने के सम्बन्ध में 24 दिसम्बर, 1964 को घोषित की गई कर ऋण प्रमाणपत्र योजना के परिणामों का अनुमान लगाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : कर-जमापत्र योजना (टैक्स क्रैडिट सर्टिफिकेट स्कीम) को, जिसकी घोषणा लोक-सभा में 24 दिसम्बर, 1964 को की गयी थी, अब वित्त विधेयक, 1965 में शामिल कर लिया गया है। इस बीच योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और अनुमान है कि उसे जल्दी ही अधिसूचित कर दिया जायगा। निवेश सम्बन्धी वातावरण में सुधार करने के लिए सरकार ने हाल में जो कई उपाय किये हैं—जैसे एकक न्यास (यूनिट ट्रस्ट) और औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी०) की स्थापना, 1965–66 के बजट और अगस्त 1965 के अनुपूरक बजट में करों सम्बन्धी रियायतें देना और कुछ नियंत्रणों को ढीला करना—कर-जमापत्र योजना उनमें से एक है। इसलिये यह महसूस किया जा सकता है कि यह अनुमान लगाना कठिन है कि नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सामान्य शेयरों में पूंजी लगाये जाने पर, इन उपायों में से प्रत्येक का अलग से क्या प्रभाव पड़ा है।

चित्तौनी बांध

2249. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़ी गंडक नदी कीतबाही से चितौनी बांध की सुरक्षा के लिये दीर्घकालीन उपाय निकालने के लिये एक तकनीकी समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन हैं और निर्देशपद क्या हैं ; और

(ग) क्या कोई प्रतिवेदन दिया गया है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति निम्न प्रकार से बनी है :—

(1) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग . . .	अध्यक्ष
(2) मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) उत्तर प्रदेश . . .	सदस्य
(3) मुख्य अभियन्ता (सिंचाई), बिहार . . .	सदस्य
(4) मुख्य अभियन्ता, उत्तर पूर्वी रेलवे . . .	सदस्य
(5) मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियन्त्रण, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग	सदस्य-सचिव

विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) चितौनी घाट तक नेपाल-यू० पी०-बिहार सीमा के त्रिसंगम के अनुस्त्रोत दक्षिण तट पर की पहुंच के विशेष संदर्भ में बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ समस्या का पुनरवलोकन करना।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नदी के दक्षिण तट पर निर्मित विविध संरक्षण कार्यों सहित चितौनी बंध द्वारा भूतकाल में किये गये संरक्षण को निर्धारित करना।

(3) कुछ वर्षों की बाढ़ ऋतु के दौरान इस तटबंध द्वारा भूतकाल में किये गये अपर्याप्त संरक्षण के लिये उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करना।

(4) बंध और इस के विविध संरक्षण कार्यों का निर्माण किस तरह किया जाए कि वे प्रभावकारी हों और सुरक्षा प्रदान करें इसके लिये मानक तैयार करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रणाली में सुधार लाने के लिये सुझाव देना।

(ग) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1965 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी।

बिहार में सोन बान्ध

2250. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सोन बांध का कंक्रीट का लम्बा ढांचा पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बांध से कितनी भूमि में सिंचाई हो सकेगी ;

(ग) क्या लोहे के फाटक, स्लिपवे, तथा जल कपाट बनाने में कोई कठिनाई हैं ; और

(घ) सड़क पुल यातायात के लिये कब खोला जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कपाटों और हवियों के प्रतिष्ठापन को छोड़ कर बराज का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(ख) इस नये बराज से वर्तमान सोन नहर की 7.32 लाख एकड़ भूमि के स्थान में सिंचाई पक्की हो जाएगी। सोन पुनर्रूपण कार्यों के पूर्ण हो जाने पर 3.07 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो जाएगी। जब दोनों सोन उच्चस्तरीय नहरें स्वीकार हो जाएंगी और उनका निर्माण हो जाएगा, तब 2.52 लाख एकड़ और शुद्ध क्षेत्र में भी सिंचाई की जाएगी।

(ग) कपाटों के लिये अपेक्षित विदेशी सामग्री प्राप्त करने और देशी संसाधनों से इस्पात प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई है। आशा है कि कपाटों का प्रतिष्ठापन 1966 में पूर्ण हो जाएगा।

(घ) बराज पर सड़क पुल को यातायात के लिये 2 अक्तूबर, 1965 को खोल देने की संभावना है।

उत्तरी कोइल नदी पर उंचा बांध

2251. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त सिंचाई सुनिश्चित करने के लिये बिहार सरकार ने सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोइल नदी पर 160 फुट उंचा बांध बनाने की एक योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना का कार्य आरम्भ करने के लिये आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार सरकार ने अपनी चौथी योजना में इस परियोजना को शामिल करने के लिये प्रस्ताव रखा है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इस परियोजना की रिपोर्ट और प्राक्कलन की जांच कर रहा है। अतः इस समय परियोजना पर कार्य आरम्भ करने की अनुमति का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पताल में मरी महिला की हड्डी में लोहे का टुकड़ा

2252. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये जांच का आदेश दिया है कि 9 जून, 1965 को दिल्ली के एक अस्पताल में मरी एक स्त्री की हड्डी में आठ इंच लम्बा लोहे का टुकड़ा कैसे पाया गया ;

(ख) यदि हां तो, जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(ग) इस के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) इस जांच पड़ताल के निष्कर्षों के अनुसार श्रीमती फूलवंती की हड्डी में सर्जिकल आपरेशन के समय एक कुण्ट्स्कार कील लगा दी गई और हड्डी के जुड़ने के लिये इसे वहीं रखने के लिये लगाया गया था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता। उपर्युक्त शल्य चिकित्सा विधि एक सुविख्यात एवं स्वीकार्य तकनीक है।

दिल्ली में मकान

2253. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि आगामी दस वर्षों में दिल्ली की बढ़ती हुई जन संख्या के लिये लगभग कितने मकानों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए मकानों की इस समस्या को कैसे हल करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी हां। अगले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली में बनने वाले मकानों की लगभग संख्या जैसे कि दिल्ली के लिए मास्टर प्लान से संबंधित निर्माण कार्य के अध्ययन (वर्क-स्टडीज़) में अनुमानित है, निम्न प्रकार है ;

1966-75 के दौरान प्रस्तावित आवास कार्यक्रम

क्रम संख्या	मद	चौथी योजना में अर्थात् 1966-71 में बनाये जाने वाले मकानों की संख्या	पांचवी योजना में अर्थात् 1971-76 में बनाये जाने वाले मकानों की संख्या	कुल
1.	सरकारी मकान . .	30,000	37,000	67,000
2.	अनधिकृत (स्क्वैटर्स) तथा कम लागत के मकान .	25,000	25,000	50,000
3.	निजी मकान .	95,000	127,500	222,500
	कुल .	150,000	189,500	339,500

सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में आवास-कार्यक्रम को अधिक बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दामोदर घाटी निगम

2254. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में दामोदर घाटी परियोजना से उत्पन्न सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ; और

(ग) कम उपयोग होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) : 1964-65 के दौरान खरीफ सिंचाई के लिये 7,15,000 एकड़ की और रबी सिंचाई के लिये 55,000 एकड़ की सम्भाव्यता उत्पन्न की गई थी। इसके प्रति खरीफ के लिये 6,53,816 एकड़ और रबी के लिये 37,983 एकड़ में वास्तविक उपयोग किया गया।

(ग) खरीफ फसलों में कमी आवश्यक जल मार्गों और क्षेत्र-नालियों के अपूर्ण रह जाने के कारण हुई है। आशा है कि रबी सिंचाई में जो थोड़ी सी कमी रह गई है उसको पूरा कर दिया जाएगा।

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली

2255. **श्री हुकुमचन्द कछवाय :** क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल के निर्माण का सब से कम दर का टेंडर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुसूचित दरों से 1/7 प्रतिशत था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह टेंडर, जो पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुसूचित दरों से साढ़े बारह प्रतिशत अधिक था, दो प्रतिशत कम कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निम्नतम टेण्डर स्वीकार न करने की क्या परिस्थितियां हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : संभवतः अगस्त 1955 अर्थात् लगभग 10 वर्ष पूर्व दिये गये काम की ओर संकेत है। अशोक होटल का निर्माण उस सबसे कम टेंडर देने वाले को नहीं दिया गया था जिसने कि 1950 की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुसूचित दर से 1/7 प्रतिशत कम कोट किया था, क्योंकि होटल परियोजना के प्रवर्तकों के द्वारा वह इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की 1950 की अनुसूचित दर से $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक टेंडर कोट करने वाले से बात चीत की गयी थी क्योंकि वह विश्वसनीय समझा जाता था तथा उसने अपने कुटेशनो को $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत अधिक कर दिया था। निर्माण कार्य उसी को दे दिया गया था।

राज्य सरकारों को विदेशी मुद्रा

2256. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री बाडिवा :
श्री चाण्डक :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(ख) उन शीर्षों का ब्यौरा क्या है जिन के अन्तर्गत यह विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : जैसा कि 25 मार्च, 1965 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1566 के उत्तर में बताया गया था, वर्तमान प्रणाली के अनुसार, विदेशी मुद्रा का निर्धारण राज्य-वार नहीं किया जाता। राज्य सरकारों से विभिन्न प्रयोजनों और पायोजनाओं के लिये जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति की दृष्टि से समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार, उनके गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है। निर्धारित/दी गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Irwin Hospital

2257. Shri Bagri : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an air-conditioning plant of Irwin Hospital was burnt on 28th June, 1965;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the total loss sustained as a result of accident; and

(d) the persons responsible therefor?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayyar) : (a) to (d). The motor of the sealed compressor was burnt on account of fluctuating voltage. The estimated cost of repairing the motor is about Rs. 700.

हैजा

2258. **श्री द० ब० राजू :**
श्री बागड़ी :
श्री कोल्ला वैंकया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष हैज़ा रोग में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) इस को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी हैं ; और

(ग) 1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च 1965 तक राज्यवार कितने व्यक्तियों को हैज़ा हुआ तथा उन में से कितने व्यक्ति मर गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केरल, असम, गुजरात और मध्यप्रदेश, जहां की हैजे के रोगियों में वृद्धि हुई है, के अलावा शेष सभी राज्यों में और संघ क्षेत्रों में हैजे के रोगियों की काफी कमी हुई है।

(ख) सम्बंधित राज्य सरकारों ने आवश्यक निरोधक तथा पूर्वाधायी कदम उठाये हैं जैसा कि टीके लगाने के आन्दोलन को तेज करना, पीने के पानी के स्त्रोतों को कीटाणु रहित करना और प्रभावित क्षेत्रों में रोगियों के लिये अस्पतालों की स्थापना करना।

(2) केन्द्रीय सरकार ने विशेषज्ञ दलों को प्रभावित क्षेत्रों में, हैजा फूटने के कारण जानने और इस को राकने के लिये उचित उपायों का सुझाव देने के लिये नियुक्त किया था और उन्होंने उन राज्य सरकारों को हैज़ा के टीकों की दवाई अधिक मात्रा में भेजने के भी प्रबन्ध किये थे जिन्होंने इस के लिये कहा था ।

(ग) 1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च, 1965 की अवधि के दौरान जिन राज्यों में जितनी संख्या में हैजा से जितने व्यक्ति पीड़ित हुये तथा जितने मरे वे इस प्रकार हैं :—

राज्य	रोगियों की संख्या	मृतकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	14,011	5,045
असम	785	311
बिहार	3,354	1,143
गुजरात	1,353	118
जम्मू और काश्मीर	..	..
केरल	1,719	183
मद्रास	5,338	1,171
मध्य प्रदेश	961	392
महाराष्ट्र	10,124	2,466
मैसूर	3,204	1,041
उड़ीसा	818	370
उत्तर प्रदेश	749	191
पश्चिमी बंगाल	4,192	1,448
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	1	..
मनीपुर	125	44
पांडीचेरी	228	29
जोड़	46,962	13,952

Designing of Thermal Power Stations

2259. Shri Bagri :
Shri D. C. Sharma :
Shri Mahadeva Prasad :
Shri Baswant :
Shri Ram Sewak :
Shri P. G. Sen :
Shri Kapur Singh :
Shri Solanki :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have entered into an agreement with the U. S. S. R. Government under which Russia would impart training to Indian Engineers in designing Thermal Power Stations;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) whether a copy thereof will be laid on the Table?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) A proposal is under consideration to obtain the services of five Soviet Specialists to asist the Thermal Designs Organisation of the Central Water and Power Commission.

(b) The detailed terms and conditions are under negotiation.

(c) Does not arise.

अंग्रेजों की प्रतिमायें

2260. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ वर्षों में राजधानीके महत्वपूर्ण स्थानों से ब्रिटिश वायसरायों और जनरलों की जो प्रतिमाएं हटाई गई हैं क्या उनको उपयुक्त स्थानों पर रख दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उनको कहां रखा गया है और दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों से ऐसी कितनी और प्रतिमाएं अभी हटानी बाकी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : बारह में से नौ प्रतिमायें हटाई जा चुकी हैं। इनमें से दो विक्टोरिया मेमोरियल हाल कलकत्ता में हैं तथा एक रायल स्कूल, दुनगोना, नार्थन आईलैंड को हस्तान्तरित कर दी गयी। अन्य प्रतिमायें प्रदर्शनी मैदान में रख दी गई हैं। इनको पुरानी दिल्ली में कोरोनेशन पिलर के नज़दीक विकास किये जाने वाले प्रस्तावित पार्क में स्थापित कर दिया जायेगा।

आयकर कर्मचारी

2261. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी आयकर दफ्तरों मे अनेक ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है और जिन्हें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के न्यूनतम वेतन के बराबर भी वेतन नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या ये कर्मचारी इस रूप में 10 वर्ष से भी अधिक से काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसको ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) विभिन्न आयकर दफ्तरों में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें आकस्मिकता निधि में से मजदूरी दी जाती है। ऐसे व्यक्ति उस काम पर लगाये जाते हैं जिसके लिये नियमित पूरे समय कार्य करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती। मौजूदा नियमों के अधीन वे बाजार दर या सूची में दिये गये तुलनात्मक कामों के लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नियत कमसे कम मजदूरी में से जो भी अधिक हो, उसके मुताबिक मजदूरी पाने के हकदार हैं।

(ख) आकस्मिकता निधि में से भुगतान किये जाने वाले 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस तरह 10 वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं।

(ग) ऐसे कर्मचारियों को नियमित संस्थापन में लेने के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है ऐसी एक समीक्षा हाल ही में शुरू की गई थी और वे सभी पद जो नियमित संस्थापन में लाये जाने योग्य होंगे उन्हे नियमित बना दिया जायगा।

राज्यों में उद्योग का विकास

2262. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंच वर्षीय योजना अवधि में वर्तमान उद्योगों के विकास अथवा विस्तार के लिए प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी कितनी राशि दी गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : बड़े तथा मझोले उद्योगों और ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों के लिए तीसरी योजना में स्वीकृत व्यय-व्यवस्था तथा सम्भावित खर्चे को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4872/65**]

तुंगभद्रा नहर

2263. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1577 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना के लिये मांगी गयी चालू वर्ष के लिये 155.40 लाख रु० की अतिरिक्त ऋण सहायता इस बीच दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 175.46 लाख रु० की सहायता को घटा कर 125 लाख रु० करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : जी, नहीं। मामला विचाराधीन है।

(घ) इस बात का विचार करते हुए कि चरण 1 में कुछ ऐसी मदें होंगी जिनको जून, 1966 की लक्ष्य तिथि के बाद भी जारी रखा जा सकता और कि राज्य सरकार अपने आप ही कुछ संसाधन ढूंढ निकालने में समर्थ हो सकती है, 1964-65 के लिये अतिरिक्त सहायता को कम कर दिया गया।

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण

2264. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ समस्या पर विचार करने तथा बाढ़ नियंत्रण उपायों का सुझाव देने के लिये कोई विश्लेषण समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या कोई प्रतिवेदन किया गया है ;

(घ) यदि हा, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ङ) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) (1) श्री मोती राम, सलाहकार, सिंचाई व बिजली मंत्रालय — अध्यक्ष

(2) श्री एम० एल० बाही, मुख्य अभियन्ता, (यमुना बराज) पंजाब — सदस्य

(3) श्री किशोरी लाल, मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) राजस्थान सरकार — सदस्य

(4) श्री वी०आर० वैश, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (भूमि) दिल्ली प्रशासन — सदस्य

(5) श्री के०सी० खत्री, निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (अब वे दिल्ली प्रशासनमे मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण हैं) — सदस्य-सचिव

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4873/65 ।]**

राजस्थान में आवास सर्वेक्षण

2265. **श्री तर्नसिंह** : क्या **निर्माण** और **आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में संख्याविदों द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि राजस्थान के आधे से अधिक लोग एक कमरे वाले मकानों में रहते हैं ;

(ख) क्या इनमें से 50 से 60 प्रतिशत मकान ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक मकान में 4 से 10 सदस्यों का एक परिवार रहता है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में मकानों की स्थिति सुधारने के लिये कितनी सहायता दी है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) जी हां, 1961 की जनगणना के अनुसार लगभग 51 प्रतिशत गृहस्थियां एक कमरे के टैनमैन्टों में रहती थीं।

(ख) जी हां, जयपुर शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में।

(ग) विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के लिए अब तक केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को 4.92 करोड़ रुपये दिये हैं। इसी प्रयोजन के लिए 3.9 करोड़ रुपये की एक अन्य राशि भारत के जीवन बीमा निगम की उपलब्ध निधि में से दी गयी है।

जोधपुर बैंक

2266. श्री विभूति मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी परिसमापक, जोधपुर बैंक के कार्यालय में, उसके पद ग्रहण करने के बाद, गबन की एक घटना हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि गबन की गई ;

(ग) क्या सरकार ने कार्यालय का निरीक्षण किया है; और

(घ) क्या सरकार ने सरकारी परिसमापक के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) और (ख) : सरकारी परिसमापक, जोधपुर बैंक, जैसा कोई पदाधिकारी नहीं है । फिर भी फरवरी, 1965 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, से संलग्न सरकारी परिसमापक के कार्यालय में 51,400 रुपये के गबन का पता लगा था ।

(ग) समवाय विधि बोर्ड के प्रादेशिक निदेशक द्वारा उस कार्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता था ।

(घ) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, सरकारी परिसमापक जो कि अंशकालिक अधिकारी था, के स्थान पर पूर्णकालिक सरकारी परिसमापक लगा दिया गया है और उसको कहा गया है कि वह सारे रजिस्टर तैयार करे और लेखा तथा रोकड़ वही अनुरक्षण संबंधी सब आदेशों का पालन करे । पुलिस ग़बन के मामले की जांच कर रही है और यदि आवश्यक हुआ तो पहले सरकारी परिसमापक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ।

सरकारी क्षेत्र में उपक्रम

2267. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुल उत्पादन और इस अवधि में उन के द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा के साथ इसका क्या अनुपात है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिगरेट पीना

2268. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति की डिक्री की तरह का कोई प्रस्ताव है कि प्रत्येक सिगरेट के डिब्बे पर यह लिखा जाय कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो आदेश कब जारी किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

फरीदाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

2269. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1964 से नगर भत्ता और मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या 1 अप्रैल, 1964 से उक्त भत्तों को देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) फरीदाबाद में रहने वाले और वहीं पर कार्य करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अभी तक किसी नगर भत्ता अथवा मकान किराया भत्ता के पात्र नहीं हैं। तथापि ऐसे कर्मचारी जो कि दिल्ली में रहते हैं लेकिन फरीदाबाद में कार्य करते हैं उन्हें 1-7-65 से दिल्ली की दर पर नगर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत नगर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता पूर्वव्यापी स्वीकृत नहीं किया जाता। फरीदाबाद को 'ग' वर्ग (सी क्लास स्थान 50,000 और इसके अधिक जनसंख्या वाला नगर) में शामिल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

राष्ट्रीय बचतों में निगमित क्षेत्र का योग

2270. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किये गये हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में वास्तविक राष्ट्रीय बचत में निगमित क्षेत्र का योग 5.3 प्रतिशत से अधिक नहीं है जब कि अन्य अनेक देशों में यह योग 18 से 20 प्रतिशत तक होता है और इसके लिये भारत की कर-व्यवस्था जिम्मेवार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णाम्माचारी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद द्वारा हाल में की गयी एक समीक्षा के अनुसार, 1950-51 से 1961-62 तक की अवधि में वास्तविक (नेट) राष्ट्रीय बचत में निगमित क्षेत्र (कार्पोरेट सैक्टर) का हिस्सा औसतन 5.3 प्रतिशत था। भारत के मामले में इस प्रतिशत के कम होने का अधिकांश कारण भारत की कर प्रणाली नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए यहां के निगमित क्षेत्र का अपेक्षाकृत छोटा होना है।

राणा प्रताप सागर बांध

2271. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्य, जो कि चम्बल शृंखला की तीन बड़ी परियोजनाओं में से एक है, कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विलम्ब का चम्बल शृंखला के अन्य कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अनुसूचित समय लगभग 6 मास पश्चात राणा प्रताप सागर परियोजना के चालू होने की सम्भावना है।

(ख) देरी के ये कारण हैं—नींव खोदते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिस से विशेष प्रतिकारक उपाय करने आवश्यक हो गए; बिजली घर के लिये नया स्थल ढूंढना पड़ा और इस्पात, सीमेंट तथा विदेशी मुद्रा की कमी हो गई।

(ग) परन्तु इसका चम्बल शृंखला के अन्य कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बाढ़ों को रोकने के लिये रूसी परियोजना

2272. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रायपुरे :
श्री कनकसबै :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने नदियों की बाढ़ो से होने वाले विनाश को रोकने के लिये किसी परियोजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आय-कर अधिकारी

2273. **श्री कपुर सिंह :**
श्री सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले पांच-वर्षों में आय-कर विभाग में बढ़ते हुए कार्य के लिये लगभग 500 आय-कर अधिकारियों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) अगले पांच वर्षों में आयकर विभाग में काम की प्रत्याशित वृद्धि के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ख) इन पदों पर भर्ती नियमों के अनुसार होगी।

कनिष्ट तकनीकी स्कूल

2274. **श्री बासप्पा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वेक्षण के अनुसार देश में कनिष्ठ तकनीकी स्कूलों को दी जाने वाली सुविधाओं का काफी दुरुपयोग होता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। कनिष्ठ तकनीकी स्कूलों के वास्तविक सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि इन स्कूलो में जो विद्यार्थी भर्ती होते हैं उनमें तीन वर्ष के बाद 100 में से केवल 36 विद्यार्थी सफल होते हैं। इन सफल विद्यार्थीयों में से केवल 18 उद्योगों में रोजगार के लिए काम करते हैं।

(ख) चौथी योजना की तैयारी के अंग के रूप में योजना आयोग ने यह सर्वेक्षण किया। अत: चौथी योजना के प्रस्तावों को अन्तिमरूप देते समय कनिष्ठ तकनीकी स्कूलों की योजना मे सुधार लाने के समुचित उपायों पर विचार किया जायेगा।

भूमि सुधार

2275. **श्री बासप्पा :**

श्री दे० जी० नायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार तथा काश्तकारी कानूनों को प्रभावपूर्ण क्रियान्विति के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान के सलाहकार श्री वुल्फ लडेंजिस्की की सिफरिशों में बताये गये उपायों को मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : 'सधन कृषि जिलों में पट्टेदारी व्यवस्था का अध्ययन' प्रकाशन में सम्बद्ध राज्य सरकारों के विचार दिये गये हैं।

नगरों का वर्गीकरण

2277. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नगरों की जनसंख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनके वर्गीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

नगरों के स्थानीय निकायों के वित्तीय साधन

2278. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 4 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों के स्थानीय निकायों के वित्तीय साधनों को बढ़ाने के बारे में स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार और प्रतिक्रियायें केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की सरकारों के मत क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : सारे राज्यों से अभी अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। जैसे ही यह उत्तर प्राप्त हो जायेंगे इनके बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Machinery lying idle in Government of India Presses

2279. Shri Nardeo Snatak : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of machines in all the Government of India Presses are lying idle and as a result thereof the production is adversely affected;

(b) if so, the names of the Presses where the machines are lying idle and the number of such machines and the reasons therefor; and

(c) the number of such machines which were imported from abroad but Operators were not appointed to operate them for a long time?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No. There are 12 Government of India Presses located in various parts of the country. Of these, there has been no idling of machinery in three, and in the remaining nine the percentage of machines remaining idle to the number installed varies from 1·5 to 20.

(b) A statement giving the requisite information is attached. **[Placed in the Library. See No. 4874/65].**

(c) Nine.

कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी लिमीटेड

2280. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम की शर्तों के अनुसार ब्रिटेन के स्वामित्व वाली कलकत्ता की ट्रामवे कम्पनी के राष्ट्रीयकरण पर होने वाली लागत का स्टर्लिंग मे भुगतान करने का दाईत्व स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या मरम्मत और नवीकरण के लिये अपेक्षित राशि न दे कर, जो कि अधिनियम के अनुसार, अतिरिक्त राजस्व के सर्वप्रथम देय होती है, शुद्ध लाभ को बढ़ा कर दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकरण के समय दी जाने वाली राशि पर होने वाले इसके प्रभाव का अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) क्या 1950 से पहले और 1951 के अधिनियम के पारित होने के बाद, जिसमें ट्रामवे के राष्ट्रीय-करण की शर्तें निर्धारित की गई हैं, ट्रामवे कम्पनी के लेखे और तलपटों को जांच करने के लिए सरकार का एक समिति बनाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1951 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 25 राज्य सरकार और कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के मध्य हुए करार की पुष्टि करता है। इस करार में अन्य बातों के साथ साथ ब्रिटेन तथा भारत में प्रचलित मुद्रा विनिमय नियमों और अन्य सम्बद्ध नियमों की अधीनता के अनुसार कुल राशि के स्टर्लिंग में भुगतान करने की व्यवस्था है। संभवत: इस प्रकार के भुगतान के लिए अवसर आने पर आवेदन पत्र दिया जायेगा। इस अवस्था में सरकार द्वारा स्ट्रर्लिंग में राशि के भुगतान के दायित्व की स्वीकृति का प्रश्न नही उठता।

(ख) कम्पनी के जांचे हुए लेखे मरम्मत और नवीकरण संबंधी राशियों के बटवारे को प्रकट करते हैं। इस दिशा में किसी शिकायत के बिना तथा लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की अनुपस्थिति में इस सन्देह का कोई युक्तियुक्त आधार दिखाई नहीं देता कि लाभों को बढ़ा कर दिखाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नहीं, श्रीमन जी।

कलकत्ता ट्रामवेज़ कम्पनी लिमिटेड

2281. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की ब्रिटिश ट्रामवेज़ कम्पनी के आयकर से मुक्त नवीकरण तथा अवक्षयण रक्षित निधियों का उपयोग निर्धारित प्रयोजनों के लिये ही किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि 1947 से अब तक सामान्य रक्षित निधि तथा नवीकरण निधी अधिकांशत: बाद वाली निधि में से 700,000 पौंड की राशि का उपयोग नये विस्तार कार्यों के लिये किया गया है जिसके कारण बदलाव तथा नवीकरण निधि में बहुत कम राशि रह गई है; और

(ग) क्या इस ब्रिटिश कम्पनी की इन तथा अन्य अनियमिताओं की जांच करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कम्पनी के जांचे हुए खातों से यह पता चलता है कि मरम्मत तथा नवीकरण के लिए अलग रखी ग रक्षित राशियों में से कुछ का उपयोग मरम्मत और नवीकरण आदि के लिए किया गया है और लेखा परीक्षकों ने लेखों को ठीक प्रमाणित कर दिया है ।

(ख) 1947 से कम्पनी के खातों के ब्यौरेवार परीक्षण के बिना यह बताना संभव नहीं कि कितनी राशि, यदि कोई है भी तो, सामान्य रक्षित निधि तथा नवीकरणनिधि से विस्तार कार्यों के लिए निकाली गई। 31–12–1963 को राजस्व रक्षित निधि के नाम पर 376,965 पौंड जमा थे। इसमे 73,736 पौंड राजस्व विनियोजन खाते के और 303,229 पौंड नवीकरण तथा बदलाव के खाते के शामिल हैं।

(ग) अभी तक उल्लिखित अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत नहीं रही और न ही लेखा परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी ही दी गई है। फिर भी यदि कोई सन्देह हो तो समवाय अधिनियम की धारा 234 के अधीन समवाय पंजीयक को अधिकार है कि वह और जानकारी अथवा आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए कम्पनी को कहे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पंजीयक इस अधिकार का प्रयोग करेगा यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

तापीय बिजली घर

2282. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड पथराट् तापीय बिजली घर पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के बन्देल तापीय बिजली घर और दुर्गापुर परियोजना के कोक भटठी विद्युत् संयंत्र के विस्तार की मंजूरी कब दी गई थी और क्या मंजूरी दिये जाने से पूर्व उपरोक्त प्रत्येक मामले में विद्युत् बनाने और उसके उपयोग संबंधी मांगों पर ध्यान दिया गया था; और

(ख) इन बिजली घरों से अब तक कितनी बिजली ली जा चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पथ्रट् ताप केन्द्र को सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियन्त्रण संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति ने 3–8–65 को स्वीकार कर लिया था, परन्तु इस को अभी औपचारिक रूप से स्वीकार करना है। बंदेल ताप केन्द्र और दुर्गापुर के कोक ओवन प्लांट के प्रथम विस्तार को क्रमश: जनवरी, 1961 और जनवरी, 1960 में स्वीकार किया गया था। दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट के द्वितीय विस्तार को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ एक स्पष्टीकरण नहीं भेजे हैं; जब कि इस के तृतीय विस्तार को अक्तूबर, 1963 में स्वीकार

किया गया था। इन स्कीमों को बनाते समय बिहार और पश्चिम बंगाल के संबद्ध क्षेत्रों की प्रत्याशित भार मांगों पर उचित रूप से विचार किया गया था। जहां कहीं स्वीकृति दी गई है, प्रत्याशित भार मांगों के आधार पर दी गई है।

(ख) पथ्रट्ू ताप केन्द्र, बंदेल ताप केन्द्र और दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट के तृतीय विस्तार को अभी तक चालू नहीं किया गया है। दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट के द्वितीय विस्तार को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इस लिये इन से आशयित भार मांग को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता। दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट के प्रथम विस्तार से आशयित भार मांग पूरी कर ली गई है। दुर्गापुर कोक ओवन बिजली केन्द्र पर इस समय प्रतिष्ठापित कुल 210 मैगावाट के प्रति वास्तविक उत्पादन क्षमता 135 मैगावाट है। इस बिजली केन्द्र की वर्तमान मांग 160 मैगावाट है।

केन्द्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क का नवीन निदेशालय

2283. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आम जनता पर नये उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये सरकार ने एक नया निदेशालय स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति की कर-अनुसंधान तथा आयोजन निदेशालय स्थापित करने की सिफारिश को सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है तथा उक्त निदेशालय बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

इस सम्बन्ध में वित्त (सं० 2) विधेयक, 1965 के साथ लगे वित्तीय ज्ञापन के उप-खण्ड (ङ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें उन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिनके लिये यह निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

केरल भूमि सुधार अधिनियम

2284. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) केरल में भूमि संबंधी न्यायाधिकरणों की संख्या घटाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) भूमि सुधार अधिनियम द्वारा केरल से विचोलिया पट्टेदारी को समाप्त करने में कहां तक सफलता मिली है; और

(घ) अब तक कितनी खरीद की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाइयां ध्यान में आई हैं। इन कठिनाइयों को, नियमों या प्रशासनिक हिदायतों में हेरफर कर या अधिनियम में संशोधन कर किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) केरल में भमि सम्बन्धी न्यायाधिकरणों की संख्या घटाई नहीं गई है। काम को शीघ्रता से करने के उद्देश्य से न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में कुछ हेर-फेर कर दिया गया है।

(ग) बिचौलियों की समाप्ति के लिए विशेष कानून पास किये गये हैं, जैसे त्रावनकोर कोचीन इदवगाय अधिकार अधिग्रहण अधिनियम 1955, पट्टाझी देवसवम भूमि (निहित और मताधिकार) अधिनियम, 1961 और जनमीकरम अदायगी (समाप्ति) अधिनियम, 1961, श्री पंडर वका भूमि को निहित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(घ) काश्तकारों द्वारा खरीद के विकल्प की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब तक खरीद के लिए 793 आवेदन-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, इनमें 101 आवेदनपत्रों का निपटान हो चुका है और 17 को भमि दी जा चुकी है। जिस भूमि पर पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता उसका स्वामित्व राज्य सरकार द्वारा स्वयं काश्तकारों को हस्तान्तरण करने के उपबन्धों को उचित लगान निश्चित होने के बाद लागू किया जायेगा।

नानकपुर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

2285. **श्री जेधे** : क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नानकपुर, नई दिल्ली में अधिकतर 'जी' टाइप क्वार्टरों के पीछे के दरवाजे बहुत खराब हालत में हैं तथा उन्हें तुरन्त बदलने की आवश्यकता है;

(ख) क्या लगभग दो वर्ष पहले सभी क्वार्टर अलाटियों ने "जी" डिवीज़न के ऐग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर से इस बारे में शिकायत की थी, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उचित जांच करके खराब हुए दरवाजों की एक सूची तैयार की थी;

(ग) यदि हां, तो अब तक नये दरवाजे न लगाये जाने के क्या कारण है; और

(घ) नये दरवाजे कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : कुछ अलाटियों से शिकायतें प्राप्त होने पर सितम्बर 1964 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नानकपुर में टाईप II के 952 क्वार्टरों का सर्वेक्षण किया था। 109 दरवाजों को बदलने की आवश्यकता पाई गयी। इस कार्य के लिए एक अनुमान (एस्टीमेट) मंजूर किया गया है और आशा है कि 3 से 4 महीने की अवधि में यह कार्य पूरा हो जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरें

2286. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बहुत ऊंची दरों पर बिजली दी जाती है; और

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये टेरिफ अलग अलग नहीं हैं। परन्तु यह सच है कि कुछ राज्यों के कई क्षेत्रों में कृषि और लघु उद्योगों के लिये बिजली के दर अधिक हैं। ऐसी स्थिति इस तथ्य के होते हुए भी है कि बेचे गये किलोवाट घटे के लिये बिजली सम्भरण की वास्तविक औसत लागत आम तौर से कृषि उद्देश्यों से लिये बिजली की दर से अधिक ।

(ख) राज्य बिजली बोर्डो की टैरिफ संरचना आम तौर से उत्पादन, उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई देने के लिये अपेक्षित परिषण और वितरण पथों और आनुषंगिक परिषण साज सामान की लागत और ऊपरी खर्चे के आधार पर निश्चित की जाती है। उत्पादन की लागत उत्पादन के तरीके आया कि यह पानी से है अथवा भाप अथवा डीज़ल से, पर निर्भर होती है। चूंकि समस्त देश में जलीय संसाधानों

और कोयले का वितरण एकसम नहीं है, इस लिये लागत प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होती है । ग्रामीण इलाकों में विद्युत् विस्तार के सम्बन्ध में परिषण और वितरण पथों पर काफी पूंजीगत खर्चा होता है। और भी, इन इलाकों में बिजली भार आम तौर से बिखरा बिखरा होता है। इस से ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई की लागत अधिक हो जाती है। फिर भी, इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर कृषि पर बिजली टैरिफ बहुत अधिक हो वहां उसे कम कर दिया जाए।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, नई दिल्ली में आग लगना

2287. **श्री हरि विष्णु कामत ।**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त को इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के भाण्डागार में लगी आग के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जनरल मैनेजर, दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम द्वारा की गई तहकीकात पूरी हो चुकी है। पुलिस की पूछताछ की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। दिल्ली बिजली संभरण समिति ने इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये एक उप समिति भी बनाई थी। उप समिति ने जनरल मैनेजर के निष्कर्षों को मान लिया है।

(ख) जनरल मैनेजर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के लगभग 13 अधिकारियों को प्रशासनिक त्रुटियों के लिये उत्तरदायी पाया गया है।

(ग) यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी है।

केरल के तटीय क्षेत्रों में ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें

2288. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में हाल ही में फैली हैजे महामारी को ध्यान में रखते हुए, तटीय क्षेत्रों में ग्रामीण जल संभरण योजनाओं की निरन्तर क्रियान्विति के लिये, अतिरिक्त धन के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Water supply and Drainage scheme for Calcutta and other big Cities

2289. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the water supply and drainage scheme has been formulated for Calcutta;

(b) if so, the total outlay of this scheme and the amount contributed by the Government of India therein;

(c) whether there is any proposal to implement such schemes in other big cities also; and

(d) if so, the names of such cities and the time by which these schemes will be implemented?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) A comprehensive water supply and drainage scheme for Calcutta is under preparation by the Calcutta Metropolian Planning Organisation.

(b) Does Not arise at present.

(c) No.

(d) Does not arise.

नई दिल्ली में क्वार्टरों का आवंटन

2290. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री 15 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2298 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1965 में निश्चित योजना के अनुसार टाइप चार के 152 क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इनके आवंटित किये जाने की संभावना है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : क्वार्टरों को अलाट नहीं किया जा सका है क्योंकि उनमें अभी तक दिल्ली नगर निगम के द्वारा पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। जैसे ही निगम के द्वारा पानी की सप्लाई की व्यवस्था हो जायगी अलाटमेंट कर दिये जायेंगे।

राज्यों में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति

2291. श्री बी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना के कार्यक्रमों की बेहतर क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये राज्यों में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को नियुक्त करने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

Gandak Project

2292. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar State Electricity Board under orders of the Government of India had invited tenders about one year back for the supply of machinery for the Gandak Project;

(b) if so, the countries from which the tenders were invited ;

(c) whether it is also a fact that Japan has given financial assistance for this Project.

(d) if so, on what terms; and

(e) whether any extension of the time-limit for placing orders for the machinery has been asked for?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (e). Yes, Sir. The tenders were invited for supply of machinery for the Gandak Project by the Bihar State Electricity Board from Italy, Austria, Yugoslavia, Hungary, France, Sweden and Japan. The import is eligible for being financed under Fourth Yen Credit extended by Japan if the orders for the machinery are placed in Japan. The terms of the Yen Credit which is also available for a large number of other imports are:—

(a) *Amount* : Rs. 28·57 crores.

(b) *Repayment* : 15 years including a grace period of five years for Rs. 19·05 crores and 18 years including a grace period of five years for the balance of Rs. 9·52 crores.

(c) *Rate of interest* : 5·75% per annum.

No extension of the time limit for placing orders for the machinery has been asked for so far.

पहली दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में राज्यों के लिये आवंटन

2293. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजनाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को निम्न मदों के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई :—

(एक) सड़कों का विकास ;

(दो) उद्योग तथा खानें (भारी उद्योगों को छोड़कर)

(तीन) भारी उद्योग

(चार) विद्युत

(पांच) सिंचाई (बड़ी तथा मध्यम) योजनाएं

(छः) कृषि (सामुदायिक विकास, लघु सिंचाई तथा भू-संरक्षण को शामिल कर के परन्तु वनों को छोड़ कर)

(सात) वन ;

(आठ) शिक्षा (सामान्य तथा तकनीकी); और

(ख) क्या प्रत्येक राज्य ने उसको आवंटित की गई राशि का पूर्ण उपयोग किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : सूचना उपलब्ध नहीं है।

समुद्र द्वारा तट-कटाव सम्बन्धी बोर्ड

2294. श्री लखमू भवानी :

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में समुद्र द्वारा तट-कटाव की समस्या की जांच करने के लिये एक बोर्ड नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के क्या कार्य है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केन्द्रीय तट-कटाव बोर्ड को निर्मित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) यह बोर्ड तट-इन्जीनियरी कार्यों के विकास, गवेषणा, डिजाइन और अनुसंधान के कार्यक्रमों पर कार्य करवाने के लिये एक उच्चस्तरीय तकनीकी संस्था होगी।

रद्दी ऊन और ऊनी चिथड़ों पर सीमा शुल्क

2296. श्री मुरली मनोहर :

श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के ऊनी उद्योग ने रद्दी ऊन और ऊनी चिथडों पर जिसे साधारणतया शौडी कहा जाता है, लगे हुए 40 प्रतिशत सीमा शुल्क को हटा लेने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) आवेदन पत्रों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने तय किया है कि रद्दी ऊन और ऊनी चिथड़ों पर बजट प्रस्तावों में लगाये गये शुल्क को हटाने की आवश्यकता नहीं है।

Safdarjang Hospital

2297. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the manner in which Laboratory Technicians are appointed in the Safdarjang Hospital ; and

(b) the total number of appointments made by direct recruitment and by promotion respectively during 1965 so far?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Laboratory Technicians are appointed by selection from amongst the candiates sponsored by the Employment Exchange and departmental candidates who apply for the posts.

(b) By direct recruitment	12
By promotion	1

बैंक आफ चाइना के भूतपूर्व कर्मचारी

2298. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ चाइना के, (जिसे अब परिसमाप्त कर दिया गया है) कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों को अभी तक उनकी भविष्य निधि और अन्य वैध बकाया राशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और प्रत्येक मामले में कितनी राशि देनी बाकी है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : जो रकमें अभी दी जानी हैं वे इस प्रकार हैं:

(i) 22 अधीनस्थ कर्मचारियों को कर्मचारी कल्याण निधि की परिसम्पत्ति में उनके हिस्से के रूप में 11,572 रुपये की रकम; और

(ii) बम्बई शाखा के 9 कर्मचारियों को भविष्य निधियों की देय राशियों के रूप में 12,568 रुपये की रकम और छंटनी संबंधी मुआवजे के रूप में 5404 रुपये की रकम।

परिसमापक से कहा गया है कि वह भूतपूर्व कर्मचारियों से, निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार, छंटनी सम्बन्धी दावे दायर कराये और अन्य अदायगियों के बारे में भी जल्दी करे।

सिंचित भूमि

2299. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचित भूमि कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात में कितनी है; और

(ख) समस्त कृषि-योग्य भूमि में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक देश में कुल कृष्य भूमि से सिंचित भूमि की प्रतिशतता लगभग 19 प्रतिशत होगी ।

(ख) लगभग 44-45 करोड़ एकड़ के कुल कृष्य क्षेत्र में से सभी संभव बृहत तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाने वाला क्षत्र 11.2 करोड एकड़ और छोटी सिंचाई स्कीमों से 7.5 करोड़ एकड़ क्षेत्र, अथवा लगभग 42 प्रतिशत होगा, ऐसी सम्भावना है। इस में से चालू योजना के अन्त तक सिंचाई के अन्तर्गत 19 प्रतिशत क्षेत्र होगा। बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई स्कीमों को, जहां तक संसाधन उपलब्ध होंग, भावी योजनाओं में हाथ में लिया जाएगा।

Irregularities in Department of Printing and Stationery

2300. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that irregularities in the Department of Printing and Stationery are on the increase for some time past;

(b) whether it is also a fact that the out-side printers who were entrusted with the printing of electoral rolls of Delhi in Hindi or English also include such printers who did not deposit the security amount as per conditions laid down in the tender forms; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehar Chand Khanna) : (a) No.

(b) In so far as the printing of electoral rolls is concerned, tenders were directly invited by the Delhi Administration, and the advice of the Printing and Stationery Department was sought only on the reasonableness or otherwise of the quotations received, in terms of the Rules for Printing and Binding. The Printing and Stationery Department was, therefore, not concerned with the terms and conditions of the printing contracts in question.

(c) Does not arise.

असम में बारक नदी परियोजना

2301. श्री नि० रं० लास्कर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में बारक नदी परियोजना सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या निर्णय किये गये है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अनुसन्धान कार्य अभी भी प्रगति कर रहा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Malaria Eradication

2302. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether the work of Malaria Eradication is to be completed shortly; and

(b) if so, the number of persons employed for the said purpose who would lose their jobs in the various states, particularly in U. P., as a result of the same?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes. Out of 393·25 units established under the National Malaria Eradication Programme in the country (including one unit allotted to Bhutan and 0·50 unit to Sikkim) 143 unit areas have so far completed the task of Malaria Eradication and the work in these units has been is being wound up. Another 170 unit areas are at present in an advanced stage of the programme.

(b) In the 143 unit areas spread over the States of Andhra Pradesh, Bihar, Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal that have achieved the task of malaria eradication, 24015 medical and para medical staff including Drivers and another 1,978 clerical and class IV staff are expected to be released. Out of these 21,327 are expected to be utilized in the comprehensive health services of these States.

Regarding Uttar Pradesh, out of 67·00 units functioning in that State, 35·75 unit areas have completed the task of Malaria Eradication. Out of 6044 medical and para medical personnel including Drivers employed in these 35·75 unit areas, 5201 persons are expected to be absorbed in the comprehensive health services of the State. The State Government are taking suitable action to provide employment to the others except those considered to be unsuitable.

रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर

2303. **श्री तुलशीदास जाधव :**

श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्ण पुरम के सैक्टर 5 में आवंटन के लिये कितने क्वार्टर तैयार हैं; और

(ख) इनका आवंटन कब तक किये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना): (क) लगभग 1300।

(ख) आरम्भ में दिल्ली नगर निगम ने यह संकेत दिया था कि वे इस वर्ष जुलाई तक पानी की व्यवस्था कर सकेंगे। अब निगम ने कहा है कि वे पानी की सप्लाई के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार को बूस्टर पम्प लगाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही पानी की सप्लाई की व्यवस्था पूरी हो जायेगी क्वार्टरों को अलाट कर दिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शिक्षण शुल्क का प्रतिशोधन

2304. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके बच्चों के लिये दिये जाने वाले शिक्षण शुल्क के प्रतिशोधन से संबंधित योजना में संशोधन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन करने का विचार है; और

(ग) क्या माध्यमिक शिक्षा से ऊपर विश्वविद्यालय की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिये भी, विशेषत: कम आय वाले कर्मचारियों के बच्चों के संबंध में, इस सुविधा को देने का कोई प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : जी हां, महोदय। इस प्रश्न पर की, क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके बच्चों की शिक्षा के लिये, जो कि प्राथमिक श्रेणियों में स्कूल में पढ़ते हैं, दिये जाने वाले शिक्षा शुल्क का प्रतिशोधन किया जाये, जांच की जा रही है ।

(ग) माध्यमिक शिक्षा से उपर विश्वविद्यालय से पूर्व की श्रेणियों या इण्टर के पहले वर्ष के लिये शिक्षा शुल्क के प्रतिशोधन की रियायत दी जाती है या तकनीकी कालेज के लिये उन बच्चों की शिक्षा शुल्क का प्रतिशोधन किया जाता है जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा या इसके बराबर की कोई दूसरी परीक्षा पास नही की होती। इस योजना के क्षेत्र को और बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

नेफा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सैक्शनल आफिसर

2305. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने सैक्शनल आफिसर नेफा में हैं ;

(ख) उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं; और

(ग) उन शर्तों को, विशेषत: उन कर्मचारियों के तबादले से संबंधित शर्तों के बारे में जो वहां पर दीर्घ काल से काम करते हैं, क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना): (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण

2306. डा० श्रीनिवासन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अब तक स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों का कोई स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के निदेशक

2307. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया के वर्तमान निदेशकों की प्रारम्भिक नियुक्तियों की तिथियां क्या हैं;

(ख) जिन निदेशकों की सेवाविधि सब से अधिक है, उनके नाम क्या है तथा वे कितने समय से निदेशक हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में भारतीय राज्य बैंक के निदेशकों के बोर्ड को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) राज्य बैंक (स्टेट बैंक) के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के नाम और वे तारीखें, जब वे पहली बार बोर्ड में नियुक्त किये गये थे, संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये, संख्या एल० टी० 4875/65]**

(ख) श्री जे० डी० चौकसी और श्री प्रतापसिंह मथुरादास को छोड़ कर, जो निर्वाचित निदेशक हैं और क्रमश: 1 जुलाई, 1955 और 14 नवम्बर 1956 को बोर्ड के सदस्य बने थे, श्री डी० आर० गाडगील 1 जुलाई, 1955 से केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य है और सर्वश्री रामनाथ ए० पोद्दार और डी०पी० गोयनका 1 जुलाई, 1957 से निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

(ग) भारतीय राज्य बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 20 की उप-धारा (5) में, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19(1) (घ) के अन्तर्गत नामजद निदेशकों के बारी बारी से पद-निवृत्त (रिटायर) होने की व्यवस्था हैं । इन पदों और सामान्य रूप से खाली होने वाले दूसरे पदों को भरने के अलावा, बोर्ड का पुनर्गठन करने का कोई विचार नहीं है ।

दिल्ली में भीषण जल संकट

2308. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण तथा पश्चिम दिल्ली की छः बस्तियों के एक लाख से अधिक लोगों को आंशिक जल दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं । दक्षिण तथा पश्चिम दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म कालीन महीनों के दौरान कभी कभी पानी का अभाव अनुभव होता है ।

(ख) अभाव के मुख्य कारण ये हैं :–

(1) दिल्ली की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि ।

(2) ग्रीष्म ऋतु में मांग में वृद्धि ।

(3) नई तथा सुदूर बस्तियों में सप्लाई की बड़ी नालियों का पर्याप्त मात्रा में न होना ।

(4) बहुत से सार्वजनिक नलों का खुले रहना और परिणाम स्वरूप पानी का व्यर्थ बह जाना ।

(ग) अभाव दूर करने के लिये किये गये उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) सप्लाई में अधिक वृद्धि ;

(2) उच्च स्तरीय क्षेत्रों में बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों की प्रस्तावित स्थापना ; और

(3) गैर रिहाइशी क्षेत्रों और ऐसे रिहाइशी क्षेत्रों में जहां घरों के अन्दर नल लगाये जा सकते हों, दिल्ली नगर निगम से कहा गया है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां तक हो सके सार्वजनिक नल बन्द कर दें ।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

2309. **श्री शिवचरण माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होशंगाबाद के सिक्योरिटी पेपर मिल को चलाने के लिये तकनीशनों के दो दलों ने सरकारी खर्च पर इंग्लैंड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और तीसरा दल भी इसी प्रयोजन के लिये इंग्लैंड भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इंग्लैंड से वापिस लौटने के बाद इस मिल में उन तकनीशनों के पास कोई काम नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचारी) : (क) से (ग) : सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, के उन प्रशिक्षणार्थियों के तीनों दल, जिन्होंने इंग्लैंड के मेसर्स पोर्टेल्स लिमिटेड—तकनीकी सहयोगी—के कारखाने में प्रशिक्षण पाया है, भारत लौट आये हैं । कारखाना चालू होने में विलम्ब होने के कारण इन प्रशिक्षणार्थियों को, इंग्लैंड से लौटने के बाद, कारखाने के उत्पादन-कार्यों में लगाना, जैसा कि पहले सोचा गया था, संभव नहीं हो सका है । लेकिन, कारखाना चालू होने से पहले के विभिन्न कार्यों, अर्थात् निर्माणकार्यों के निरीक्षण, नक्शों और चित्रों की तैयारी, तकनीकी पत्रव्यवहार, प्राप्त मशीनों को उनके लगाये जाने की जगह पर तैयार रखने और मिल की कार्यशाला में मशीनी औज़ारों को नियत स्थान पर लगाने आदि में उनकी सेवाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने की हर कोशिश की जा रही है ।

विदेशी ऋणों का भुगतान

2310. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को चालू वर्ष में कितनी राशि के विदेशी ऋणों का भुगतान करना है ; और

(ख) इसका इस वर्ष भारत की विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 153 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा में या निर्यात द्वारा और 44 करोड़ रुपया रुपयों में ।

(ख) हमें जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है उसमें से सब से पहले ऋण चुकाये जाते हैं इसलिए दूसरे कामों के लिए उतनी ही विदेशी मुद्रा कम हो जायगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

1965–66 के लिये आयव्ययक प्राक्कलनों और केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के वर्ष 1964–65 के लिए अनुपूरक वित्त विवरण

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत् (सम्भरण) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के वर्ष 1965–66 के लिये आयव्ययक प्राक्कलनों (खण्ड 1 और 2) तथा वर्ष 1964–65 के लिये अनुपूरक वित्त विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए, संख्या एल० टी० 4864/65 ।]**

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक 25 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1247

(दो) दिनांक 25 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1248

(तीन) दिनांक 25 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1249 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए, संख्या एल० टी० 4865/65 ।]**

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE:DISCUSSIONS WITH SECRETARY GENERAL OF U.N.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ऊ थांत, 12 सितम्बर, 1965 को नई दिल्ली आये और यहां तीन दिन ठहरने के बाद वह कल न्यूयार्क चले गये । हमने उनका केवल महान व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विश्व-संगठन के, जिस के कंधों पर अन्तर्राष्ट्रीय शांति बनाये रखने की भारी जिम्मेवारी का बोझ है, प्रतिनिधि के रूप में स्वागत किया ।

[श्री लाल बहादूर शास्त्री]

महा-सचिव ने और मैंने खुलकर और स्पष्ट बातचीत की। उन्होंने विदेश मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान महा-सचिव ने वर्तमान संघर्ष के, भारत और पाकिस्तान के 60 करोड़ व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में, गंभीर परिणामों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने सुरक्षा परिषद् के 4 और 6 सितम्बर के संकल्पों का उल्लेख किया और अपील की कि दोनों देश तुरन्त युद्ध-विराम का आदेश जारी कर दें।

मने घटनाओं का वास्तविक ब्यौरा दिया और बताया कि वर्तमान संघर्ष हमने आरम्भ नहीं किया है; इसे पाकिस्तान ने ही आरम्भ किया था जब 5 अगस्त, 1965 को हजारों की संख्या में सशस्त्र घुसपैठियों ने हवाई अड्डों, पुलिस चौकियों तथा पुलों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करने तथा उन पर कब्जा करने के उद्देश्य और अन्त में श्रीनगर स्थित राज्य सरकार पर बलपूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से हमारे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आक्रमण किया। यह देख कर कि उसका आरम्भिक आक्रमण प्रायः असफल हो गया है, पाकिस्तान ने 1 सितम्बर, 1965 को न केवल युद्ध-विराम रेखा के पार बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार भी बड़े पैमाने पर सशस्त्र आक्रमण कर दिया। इस प्रकार भारत के लिए आत्म-रक्षा में प्रतिकारात्मक उपाय करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा। मैंने उन्हें बताया कि पाकिस्तान ने ही हमारे ऊपर लड़ाई थोपी है। हम देश की, जिसका जम्मू तथा काश्मीर राज्य एक अभिन्न अंग है, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता की पूर्ण रक्षा के लिये कटिबद्ध हैं। नहीं हम ऐसी स्थिति स्वीकार कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान बार बार अपना सशस्त्र आक्रमण भारत के विरुद्ध जारी रख सके।

महा-सचिव की यह उत्कट इच्छा थी कि हमें सबसे पहले युद्ध-विराम करने और संघर्ष को समाप्त करने के लिये सहमत होना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि सेनाओं में लड़ाई बन्द करने की बात तो समझ में आती है लेकिन हमलावरों का प्रश्न अभी रहता है। मैंने बताया कि हमें इन हमलावरों के खिलाफ़, जिनमें से बहुत से अब भी जम्मू और कश्मीर राज्य में हैं, यदि पाकिस्तान उनको हमारे क्षेत्र से वापस नहीं बुलाता है, कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

हमने युद्ध-विराम के परिणामों पर विस्तार से विचार किया। मुझे महा-सचिव का एक पत्र मिला जिसमें युद्ध-विराम की अपील को दोहराया गया था। इस पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए, संख्या एल० टी० 4866/65।]**

सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार करने के बाद हमने उनको उत्तर भेज दिया जिसकी प्रति भी सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए, संख्या एल० टी० 4866/65।]**

हमने महासचिव के युद्धविराम करने के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की। तथापि भारत के लिये कुछ अत्याधिक महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में हमने अपना रवैया बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उदाहरणार्थ हमें उन घुसपैठियों से निपटना होगा जो अब भी सरकारी सम्पत्ति पर हमला कर रहे हैं अथवा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे लिये उस स्थिति में पुनः आ जाना भी संभव नहीं है जिसमें हम अपने आपको घुसपैठ करने वालों को रोकने में एक बार फिर असमर्थ पाएं अथवा उन घुसपैठ करने वालों से प्रभावशाली ढंग से निपट नहीं सके जो पहले ही इधर घुस आये हैं।

जहां तक इस प्रश्न के राजनीतिक पहलू का सम्बन्ध है, हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत की, जिसका जम्मू तथा काश्मीर राज्य एक अभिन्न अंग है, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने के

लिए कटिबद्ध हैं। चाहे कितना भी दबाव अथवा खतरे पेश क्यों न आयें हम इस संकल्प से विमुख नहीं हो सकते। युद्ध विराम के लिये सहमत होने के लिये हमने यह शर्तें नहीं लगायीं थीं परन्तु इनका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अपने रवैये को स्पष्ट करना तथा उसको सुस्पष्ट रूप से दोहराना था।

14 सितम्बर को सायंकाल मुझे महासचिव का एक और पत्र मिला जिसमें उन्होंने बताया कि वह उन बातों के बारे में, जो मैंने अपने पत्रों में उठायी थीं, कोई आश्वासन नहीं दे सकते। वास्तव में हमने उनसे कोई आश्वासन देने को नहीं कहा था। इस प्रकार युद्ध-विराम करने की हमारी सहमति महा-सचिव को अपील के अनुरूप थी। इन पत्रों की प्रतियां भी सभा-पटल पर रख दी गयी हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4866/65।]**

नई दिल्ली से जाने के पूर्व महासचिव ने मुझे बताया कि यदि पाकिस्तान 15 सितम्बर, 1965 की सायं तक युद्ध-विराम करने से सहमत होने का उत्तर नहीं देता है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रश्न पर समझौता नहीं हो सका है। क्योंकि निर्धारित समय तक सहमति का ऐसा कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिये यह घोषणा कर दी गई कि हमारी सुरक्षा सेनाओं को पूरी ताकत से कार्यवाही जारी रखनी होगी।

हालांकि शांति स्थापित करने के लिये संघर्ष को बन्द कराने के महा-सचिव के वर्तमान प्रयत्न सफल नहीं रहे हैं, हमारी ओर से पूरा पूरा सहयोग दिया गया, वह इस सम्बन्ध में आगे प्रयत्न करना चाहते हैं और नई दिल्ली से रवाना होने से कुछ ही देर पहले उन्होंने मुझे एक और पत्र भेजा, जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4866/65।]**

हम यथासंभव शीघ्र इसका एक निश्चित उत्तर भेज देंगे।

जैसा माननीय सदस्यों को पता लगेगा, हमने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के प्रयासों में पूरा सहयोग दिया है और हमने महा-सचिव के तुरन्त युद्ध-विराम करने के प्रस्ताव को भी मान लिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इस पर कोई सहमति प्रकट नहीं की। वास्तव में ऐसे संकेत हैं कि वह इस लड़ाई को उस समय तक जारी रखना चाहता है जब तक कि उनकी इस योजना को, जिसमें सारे जम्मू तथा काश्मीर से भारत तथा पाकिस्तान की सेनाओं को हटाया जाना, संयुक्त राष्ट्र सेना को वहां तैनात किया जाना और इसके तीन महीने बाद जनमत-संग्रह करना शामिल है, भारत मान नहीं लेता है।

यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सुलझे-सुलझाये मामले को फिर से उठाने के ख्याल से 5 अगस्त, 1965 को भारत पर आक्रमण किया। वह आक्रमण करके हम पर निर्णय थोपना चाहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारे लिये अपना संघर्ष जारी रखने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। हम यह पूरी तरह अनुभव करते हैं कि वर्तमान सशस्त्र संघर्ष से दोनों देशों के लोगों को बहुत बड़ी कठिनाईयां सहन करनी पड़ेंगी। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी प्रसन्नता से इन कठिनाईयों को सहन कर लेंगे परन्तु आकान्ता को अपने देश की स्वतन्त्रता को खतरे में न डालने देंगे अथवा अपने क्षेत्र को हड़पने नहीं देंगे।

राष्ट्रपति अय्यूब खां के कल के सम्वाददाता-सम्मेलन के बारे में मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है। समाचार है कि अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सद्बुद्धि इस बात की मांग करती है कि भारत और पाकिस्तान शांति से रहे। यदि यह नया तथा सत्यनिष्ठा से किया विचार है तो हम इसका स्वागत करेंगे चाहे यह प्रस्ताव इतनी देर से क्यों न किया गया हो। परन्तु यदि पिछले अनुभव को देखा जाये तो यह कथन केवल प्रचार का ही एक भाग दिखाई देगा ताकि संसार को धोखे में डाला जा सके। पहले भी राष्ट्रपति अय्यूब ने शान्ति की अच्छाइयों का बखान किया था और इसके बाद कच्छ में और

[श्री लाल बहादूर शास्त्री]

फिर काश्मीर में बिना किसी उत्तेजना के भारत पर आक्रमण किया था। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति अय्यूब ने अब यह देख लिया होगा कि पाकिस्तान की भारत के विरुद्ध नफ़रत और संघर्ष की नीति का क्या परिणाम निकला।

आज की परिस्थिति में राष्ट्र को निरन्तर सावधान रहना है और स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिये हर बलिदान के लिये तैयार रहना है। मैं इस संसद का, सभी राजनीतिक दलों और समचे राष्ट्र का आक्रमणकारी के विरुद्ध एक होकर खड़े होने के लिये आभारी हूं। मैं राष्ट्र की ओर से बहादुर सशस्त्र बलों का भी आभारी हूं, जिन्होंने यह दिखा दिया है कि वे केवल अपने सीमान्त की रक्षा ही नहीं कर सकते बल्कि शत्रु को करारी चोट देने में भी समर्थ हैं। उनके बहादुरी के कार्य भारत के इतिहास में एक महान अध्याय बनेगा। इस संसद और समूचे राष्ट्र को उन पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि हम इसी दृढ़ निश्चय और साहस से चुनौती का सामना करते रहेंगे।

Shri Madhu Limaye : On a point of Order, Sir. You had said that permission will be given after the statement is over.

Mr. Deputy Speaker : What is your point of order ?

Shri Madhu Limaye : Our demand to raise a discussion on Kashmir and Indo-Pak conflict has not been accepted. This was communicated to the Leader of the House and the hon. Speaker also. Had this discussion been held earlier, the House would have assisted the Prime Minister in drafting a reply to the U. N. Secretary General.

Many a time it has been stated that when the Lok Sabha is in Session, all important statements should be made first on the floor of the House before releasing them to the Press. But what the Prime Minister said today had earlier been released to the Press—both Indian and foreign—although the House was kept waiting throughout yesterday and thus contempt of the House has been committed.

श्री रंगा (चित्तुर) : श्रीमान्, मैं अपने दल की ओर से इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधान मंत्री जी, उनके दृढ़ संकल्प तथा इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ पूर्ण समर्थन प्रगट करता हूं। और विश्वास दिलाता हूं कि देश पर किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने में हम सरकार के साथ हैं।

सरकार ने देश का पक्ष संयुक्त राष्ट्र तथा इसके महासचिव के समक्ष ठीक प्रकार से और योग्यतापूर्ण ढंग से रखा है क्योंकि हम ने उनके सुझाव मान लिये हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : क्योंकि यह समय बातें करने के बजाय चुप रहने और काम करने का है इसीलिये हम विदेश मंत्री महोदय की इस भूल को जो उन्होंने कुछ बातें संसद् को बताने से पूर्व ही पत्रकारों को बता कर की हैं उस पर कोई ध्यान न देने का अनुरोध करते हैं।

परन्तु मैं प्रधान मंत्री जी से यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि अब जबकि पाकिस्तान ने हमारे शान्तिपूर्ण सुझावों को ठुकरा कर हमें जवाबी कार्यवाही करने पर वाध्य कर दिया है हमें चाहिये विश्व भर में विशेषकर बड़े देशों की राजधानियों में हम यह बात, जितने भी अधिक प्रभावशाली ढंग से हो सके, बताने का हर सम्भव प्रयत्न करें कि यह युद्ध हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पर थोपा गया है और इस सारे काण्ड का जिम्मेदार पाकिस्तान है।

इस सभा के सदस्य के नाते मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि संसद् सदस्यों के एक दल को मोर्चे पर भेजा जाये ताकि वे जवानों को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सकें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य से पूर्णतया सहमत हूं। सारा देश इससे सहमत है। परन्तु खेद व्यक्त करता हूं कि विश्व की कुछ सरकारें पाकिस्तान को हमलावर घोषित करने में आनाकानी कर रही है, परन्तु सच तो यह है कि पाकिस्तान ही शान्ति की राह में कान्टा बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि वे राष्ट्र समझें कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा के लिये परन्तु विश्व जनतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिये लड़ रहा है इसलिये उन्हें हमारा ही समर्थन करना चाहिये।

Shri Bade (Khangone) : I congratulate the Prime Minister for his statement and on behalf of my party welcome this. I hope that the policy enunciated therein will be followed hereafter always, and pray to God for our victory which is for a just cause.

Let it be known throughout the world, as effectively as possible, that India is fighting in self-defence, for democratic and secular values and that Pakistan has aggressive designs and must be branded as aggressor in the present conflict.

श्री कर्णीसिंहजी (बीकानेर): मैं अपने दल की ओर से प्रधान मंत्री जी को इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं। हमें ज्ञात था कि हमारी सेनाओं को यदि अवसर दिया जाए तो वे अपनी ख्याति पर पूरी उतरेंगी। इस संकट की घड़ी में पूरा राष्ट्र सरकार के साथ है।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): हमें प्रधान मंत्री जी से इस समय ऐसे ही वक्तव्य की आशा थी। समस्त राष्ट्र इसका समर्थन करता है और जब तक पाकिस्तान अपनी हठधर्मी पर अड़ा रहेगा भारत एक होकर उसका मुकाबला करेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I stand today to support the Armed Forces and the Government in their endeavour to throw back the aggressor. We have such glowing sacrifices as those of Hav. Abdul Hamid. We should in no case allow Pakistan which has her foundation on mistrust and hatred, to perpetuate her aggression in future. Let the dispute be settled once for all. Our brethren in Pakistan are awaiting their union with us. Let the Government realise this fact and act accordingly.

Shri Buta Singh (Moga) : I stand to declare on behalf of Akali Dal and the Sikh Community that we wholeheartedly support the stand taken by Government as enunciated in the statement of the Prime Minister. I may also state that Sikh Officers and Jawans as also those who inhabit the cities and villages in border areas will be in the forefront of the struggle against Pakistan to save our motherland and thus give a befitting reply to the vile propaganda of Radio Pakistan. Each and every Sikh will not be behind the struggle but ahead of it.

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : मैं अपने दल की ओर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के इस आक्रमण का मुकाबला करने और शत्रु को निकाल बाहर करने में हम सब सरकार के साथ हैं और हर प्रकार की सहायता के लिये अपने आप को पेश करते हैं।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी): मैं प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य के प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं और राष्ट्र के इस संकल्प में साझीदार हूं जो उसने पाकिस्तानी आक्रमण को समाप्त करने का लिया है और अपने देश की सफलता की कामना करता हूं।

Shri Yagnik (Ahmedabad) : I fully support what the Prime Minister has just now stated and thank him profusely for it. We will fight for safeguarding the integrity of our motherland of which Kashmir is a part till the end. Now when U. Thant is here for peace talks, Mr. Dean Rusk has issued a very mischievous statement mentioning plebiscite. Let us make it clear to the Western Powers and the rest of the world that such mischief will not be tolerated.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnour) : The Prime Minister and his Government deserve our congratulation for the firm stand they have taken on Kashmir for the first time during the last 18 years, and I am sure it will be followed by an announcement in the House regarding abrogation of Art. 370 very soon. This year Dussehra has a special significance. It is also hoped that Shri Shastri and Khan Abdul Gaffar Khan will meet very soon and most probably on the Banks of Indus river to remind us of the re-union of Rama and Bharat after 14 years.

Shri Maurya (Aligarh) : Today's statement by the Prime Minister reflects not only the sentiments of the whole House, but of the whole nation. Today, this conflict is not confined between two paries concerned but it will have repurcussions all the world over. Therefore the world opinion is of great consequence. I, therefore, suggest that most persuasive and eloquent exponents chosen for all walks of life should be sent to all corners of the world to clarify our position and make our cause well understood.

The other day I accompained about 5,000 so called Harijans to the local recruiting centre and was enraged rather than shocked to find that recruitment is open to all castes except Harijans. I would urge the hon. Defence Minister to stop this discrimination and welcome all these Harijans who come forward for recruitment to serve the motherland.

श्री जी०म० कृपालानी (अमरोहा) : मैं राष्ट्र के एक पुराने सेवक के नाते प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य से पूर्णतया सहमत हूं और इसका हार्दिक समर्थन करता हूं । परन्तु हमें याद रखना होगा कि यह युद्ध दो राष्ट्रों अथवा देशों के बीच नहीं हो रहा और हमें अन्त तक भ्रातृभाव बनाये रखना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संसद् सदस्यों को अमृतसर आदि अग्रिम मोर्चों पर भेजने का श्री मुकर्जी द्वारा दिया गया सुझाव स्वीकार करता हूं और इसके लिये सदस्यों का चुनाव तथा तिथि आदि का निश्चय शीघ्र ही किया जायेगा ।

गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) विधेयक

GOA, DAMAN AND DIU (ABSORBED EMPLOYEES) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव के प्रशासन के संबंध में सेवा के लिये समाविष्ट व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव के प्रशासन के संबंध में सेवा के लिये समाविष्ट व्यक्तियों की सेवा के शर्तों के विनियमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965

KERALA APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1962 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधयक पर विचार किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1962 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचि विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचि विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965

KERALA APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सोमवार को अनुपूरक मांगों का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि केरल में चीन समर्थक और पाकिस्तान समर्थक लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में उठाय गये प्रश्नों के संबंध में गृह मंत्री को बता दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि गृह-मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर अब दे रहे हैं या बाद में किसी समय ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गृह मंत्री कब उत्तर देंगे । मैंने कहा था कि यह गिरफ्तार लोगों के लिये राशन आदि का प्रश्न है और इसे गृह मंत्री के विचार के लिये दे दिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस मामले में क्या कार्यवाही की गई, इसके बारे में हमें कब बताया जायेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने कहा था कि मामले पर गृह मंत्री द्वारा विचार किया जायेगा । क्या निर्णय किया जायगा, वह अनुकूल होगा अथवा नहीं, यह सब बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूचि विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूचि विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965

APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं देखता हूं कि नौ सेवाओं के लिये अधिक धन देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है । हमें इन्डोनेशिया से जो खतरा है, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हमारी नौसेना को विशेष रूप से पनडुब्बियों की जरूरत है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उस ओर के सदस्यों की भावनाओं को हम भली प्रकार से जानते हैं। सभा भी यह जानती है कि सरकार अपनी नौसेना को मज़बूत बनाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है और जहांसे भी हमें उपकरण और सहायता मिल सकती है हम प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में जो भी जानकारी होगी वह माननीय रक्षा मंत्री समय समय पर इस सभा को देते रहेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नौसेना प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये इस समय हमारे पास एक भी पनडुब्बी नहीं है । क्या हम निकट भविष्य में ब्रिटेन अथवा रूस से एक भी पनडुब्बी प्राप्त कर लेंगे ? क्या माननीय वित्त मंत्री इस संबंध में कुछ बताने कि स्थिति में हैं ?

श्री रंगा (चित्तूर) : प्रतिरक्षा को छोड़कर अन्य जो खर्च करने वाले विभाग हैं उनके खर्च में कम से कम 10 प्रतिशत कमी की जाये । इस बात को स्वयं वित्त मंत्री ने भी व्यक्त किया है । प्रतिरक्षा के लिये हमें बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ेगी इसलिये जहां भी खर्च में जितनी कमी की जा सकती है कमी की जानी चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : In the 20th century many countries like Korea, Ireland and India, has been dissected in an artificial way. We should put our policy of unification of these splitted countries before Russia and America. This will enhance our military strength.

Side by side we have to put end to our differences of Hindu and Muslim and set up an example before the people of Pakistan. It would generate the feelings of revolt in the people of Pakistan.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सब से बाद में बोलने वाले माननीय सदस्य के सुझाव के पहले भाग का उत्तर देने के लिये तो मैं सक्षम नहीं हूं । जहां तक साम्प्रदायिक एकता का प्रश्न है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं ।

जहां तक प्रतिरक्षा के मामले का संबंध है मुझे यही बात दोहरानी है कि हम अपनी नौसेना को मज़बूत बनाने के लिये जहां से भी संभव होता है उपकरण प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ।

जहां तक मेरे माननीय मित्र श्री रंगा द्वारा उठाये गये प्रश्न का संबंध है, मैंने सभी विभागों से कह दिया है कि वे अपने खर्च में 10 प्रतिशत कमी करने का प्रयत्न करें । मैंने सभी मंत्रालयों को कहा है कि 25 लाख रु० से अधिक व्यय वाली जो भी परियोजनायें हैं और जिनका काम अभी आरम्भ नहीं किया गया है उनको मेरे पास भेजा जाय ताकि मैं देख सकूं कि क्या उनको स्थगित किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965

APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1913 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये/*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

अनुसूचि विधेयक में जोड़ दी गई/*The Schedule was added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1965

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 1965

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 2 and 3 were added to the Bill*

अनुसूचि विधेयक में जोड़ दी गई ।/*The Schedule was added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1965

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL, 1965

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटील) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

अनुसूचि विधेयक में जोड़ दी गई ।/*The Schedule was added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

कोयला खान भविष्य निधि तथा अधिलाभांश योजनायें (संशोधन) विधेयक—जारी

COAL MINES PROVIDENT FUND AND BONUS SCHEMES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री वारियर (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली शाम को कह रहा था कि मज़दूरों और मालिकों से इकठ्ठे किये गये अंशदान की दर बराबर नहीं होनी चाहिये । जब कि इसके लिये गुंजाइश है हमें इसमें कुछ अन्तर रखना चाहिये । भविष्य निधि तथा बोनस योजना के प्रशासनिक प्रभार के लिये मालिकों से अब तक 3 प्रतिशत व्यय लिया जाता था । परन्तु अब आप इसको घटा कर 2.4 प्रतिशत करने जा रहे हैं । इसके विपरीत होना तो यह चाहिये कि इस खर्च में जो कमी है उसका लाभ मज़दूरों को दिया जाये ताकि वे अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित हों ।

31 मार्च, 1963 को विभिन्न कोयला खानों से 1,74,83,179.34 रु० की राशि भविष्य निधि अंशदान के लिये लेना बकाया थी उसमें से 97,14,505.91रु० वसूल कर लिये गये हैं । और 67,95,470.28 रु० की राशि के मामले अदालतों में पड़े हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मालिकों को यह राशि अपने पास क्यों रखने दी जाती है जबकि अधिनियम के अन्तर्गत उनसे यह अपेक्षित है कि वे राशि जमा करायें । प्रतिवर्ष बकाया राशि में वृद्धि होती जा रही है । सरकार ने मज़दूरों के हितों की रक्षा करने के लिये 50 लाख रुपये की राशि जमा करने का एक तरीका निकाला था कि यदि मालिक गल्ती पर हों तो उसमें से मज़दूरों के दावों के विरुद्ध का भुगतान किया जा सके । परन्तु अपराधियों की रक्षा करने का यह एक परोक्ष तरीका है ।

मैं देखता हूं कि प्रशासनिक प्रभार आये वर्ष बढ़ता जा रहा है । मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि बड़े वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है । इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

धन की कमी के कारण कोयला खानों की विकास योजनाओं को आरम्भ नहीं किया जा रहा है । सरकार ने यह भी कहा है कि कोयला खानों के पास सहायक उद्योगों को स्थापित करने के लिये धन की कमी है । मैं कहता हूं कि कोयला खानों से जो इतना धन पैदा किया जाता है सरकार उसको इन कामों के लिये प्रयोग में क्यों नहीं लेती है । विनियोजन की लम्बी अनुसूचि दी गई है । और इसमें एक भी विनियोजन ऐसा नहीं है जिसमें 4-1/2 या 5 प्रतिशत से अधिक ब्याज मिलता हो । गरीब मज़दूरों के पैसे को सरकारी प्रतिभूतियों में क्यों लगाया जाता है जहां से उनको कुछ मिल नहीं सकता है ? सरकार को गरीबों के पैसे से नहीं खेलना चाहिये । उनके पैसों को उपक्रमों में लगाना चाहिये जहां से उन्हें अधिक लाभ हो सकता है ।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि सरकार बोनस को आस्थगित मजूरी के रूप में स्वीकार करने के लिये क्यों तैयार नहीं है । सरकार को ऐसा कानून बनाने का क्या अधिकार है कि बोनस को जब्त किया जा सकता है ? आपको देखने से पता चलेगा कि इस वर्ष बोनस की एक बहुत बड़ी राशि जब्त की गई । इस कानून को बदलना चाहिये । जब मज़दूरों की किसी हड़ताल को अवैध घोषित किया जाता है तो बोनस को जब्त कर लिया जाता है । वर्तमान श्रम अधिनियम, स्थायी आदेश तथा मज़दूरों के प्रति सरकार का रवैया इन हड़तालों को अवैध घोषित कराने के लिये ज़िम्मेदार है । हड़तालों के अतिरिक्त मज़दूरों के पास और कोई चारा ही नहीं है । यदि बोनस को अस्थगित मजूरी का नाम दे दिया जाता है तो उसे कोई काट नहीं सकता है ।

वार्षिक बोनस प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कोयला खानों में जमीन के नीचे काम करने वाले मज़दूरों में से 50 प्रतिशत को बोनस दिया जाता है जबकि पर्यवेक्षक वर्ग में 97 प्रतिशत कर्मचारियों को बोनस मिलता है । ऐसी बोनस योजना का क्या फायदा जबकि 50 प्रतिशत मज़दूरों को जो अपनी जान को खतरे में डाल कर काम करते हैं, बोनस नहीं मिलता है ।

[श्री वारियर]

सरकार यह कहती है कि ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले मज़दूरों पर भी यह योजना लागू होगी। किसी ठेकेदार के अधीन निर्धारित दिनों तक काम करने के पश्चात् मज़दूर बोनस का अधिकारी हो जाता है। परन्तु ठेकेदार ऐसा करते हैं कि मज़दूर को काम पर रख लेते हैं और फिर तीन महीने के पश्चात् उसे हटा देते हैं और फिर 3 महीने के पश्चात् बुला लेते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

Dr. M. S. Aney : Mr. Deputy Speaker, Sir, there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

[**श्री सोनावणे पीठासीन हुए**
SHRI SONAWANE *in the Chair*]

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति है।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Devas) **:** I do not understnand why the mining industry has been treated on a different footing from other industries from the point of view of bonus.

Five lakh labourers are working in the coal mining industry. These workers have to work constantly under the imminent danger of death. There the ceiling may crumble any time and they are facing death every hour.

You have framed rules that no worker can take part in any movements and if any one takes part his bonus will be forfeited. It is extremely difficult for an individual worker to isolate himself from any movement launched on a big scale. I want to know what punishment is inflicted upon the owners for their irregularities. So far 36,000 irregularities of the coal mine owners have been noticed.

In Madhya Pradesh 4543 cases of labour regarding non-payment are pending so far. The total number of such cases in 1960 for the whole of the country was 13,056. Out of them fourty thousand cases related to the non-payment of bonus. In 1960 in Madhya Pradesh an amount of Rs. 61,521 was due from the owners and for all the states taken together this amount was Rs. 7,69,684. Today the owners have not deposited Rs. 1 crore and 75 lakhs in the account of the workers. The inspectors should be asked to check the account books at more frequent intervals.

Under the rules a contractor is bound to pay bonus to a worker who has completed 6 months service. But, perhaps you do not know that the contractors do not keep a worker for more than three months at a time.

Shri Himatsinhka pleaded for the exemption of small mines from the purview of this Bill. In this connection I am only to say that at present there are many mines posing themselves as small and not rendering proper accounts of their production and labour strength. This Bill should apply to all the mines.

At present there is no provision for worker to draw bonus in emergent cases from his own fund. As such they have to depend upon their employers who charge extremely exorbitant rate of interest. I suggest, therefore, that provision should be made for their taking loans from their own fund.

Today many a rule framed for the benefit of the workers are disobeyed by the owners. The contractors take the receipt from the workers for Rs. 2.50

whereas he is actually paid Rs. 1·12nP. Last time also I referred to this to which the hon. Minister replied that he had no such information. If he wants this evil practice to see for himself he should accompany me and not disclose that he is a minister. Government should have proper machinery to ensure that whatever laws are framed they are strictly adhered to. The arrears due from the owners should be immediately got repaid to the workers. Those 40,000 cases should be immediately disposed of.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं माननीय मंत्री महोदय को इस विधेयक के लाने पर बधाई देता हूं। इस विधेयक से देश के 4,60,000 खान कर्मचारियों को लाभ होगा। इस विधेयक के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

खान मालिक कई बार कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों को भी सुविधाएं नहीं देते जिनको मूल विधेयक के अन्तर्गत फायदा होना चाहिये। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये।

ठेकेदारों ने बहुत धांधली मचा रखी है। वे कर्मचारियों की मांगों और उनके अधिकारों की तनिक भी परवाह नहीं करते। इसके फलस्वरूप बेचारे कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई है। एक खान मालिक ने 1958 से लेकर 1964 तक अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा नहीं करायी थी। जब मैंने इस बारे में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया तो उनका उत्तर भी ठीक नहीं था। सरकार को कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये उपबन्ध करना चाहिये। छोटे छोटे ठेकेदार कहते हैं कि हमें कानून का पूरा ज्ञान नहीं है। इस बहाने वे मज़दूरों को उनके न्यायोचित अधिकार भी नहीं देते।

सरकार को कोयला खान मज़दूर कल्याण निधि का प्रबन्ध भी अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इस निधि में 50 करोड़ से अधिक धन जमा है। इस राशि को मज़दूरों को और अधिक सुविधायें देने के लिये प्रयोग किया जाये।

सरकार को भविष्य निधि के धन को कर्मचारियों तथा कोयला खानों के मज़दूरों को और सुविधायें देने के लिये प्रयोग में लाना चाहिये। ये सुविधायें हैं बेकारी के समय के लिये बीमा तथा बुढ़ापे की पेंशन। ये मज़दूर 50 वर्ष या 55 वर्ष की आयु होने पर काम करने के अयोग्य हो जाते हैं। उनका काम बहुत परिश्रम वाला काम है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ज्योंही वे काम करने के अयोग्य हों उन्हें पेंशन मिलने लगे। इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

आजकल जो बोनस दिया जाता है वह तो मज़दूरों की काम पर नियमित रूप से उपस्थिति बनाये रखने के लिये है। खान मालिकों को शिकायत है कि मज़दूर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में अपने घरों को चले जाते हैं। इसी कारण यह बोनस दिया जा रहा है। इसलिये नयी योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले बोनस को पहले के बोनस से पृथक् समझना चाहिये।

सरकार को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों को पूरा महत्व देना चाहिये। इस बारे में अभी आरंभिक कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Shiv Charan Mathur (Bhilwara) : I congratulate the Hon. Minister for bringing this Bill. This Act was passed 17 years ago and in 1951 this was amended. During this period the mines have been deprived of facilities and benefits. Swatantra Party spokesman was critical of this Bill. That party is against giving any facilities to the labour. I would request them to do away with this attitude.

[Shri Shiv Charan Mathur]

I want this Bill should be applicable to all categories of mines —permanent and temporary both.

Temporary employees are equally useful. They should not be deprived of the benefits of these schemes. I do not agree with the argument that small mines should not come under the perview of this Bill.

It is a good measure in the sense that many more categories of employees have been included in it. I am glad to know that labour engaged in lignite mines has been extended the benefit of these schemes under this Bill. There are lignite mines in Rajasthan. The labour engaged there has not been given any such benefit in the past as is been given under this Bill.

I am against the amendment proposed by Shri Dandekar. He wants to restrict the scope of this Bill. It is not proper. We should rather try to include more categories in this Bill. Teachers, who are working in coal mines areas are doing equally important jobs.

A provision should be made in this Bill that it would apply to all mine-owners, even if they have given mines on lease.

It is gratifying to know that more representatives of workers and Government would be on the Board to be set up and there will be only 6 representatives of the employers. Government should institute the Board after giving due consideration to the interests of labourers.

As per provisions regarding the appointment of officers for implementation of Coal Mines Fund, the Central Government will be making all appointments of staff getting a salary more than Rs. 400. It causes a lot of delay and schemes are not properly executed. I request that the Board should be authorised to make appointments excepting those of Commissioner. I have moved an amendment. I want that all major schemes under this Bill should be brought before Parliament and its prior approval should be obtained.

I feel that unemployment insurance scheme should be introduced in our country.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमें राष्ट्र की सभी समस्याओं की ओर ध्यान देना है । रूस में अध्यापकों को भी कार्मिक माना जाता है। वहां किसान और कार्मिक दो ही वर्ग हैं। इंग्लैंड में कोयला खान मज़दूरों के बच्चे बड़े बड़े नेता बने हैं। हमें भी मज़दूरों के इस वर्ग को अधिकाधिक सुविधायें दी जानी चाहिये ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मैं आशा करता हूं कि सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय इस प्रकार के कल्याणकारी कानून लागू करता रहेगा । हमें कोयला खानों के क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के विभिन्न वर्गों में भेदभाव नहीं करना चाहिये। हमें अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिये। हमें 'रॉयल्टी' पाने वालों को छूट नहीं देनी चाहिये । ये लोग बिना किसी परिश्रम या कार्य किये बिना ही बहुत अधिक धन ले जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय को इस कानून को इन लोगों पर भी लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिये । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

मुझे प्रसन्नता है शब्द 'कर्मचारी' में बहुत से वर्गों को शामिल किया जायेगा। हमें कोयला खानों से सम्बद्ध कर्मचारियों के सभी वर्गों को इस विधेयक के अन्तर्गत सुविधायें उपलब्ध करनी चाहियें। मालियों, जमादारों, घरेलू नौकरों और अध्यापकों आदि को शामिल करके बहुत अच्छा कार्य किया गया है। मैं चाहता हूं कि वहां पर जो लोग कार्यालयों में काम करते हैं उनको भी यह सुविधा देनी चाहिये।

इस विधेयक के अन्तर्गत जुर्माने की जो व्यवस्था है उस को और कड़ा किया जाना चाहिये। आजकल ठेकेदार लोग बहुत से समाज विरोधी कार्य करते हैं। वे मज़दूरों को कोई सुविधा नहीं देना चाहते। सरकार को इनसे कठोरता का बर्ताव करना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये। सरकार को बेकार लोगों के बेकारी के समय के लिये बिमें तथा बूढ़े लोगों के लिये पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिये।

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): श्रीमन् जी कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि को मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। वैसे कर्मचारी राज्य बीमा पुनरीक्षण समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। उसकी रिपोर्ट 2 या 3 महीनों तक मिल जायेगी। इस प्रश्न पर भारतीय श्रम सम्मेलन में भी अक्तूबर 1962 में चर्चा हुई थी और इस वर्ष के अक्तूबर सम्मेलन में फिर विचार होगा। यदि सभी पक्ष इस पर सहमत हों तो सरकार इन्हें मिलाने के लिये तैयार है। हम सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी और सुविधायें भी देना चाहते हैं परन्तु उसके लिये कुछ समय लगेगा। दूसरे हमारे पास संसाधन भी नहीं हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]
[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

बेकारी बीमा के प्रश्न को पहले भी उठाया गया था। इस बारे में हमने एक योजना बनाई है। इसे श्रम सम्मेलन के समक्ष रखा जायेगा। यदि इसका अनुमोदन कर दिया गया तो इसे कार्यान्वित किया जायेगा। पूरे देश के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना बनाना और लागू करना बहुत कठिन काम होगा। हमें यह कई प्रक्रमों में पूरा करना होगा। इंग्लैंड में ऐसा ही किया गया था।

श्री इलियास ने आपत्ति की है छः प्रतिनिधियों में से किसी को भी बाहर से न लिया जाये। यह कोई नई बात नहीं की जा रही है। मूल विधेयक में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। सभी प्रतिनिधि एक ही संगठन के नहीं होते। मज़दूरों के भी तो बहुत से संघ हैं।

श्री दांडेकर ने कहा है कि सरकार बार बार विधान बनाती है। और मजूरी बोर्ड भी इन प्रश्नों पर विचार कर रहा है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मजूरी बोर्ड 1964 में नियुक्त किया गया था। अभी मालूम नहीं उसकी रिपोर्ट कब आये। फिर उस पर निर्णय करने में समय लगेगा। इस प्रकार 3 या 4 वर्ष लग जायेंगे। अतः यह विधेयक आवश्यक है। हां, यदि आवश्यकता हुई तो हम संशोधन करने वाला कोई विधेयक भी ला सकते हैं।

बोनस के बारे में स्थिति यह है कि यह उत्पादन पर निर्भर नहीं करता और न यह प्रोत्साहन के रूप में ही दिया जाता है। यह तो केवल उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये है। यदि कोयला खान मंजूरी बोर्ड ने इस बारे में परिवर्तनों का सुझाव दिया तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। और यदि कानून में संशोधन की आवश्यकता हुई तो वह भी किया जायगा।

बकाया वसूल करने के लिए नियोजकों ने जो कुछ कर्मचारियों से वसूल किया वह उन्होंने जमा नहीं कराया। काफी बकाया उनकी ओर निकलता है। कई नियोजक सचमुच बहुत ही बुरे हैं और वे

[श्री जगन्नाथ राव]

कानून के अनुसार नहीं चल रहे। इस दिशा में जून 1965 तक 543 मुकदमें दायर हो चुके थे। मामलों की संख्या 788 और इस सब के लिए 1002 करोड़ रुपये का बकाया रहता है। इस लिए हम संग्रह के कार्य को तीव्र कर रहे है और इस संशोधन विधेयक द्वारा सजाओं की व्यवस्था भी करेंगे। जो लोग दोषी है, उनसे हमें कोई सहानुभूति नहीं है। मैंने तो विभाग का चार्ज सम्भालते ही राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों को इस बारे में लिखना आरम्भ कर दिया था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अकेले कानपुर में 5 उद्योग पतियों से हमने 30 लाख इस भविष्य निधि के अन्तर्गत वसूल करना है। मैंने कड़े कदम इस दिशा में उठाये है। इससे हमने राशि शीघ्र ही वसूल की है।

विलम्बित कोष के बारे में मैं विचार व्यक्त कर चुका हूं। कल कुछ माननीय सदस्यों ने अप्रभावशाली कोषों का उल्लेख किया था। कोयला उद्योगों के कार्यकर्ता काफी सक्रिय है और कई बार वे अपनी पुरानी सदस्यता की संख्या ही नहीं बताते और एक खान से दूसरी खान में नौकरी पर चले जाते है। इन अप्रभावशाली कोषों को नियन्त्रित करने के लिए कुछ पग उठाये गये है। सवेतन प्रशिक्षार्थी और सीखयो और अध्यापकों को सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति की गयी थी। मेरे विचार में उन्हें भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए।

गैर सरकारी खननों में प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य एक रूप नहीं है। कई एक स्थानों पर शिक्षकों को भी भविष्य निधि के अन्तर्गत लिया गया था। अतः मेरा कहना है कि सभी प्रकार के कर्मचारियों को जो कि खनन में किसी भी रूप में काम करते है, उन्हें इसके अन्तर्गत ले लेने में कोई गम्भीर आपत्ति नहीं हो सकती। कर्मचारियों को जो कुछ मालिकों से मिलना चाहिए वे मिलता नहीं है। इस तरह कर्मचारियों को बीमार पडने की हालत में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि डाक्टरी सहायता तो कर्मचारियों को खनन की ओर से प्राप्त होगा। उसके लिए उन्हें कुछ नहीं देना होता। कर्मचारियों को ऋण लेने की सुविधाये भी खनन में प्राप्त होगी। घर बनाने के लिये भी वे उपभोक्ता सहकारिताओं द्वारा ऋण ले सकते है। उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। वैसे कुछ ऐसे हालत पैदा हो जाते है जिन का प्रशासन का कोई बस नहीं होता और हिसाब किताब नियमित नहीं हो पाते।

प्रशासन का खर्चा भी बढ़ रहा है। कर्मचारियों को पदोन्नतियां तथा वेतनवृद्धियां दी गयी है। इमारतें बनाई गयी है और क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये है। अधिकारियों को योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अधिक वेतन नहीं दिया जाता। यदि विस्तार करना हो तो अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। इस बात पर भी आपत्ति की गयी है कि जो लोग स्वामित्व लेते है उन्हें उसे 'नियोजक' की परिभाषा के अन्तर्गत क्यों नहीं लाया गया। मेरा निवेदन यह है कि जो लोग स्वामित्व लेते है वे बड़े भूस्वामी की स्थिति में आते है। स्थिति स्पष्टतः यह है कि जो व्यक्ति स्वयं खान चलाता है अथवा ठेकेदार द्वारा काम करवाता है 'नियोजक' की परिभाषा के अन्तर्गत आ सकता है, न कि वह व्यक्ति जो कि खान नहीं चलाता है। यह जो परिभाषा की गयी है, यह खान अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार ही है।

मैंने बहुत सी बातों का उत्तर दे दिया है। ठेकेदारों के पास करने वाले ठेके के श्रमिकों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अधीक्षण कर्मचारियों को सावधान रहना होगा जिससे ठेकेदार श्रमिकों को वर्ष के 240 दिन काम करने से पूर्व न निकाल सकें। मैं इस बात से सहमत हूं कि ठेकेदारों को शरारत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कोयला खान भविष्य निधि तथा अधिलाभांश योजनायें अधिनियम 1948 में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे

खंड 2 (खंड 2 में संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर (गौंडा) : मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3 तथा 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

संशोधन संख्या 2 का सम्बन्ध ठेकेदारों द्वारा लगाये गये मजदूरों की संख्या के बारे में है । इसके सम्बन्ध में जो भाषा है वह स्पष्ट नहीं है, अत: संशोधन किया जाना चाहिये । इसके बाद मेरा दूसरा संशोधन यह है कि कर्मचारी की भाषा से 'शिक्षक' शब्द को निकाल दिया जाय, अर्थात यह परिवर्तन कोयला खान भविष्य निधि योजना की दृष्टि से किया जाय । अन्य संशोधन जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रशिक्षार्थी सम्बन्धी है । प्रशिक्षार्थियों को इस लाभ से क्यों वंचित किया जाय । काम की शर्तों और मुआवजे के बारे में इन्हें उपलब्ध लाभों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए ।

Shri Balmiki : I am waiting to have my amendment.

श्री जगन्नाथ राव : मैंने माननीय सदस्य का भाषण सुना है । हम उनका संशोधन स्वीकार कर लेंगे ।] इसके लिए भाषण की कोई आवश्यकता नहीं ।

Shri Balmiki : I am happy that the Hon. Minister has regard for the principle of classless society. Nobody Should be regarded inferior because of his Caste. This word Sweeper was coined by the Britishers. It should be 'sanitary worker'. It is a happy sign that this Caste System and Caste consideration is gradually going to dying. I hope that my amendment will be accepted. I beg to move :

(पृष्ठ 3 पंक्ति 1)

"Sweeper" ["भंगी"] के स्थान पर "Sanitary worker" ["सफाई कर्मचारी"] रखा जाय । (7)

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मेरी आपत्ति यह है कि माननीय सदस्य वर्णाश्रम धर्म पर कटाक्ष कर रहे हैं ।

Shri Balmiki : I have learnt much from Sikh Gurus.

श्री जगन्नाथ राव : श्री दांडेकर के संशोधन के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उसमें भाव का कोई अन्तर नहीं है, केवल भाषा का ही अन्तर है । अत: इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । शिक्षकों को भी सुविधा दी गयी है । ये ऐसे शिक्षक है जो कि खानों द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाते हैं । यह प्राय: प्राइमरी स्कूल शिक्षक है । मेरे विचार में शिक्षकों के हित की ही बात है कि यह शब्द वहां बना रहे । मेरा निवेदन यह है कि जहां तक 'or through' (अथवा मार्फत) शब्दों का खंड 2 में से निकाल देने के सवाल का सम्बन्ध है । इससे उन मामलों को शामिल करने का मतलब यह है कि यह कहना सम्भव नहीं है कि ठेकेदार ने स्वयं किसी व्यक्ति नियुक्त किया है । जैसा कि मैंने कहा, प्रारूप के तैयार करने का ढंग है, इस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए । इसके बाद अध्यापक वाली बात आती है । जैसा कि सब को मालूम है कि अध्यापकों को सब से कम वेतन मिलता है और यह उचित ही है कि उन्हें भविष्य निधि का लाभ प्राप्त हो ।

[श्री जगन्नाथ राव]

इसी प्रकार का मामला शिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षणाधीन व्यक्ति के बारे में है। इन लोगों को भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाभ ही होगा। भंगी (sweeper) के स्थान पर "सफाई कर्मचारी" (sanitary worker) शब्दों को रखने वाला संशोधन जो श्री वाल्मीकी जी ने प्रस्तुत किया है, वह हमें स्वीकार है। इसके लिए हिन्दी में 'सफाईवाला' शब्द उपयुक्त होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 3 और 4 मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendments Nos. 2, 3 and 4 were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वाल्मीकी का संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 1

"Sweeper" ["भंगी"] के स्थान पर "Sanitary worker" ["सफाई कर्मचारी"] रखा जाय। (7)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 2, as amended was added to the Bill.*

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड दिये जाये।/*Clauses 3 and 4 stand part of the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 5 को लेंगे।

श्री शिवचरण माथुर (भीलवाड़ा) : मेरा संशोधन संख्या 1 बहुत ही सरल है। जो भी योजनायें बने उन्हें संसद का सत्र होने पर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। और संसद की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

श्री जगन्नाथ राव : इस स्तर पर यह संशोधन स्वीकार करना कठिन है, खंड 6 में इसे स्वीकार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य उसे खंड 6 के लिए प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : हां जी, मैं खंड 5 के लिए इसे प्रस्ताव नहीं कर रहा।

अध्यक्ष महोदय : अतः प्रश्न यह है :—

"खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खंड 5 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause 5 was added to the Bill.*

खंड 6 (नयी धारा "7क" का जोड़ा जाना।)

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 6 पर आते हैं। इस पर श्री शिवचरण माथुर का संशोधन संख्या 1 है ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं इसे स्वीकार करता हूँ ।

संशोधन किया गया । /*Amendment made.*

पृष्ठ 6 पंक्ति 32 में निम्नलिखित रखा दिया जाय ।

"7A, Every scheme made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in Session for a total period of thirty days which may be comprised in one Session or in two successive sessions and if, before the expiry of the Session in which it is laid down or the session immediately following, both Houses agree in making modification in the scheme or both Houses agree that the scheme should not be made, the scheme shall therefore have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Scheme".

["इस अधिनियम के अन्तर्गत बनायी जाने वाली प्रत्येक योजना को यथा सम्भव समय के बाद यदि संसद का सत्र चल रहा हो तो दोनो सदनों में 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए । यह एक सत्र में भी किया जा सकता है और दो निरन्तर सत्रों में भी । यदि इसमें दोनों सदन कोई तबदीली करना स्वीकार करे, तो उस योजना को उस संशोधित रूप में किया जायेगा । यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो उसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा । उस तबदीली का प्रभाव उस योजना के अन्तर्गत उससे पूर्व किये हुए कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।"] (1)

[श्री शिव चरण माथुर]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

खंड 6, संशोधित रूप मे, विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 6, as amended, was added to the Bill.*

खंड 7, 8 और 9 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clauses 7, 8 and 9 were added to the Bill.*

खंड 10 (10ख—10च तक नई धाराओं का जोड़ा जाना)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा कहना है कि जो परन्तुक लगभग सभी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियमों में है, उसे यहां भी लिया जाना चाहिए ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोंडा) : मेरे विचार में श्री दांडेकर ठीक ही कहते है, परन्तुक स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ राव : मेरा मत यह है कि इस परन्तुक के बिना काम चल सकता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत] हुआ ।/
Amendment No. 6 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 10 was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 11 से 15 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 11 से 15 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 11 to 15 were added to the Bill.*

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।/*The motion was adopted.*

इलायची विधेयक
CARDAMOM BILL

अध्यक्ष महोदय : सभा अब इलायची विधेयक पर चर्चा करेगी ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि संघ के नियंत्रण के अधीन इलायची उद्योग के विकास के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इलायची मुख्यतः केरल, मैसूर और मद्रास के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। अभी इसका प्रतिवर्ष 3,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है जिसमें से 65 से 70 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है और इस निर्यात से लगभग 3 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है। अतः मैं यह कह सकता हूं कि यदि इलायची उगाने वालों को इसके पौदों का विकास करने में सहायता देने और इस का विपणण तथा निर्यात करने के लिये उचित प्रबन्ध किये जाये तो इस उद्योग से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

कई वर्षों से इलायची के निर्यात मूल्यों में काफी कमी बेशी होती रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि इस उद्योग में लगे हुए छोटे छोटे उत्पादकों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह इसको जमा कर के रख सकें और मूल्य बढ़ने पर बेच सकें। कई वर्षों से परिश्रम के अनुरूप मूल्य न मिलने के परिणाम स्वरूप उत्पादक इस उद्योग का पूरी तरह से विकास नहीं कर सके हैं। इन समस्याओं को सुलझाने तथा उत्पादकों को अपने उत्पाद पर उचित लाभ पहुचाने के लिये एक बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये ताकि इस उद्योग का पूरा विकास किया जा सके।

इन समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार ने जनवरी, 1963 में कुछ अन्तिम उपाय किये थे। किस्म नियंत्रण प्रणाली और लदान से पूर्व निरीक्षण करना आरम्भ किया गया था तथा निर्यात किये जाने वाले माल पर एक प्रमाण चिन्ह लगाने के लिये नियम बनाये गये थे। काफी बोर्ड के अध्यक्ष को इलायची विकास तथा विपणन सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित किया गया था और फरवरी में वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन बंगलौर में इलायची विकास और विपणन निदेशालय स्थापित किया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : काफी बोर्ड के अध्यक्ष को इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्देशित करने की क्या तुक है ? उसका इलायची से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सें० वें० रामस्वामी : क्योंकि यह एक सम्बद्ध विषय है और ऐसा करना अर्थ व्यवस्था के भी हित में है। इसके अतिरिक्त इलायची वहीं उगाई जाती है जहां काफी पैदा होती है।

इलायची के मूल्यों को स्थिर करने, अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने तथा उत्पादकों और विदेशी खरीदारों में अधिक विश्वास पैदा करने के लिये मई, 1963 में समिति की सलाह से इलायची को निर्यात नियंत्रण के अन्तर्गत लाया गया था। इस के अतिरिक्त निदेशालक को निदेश दिये गये थे कि जब मूल्य अलाभकारी स्तर से भी नीचे गिरने लगें तो वह इलायची की वसूली करनी आरम्भ कर दे। इन उपायों से उत्पादकों को राहत मिली है। मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने में सहायता मिली है और विदेशी मुद्रा की आय में भी वृद्धि हुई है। 1963-64 में 3.20 करोड़ रूपये की 2306 मीट्रिक टन इलायची निर्यात की गई जब कि 1962-63 में 2.67 करोड़ रुपये की 2259 मीट्रिक टन निर्यात की गई थी। 1964-65 में 2.84 करोड़ रूपये की 1760 टन इलायची निर्यात की गई थी। अतः यह आवश्यक हो गया है कि इलायची उद्योग के विकास और विपणन सम्बन्धी पहलुओं की देखभाल करने के लिये कुछ दीर्घकालीन उपाय करने की आवश्यकता है। निर्यात सम्भाव्यता में वृद्धि करने के लिये उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है।

इलायची विकास और विपणन सलाहकार समिति ने, जिसको फरवरी, 1963 में स्थापित किया गया था, सिफारिश की है कि एक संविहित बोर्ड की तुरन्त स्थापना की जाये। इसके अतिरिक्त उत्पादकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सहानुभूति से विचार करने के पश्चात सरकार भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इलायची बोर्ड नामक एक संविहित बोर्ड की स्थापना की जाये। प्रस्तावित बोर्ड में उत्पादकों, निर्यातकों तथा उन राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि होंगे जिनमें इलायची उगाई जाती है। बोर्ड को पर्याप्त शक्तियां देने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि वह इस उद्योग के विकास के लिये उपयुक्त उपाय कर सके। बोर्ड को यह भी शक्ति होगी कि वह मूल्य-समर्थक उपाय करे, उत्पादकों को किराया-

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

खरीद के आधार पर मशीनरी तथा उपकरणों का सम्भरण करे और उर्वरकों तथा कीटनाशि दवाइयों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करे ।

प्रस्तावित बोर्ड पर होने वाले खर्च के कुछ भाग के लिये विधेयक में, इस समय लिये जा रहे उपकर के अतिरिक्त निर्यात की जाने वाली इलायची पर यथामूल्य 2 प्रतिशत से अधिक उपकर लगाने की व्यवस्था की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री वारियर (त्रिचूर) : श्रीमन्, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

उत्पादकों के अतिरिक्त इलायची का व्यापार करने वालों के बीच हानिकारक प्रतियोगिता है । यदि सरकार व्यापारियों के बीच इस प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिये कोई मार्ग निकाल ले तो इससे उत्पादकों को बहुत लाभ होगा । दूसरी बात यह है कि निर्यात भी ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जिनका इलायची के उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह लोग निर्यात से होने वाला सारा लाभ बटोर रहे हैं जब कि उत्पादकों को खेती के लिये अन्य साधन जुटाने पड़ते हैं । वास्तव में निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु आय कम हो गई है । जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है 1960-61 में 46,000 मीट्रिक टन की तुलना में 1962-63 में 49,000 मीट्रिक टन गर्म मिसाला निर्यात किया गया परन्तु निर्यात से आय 16.5 करोड़ रुपये से कम होकर 13.4 करोड़ रूपये हुई । इसका कारण विश्व बाज़ार में प्रतियोगिता है । विशेष रूप से ऐसे दो ही देश हैं जो इस वस्तु का निर्यात कर रहे हैं और वह हैं श्री लंका और इण्डोनेशिया । हमने इस बात की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया है कि हम यह वस्तु कितनी मात्रा में निर्यात कर सकते हैं और इससे कितनी आय हो सकती है क्योंकि हमने नई मण्डियों की खोज ही नहीं की है ।

सरकार को कोयम्बटूर में अनुसन्धान केन्द्र की गतिविधियों में तेज़ी लानी चाहिये और यह देखना चाहिये कि जब भी नये पौदे लगाये जायें तो उत्पादकों को बढ़िया किस्म के बीज दिये जायें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*)]

उत्पादन के सम्बन्ध में पहली समस्या इलायची के उत्पादन के लिये भूमि का न होना है । इसका उत्पादन 1000 फुट से 4000 फुट की ऊंचाई के बीच किया जाता है जोकि सरकारी भूमि है । इस पर अधिकांश लोगों ने अवैध रूपसे कब्ज़ा कर रखा है क्योंकि उन लोगों के पास खाद्यान्न तथा अन्य चीज़ों के उगाने के लिये जो भूमि है उस में इलायची नहीं उगाई जा सकती है और यदि वह उस में अनाज उगाते हैं तो उनको इतना लाभ नहीं होता है जितना कि इलायची उगाने से होता है । अतः उन्हें इतनी ऊंचाई पर इलायची की खेती करनी पड़ती है । दूसरी ओर राज्य सरकार वनरोपण की बात सोच रही है । स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिये उन लोगों को उस भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा । यदि सरकार इस समस्या को उचित ढंग से नहीं सुलझायेगी तो यह सारी भूमि वन क्षेत्र में परिवर्तित हो जायेगी और इलायची के उत्पादकों को काफी कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा परन्तु इससे इलायची के उत्पादन पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा ।

इसके अतिरिक्त जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि वहां पर दो तिहाई उत्पादक ऐसे हैं जिन के पास छोटे छोटे खेत हैं । यदि इन उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा और यदि इनको व्यापारियों से नहीं बचाया जायेगा तो इससे उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होगा । अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सहकारी समितियों को स्थापित करने की बजाये उन क्षेत्रों में सरकार को क्रय

डिपो खोलने चाहिये और उन लोगों को उचित मूल्य दिया जाना चाहिये। बिचौलिये को बीच में से निकाल दिया जाना चाहिये। सरकार को स्वयं इलायची इकटठी करके इसका निर्यात करना चाहिये और जो भी मूल्य सरकार को मिले वही उत्पादकों को दिये जाने चाहिये। सरकार को इस पर पेशगी धन देने का भी प्रबन्ध करना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सैंकड़ों एकड़ भूमि पट्टेधारियों के पास बेकार पड़ी हुई है। उदाहरणार्थ एक ब्रिटिश कम्पनी, कानन देवन हिल प्रोड्यूस कम्पनी के पास कुल 175,000 एकड़ भूमि है जिसमें से 75,000 एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिये और यह भूमि इलायची के उत्पादकों को दी जानी चाहिये ताकि उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि हो सके।

इन बातों के अतिरिक्त मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को गर्म मसाले के उत्पादन तथा विपणन के बारे में बंगलौर में हुई विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशों पर अधिक गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ अध्ययन दलों को विदेशों में भेजा जाना चाहिये। इलायची वाले क्षेत्रों में प्रदर्शन फार्म जिनका खर्चा केन्द्रीय सरकार को जुटाना चाहिये, स्थापित किये जाने चाहिये जिससे खेती के नये ढंगों का पता लगाया जा सके और उत्पादकों को इन अनुभवों से लाभ हो।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : 1963 में एक इलायची विकास परामर्श समिति की स्थापना की गयी थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। काफी बोर्ड की स्थापना से उत्पादकों को काफी लाभ हुआ है। उनकी शोचनीय दशा बहुत ही समृद्ध अवस्था में बदल गयी है। यह विधेयक भी इलायची के छोटे उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए लाया गया है। हमारे देश में इलायची उद्योग बहुत ही अस्त व्यस्त दशा में है। यह उद्योग बहुत ही छोटे छोटे उत्पादकों के पास है। वे लोग धन की व्यवस्था नहीं कर सकते। इन लोगों का कोई सहकारिता आन्दोलन भी नहीं चल रहा है। ये लोग इतने साधनो वाले नहीं कि उर्वरकों का लाभ उठा सके। इन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इन्हीं सब कारणों के फलस्वरुप ही यह बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। इस के पश्चात् यह निर्णय लिया जा सकता है कि निर्यात और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाय।

यह बोर्ड तो स्थापित हो ही रहा है। अतः इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि बोर्ड में छोटे उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इलायची को इकट्ठा करने तथा उसकी कोटि निर्धारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बातों का विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया। यदि कोटि का निश्चय कर दिया जाय और विभिन्न प्रकार की इलायची का मूल्य निर्धारित हो जाय तो इसके उत्पादकों को यह जानकारी हो जायेगी कि किस विशेष प्रकार को इलायची के लिये अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है। इससे विदेशों में भी खरीदने वाले मिल सकते है। बोर्ड को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह कोटि निश्चित करने के लिए पद्धति निर्धारित कर दे।

बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां कि बेकार पड़ी भूमि पर लोग अवैध कब्जा किये हुए है। सरकार ने रबड़ की खेती के लिए वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है। सरकार बेकार पड़ी भूमि को भी लोगों को पट्टे पर देने को तैयार है। मेरा विचार यह है कि उस भूमि पर इलायची की खेती हो सकती है। इलायची बागान में सुधार के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता की जानी चाहिए। मेरा कहना है कि यदि विधेयक के उपबन्धों को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाय तो बोर्ड को वैज्ञानिक अनुसंधान करे तथा उत्पादकों को सुविधायें प्रदान करे। मुझे विश्वास है कि इससे इलायची उत्पादकों की दशा में काफी सुधार हो जायेगा। इन शब्दों से मैं इस विधेयक को स्वीकार किये जाने की सिफारिश करता हूं।

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के कारण एक बहुत बड़ी लोकप्रिय मांग पूरी की गयी है। केरल, मैसूर और मद्रास के पहाड़ी क्षेत्रों में इलायची का उत्पादन होता है। और इलायची जितनी भी देश में, पैदा होती है उसका 75 प्रतिशत निर्यात किया जाता है। शेष जो बचती है वह आन्तरिक प्रयोग के लिए होता है। प्रतिवर्ष हम 3000 टन का निर्यात करते है और इससे प्राप्त होने वाला विदेशी विनिमय 3 करोड से अधिक है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा रोजगार भी काफी लोगों को मिल जाता है। इस कारण इस उद्योग को समर्थन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस विधेयक के पारित होने से एक इलायची बोर्ड का निर्माण हो जायेगा और इस उद्योग को विकसित करने की दृष्टि से प्रोत्साहन दिया जायेगा।

मेरा निवेदन यह है कि प्रस्तुत विधेयक केवल इलायची उत्पादकों के हितों की ही रक्षा नहीं करेगा प्रत्युत यह इलायची उद्योग के विकास को भी सुनिश्चित करेगा। इलायची उत्पादकों द्वारा एक संविहित बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता बहुत लम्बे अर्से से महसूस की जा रही है। बात इस प्रकार से भी है कि विदेशी मद्रा अर्जित करने के अतिरिक्त इलायची उद्योग में मैदानी क्षेत्रों के लिए एक रोजगार का अच्छा साधन है। इसका कारण यह है कि खेती कृषि फसलों के मौसम में नहीं की जाती है और उन दिनों में कृषि मजदूर मैदानी क्षेत्रों में बेरोजगार होते हैं।

इलायची बागान पांच से लेकर सात वर्ष की अवधि में फसल देते हैं। इस अवधि के दौरान बागान तथा उसके संधारण के लिए बहुत पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादनों के लिए साधारण ऋण प्रणाली द्वारा वित्त व्यवस्था करना कठिण हो रहा है। इसके अतिरिक्त, फसल दवी आपत्तियों पर निर्भर करती है और रोगों से भी प्रभावित होती है। इसक अतिरिक्त फसल दवी आपत्तियों पर निर्भर करती है। इस सबसे उत्पादकों पर वित्तीय तथा व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मेरा विचार यह है कि इस विधेयक के पारित हो जाने से उत्पादकों के लिए सस्ते ऋणों की व्यवस्था हो जायेगी। संग्रहण तथा किस्म निर्धारण से उत्पादकों को वित्त प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। इससे ऋणदाताओं में भी उन्हें ऋण देने के लिए विश्वास उत्पन्न होगा। इससे किसी विशेष देश के लिए अपेक्षित विशेष किस्मों की पहचान भी सम्भव हो सकेगी। इलायची उत्पादकों को कोठागार तथा परिवहन की उचित सुविधाओं की भी आवश्यकता है। उससे उन्हें अन्तर्राष्ट्रिय बाजार में प्रतियोगता करने के लिए भी सहायता मिलेगी।

विधेयक में इलायची की बिक्री तथा इसके निर्यात को नियमित करने के लिए भी व्यवस्था की गयी है। मेरा विचार है कि सारे उत्पादन को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस देश में किस कोटि की इलायची चाहिए। इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि 1964 के दौरान केवल मंगलौर पत्तान पर से 288 टन का निर्यात किया गया। यह युरोपिय देशों को भेजी गयी। इन देशों में सफेद इलायची की अधिक मांग है। पूल करने अथवा कोटि इत्यादि के बारे में मेरा संशोधन मंत्री महोदय को स्वीकार कर लेना चाहिए।

इलायची उत्पादकों को भंडारगार की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए तथा परिवहन के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सस्ता परिवहन उपलब्ध हो जाय तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पर इसे काफी अच्छ मुकाबलें से बेचा जा सकता है। इस उद्योग के लिए अनुसंधान करने के लिए भी कोई मशीनरी बनाई जानी चाहिए। यह देखना चाहिए कि प्रति एकड़ उत्पन्न बढ़े। इस दिशा में जो काम आजकल हो रहा है वह काफी नहीं है। मद्रास राज्य में इलायची के उत्पादन क्षेत्र के विस्तार की भी सम्भावना है। मेरा कहना है कि प्रति एकड़ फसल उर्वरकों के उचित प्रयोग तथा गवेषणा द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्हें इस उद्योग को बढाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस दृष्टि से इस विधेयक में उपयुक्त उपबन्धों की व्यवस्था करनी चाहिए। इकट्ठा करने गौर अपेक्षित गवेषणा करने तथा वित्त की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यद्यपि यह बहुत ही देरी से आ रहा है। इस उद्योग के बारे में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दोष मंत्री महोदय ने भी बताए हैं, परन्तु मुझे उन बातों में नहीं जाना है। गत कुछ वर्षों में रोगों, कीडों तथा अन्य बातों से इलायची के उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है। इस तरह के उदाहरण मौजूद है कि उत्पादकों ने बागान सदा के लिए छोड़ दिये हैं। आशा की जाती है कि उद्योग उन्नति के लिए उसी प्रकार काम करेगी जैसे कि रबड़ बोर्ड करता है।

इस विषय में यह महत्वपूर्ण बात है कि इलायची की कृषि वनों में होती है। यदि हमने वन सारे साफ कर दिये तो यह उत्पादन नहीं हो सकेगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार को पैदा होने वाली समूची इलायची खरीद कर इलायची बाजार में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्योग के सामने जो भी समस्यायें हैं उन पर ध्यान देने के लिए बोर्ड स्थापित किया जा रहा है।

इलायची की कोटि को बढिया बनाने तथा प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अपेक्षित कार्यवाही करना बड़ा ही जरूरी है। मेरा यह भी आग्रह है कि खेती के लिए नये आधुनिक ढंगों को अपनाया जाना चाहिए और इसके लिए अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए। इलायची की बढिया उत्पादन वाली किस्मों के आरोपण का कार्य शुरु किया जाना चाहिए। यदि वन विभाग वनों ो इलायची उत्पादकों से ले लेना चाहता है तो यह बहुत बुरी बात है। उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि बोर्ड इन मामलों की ओर ध्यान देगा।

इस उद्योग में जाने वाले लोग वास्तव में ही बड़ा उपक्रमी तथा साहसी है। उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इलायचियों वाले क्षत्र में सांप इत्यादि बहुत होते हैं। जंगली हाथियों का भी खतरा होता है। मैंने इन क्षेत्रों में जाकर जंगली हाथियों को देखा है। मेरा निवेदन यह है कि इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस बारे में राज्य सरकारों से कहना चाहिए ताकि वे इन क्षेत्रों का विस्तार करे। लोगों को इलायची क्षेत्रों से निकालना नहीं चाहिए। उत्पादकों को कर्जे भी दिये जाने चाहिए। केरल में 1960 में जो इस बारे में आदेश थे उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I welcome this Bill. Today there is a need to produce cardamom. The cardamom producers should be given all the required help. The Cardamom is sent to the foreign countries. The middle man is making huge profits out of that. These middle men should be removed. The whole profit should go to the producers. To look after the difficulties of this Industry, Government should set up a board. We shall have to see which are those countries producing this Cardamom. It should be examined what are the factors, which are responsible for the better production of cardamom in certain countries. Why our quality is inferior, should be fully examined.

There are three varieties of Cardamom, black, white and green. We send our 65 to 70 per cent production to foreign countries. No doubt we can earn foreign exchange like this, but the local people should also make use of this production. For that the production should be increased. Many people have land on lease, they are not making any use of it. The land should be given to those who are producing Cardamom. Cardamom is produced in three States i.e., Madras, Mysore and Kerala. Those worms which are responsible for the damage to this production, some thing should be invented to kill them.

[Shri Hukam Chand Kachhavaiya]

I also want that those workers who are working in this industry should be given a fair deal. They are not getting adequate wages. Also we should create markets in the world for this item, by improving its quality. In the dense jungles, the land should be given to the cultivator to have this cultivation of Cardamom.

I congratulate the Minister for putting forward this Bill. We should try to produce as much Cardamom as it is possible.

डा० म० श्री० अणे (नागपुर) : मुझे हर्ष है कि इस विधेयक पर कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। बहुत से महानुभावों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा मत तो यह है कि इस विधेयक का समर्थन करने के महत्वपूर्ण आर्थिक आधारों के अतिरिक्त सांस्कृतिक आधार भी है। कलात्मक कारण भी है। मेरा मत यह है कि इलायची के उत्पादन से हमारा सांस्कृतिक जीवन भी अधिक सुखी हो जायेगा। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु मेरा निवेदन है कि बोर्डों का पिछला इतिहास बहुत बढ़िया नहीं है। अतः मुझे यह निवेदन करना है कि केन्द्रीय सरकार को इलायची उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए। हमें क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि भूमि किस कोटि की है। मिट्टी की उर्वरता का पता करके यह फैसला करना चाहिए कि इस पदार्थ की खेती का विकास किस ढंग से किया जाय।

यदि इस कार्य के विकास में वृद्धि करना तथा इसको अधिक से अधिक भूमि पर उगाना सम्भव है तो इस कार्य को बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए। फसल को कीटों द्वारा नाश होने से बचाने के लिए अनुसंधान कार्य भी बड़ा जरूरी है। मेरा विचार है कि यह भी अनुसंधान होना चाहिए कि पौदे के जीवित रहने तक, उससे और अधिक अच्छी फसल प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके लिए और भी सावधानियां आवश्यक हैं। अतः उन्हें तकावी ऋण आदि के रूप में अथवा अन्य किसी तरह धन उपलब्ध करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

कोटि पर भी नियन्त्रण किया जाना चाहिए। उत्पादन की कोटि निर्धारित की जानी चाहिए। एक विक्रय तथा संभरण अभिकरण होना चाहिए जिसे देश से बाहर इलायची का निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि सारा उत्पादन ही निर्यात न कर दिया जाय। कुछ भाग देश के भीतर वितरण करने के लिए रखना चाहिए। मेरा यह भी विचार है कि इलायची की सुगन्ध को किसी वैज्ञानिक ढंग से अलग निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सुगन्ध हमारे निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण मद हो सकती है। इसका काफी अच्छा बाजार हमें संसार भर में मिल सकता है। इन शब्दोंसे मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सिद्ध नंजाप्पा (हसन) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। काफी देर के बाद इस विधेयक को सरकार लाई है। इस तरह के बोर्ड इस से पूर्व बहुत मदों के लिए स्थापित किये गये थे। परन्तु इस की ओर सरकार उपेक्षित ही रही है। अच्छा है अब सरकार को इसका महत्व महसूस हुआ है। इस मद के लिए विदेशों में हमारा एकाधिकार है, अतः इस उद्योग का विकास करना बड़ा ही जरूरी है।

कहा गया है कि उत्पादकों को बीचवाले लोगों से काफी हानि हो रही है। सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए उन्हें वित्तीय अनुदान देना चाहिए। बोर्ड के कार्यों को व्यापक रूप दिया जाना चाहिए। संचित कर लेने से मेरे विचार में उत्पादकों को अभीष्ट लाभ नहीं होगा।

सरकार द्वारा नियत किये गये न्यूनतम लाभदायक मूल्य उत्पादकों के लिए फायदे वाले सिद्ध नहीं होते। 1963-64 के मौसम में यह 15 रुपये से 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक नियत किये गये थे परन्तु अन्ततः उनको 6 रुपये से 13 रुपये तक ही मिले। सरकार को इकट्ठा करने सम्बन्धी कार्यवाही करनी चाहिए।

इलायची की खेती के बारे में गवेषणा करने के लिए और सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए। हमें इलायची की किस्म का सुधार करना चाहिए।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Sir, I support the formation of this Board. I feel that more representation should be given to farmers on this Board. There would be three members of Parliament on the Board. There would be only one member representing farmers. I suggest that at least half the members of the Board should be representatives of farmers. I am not against nominations by the Government.

We should try to cultivate different varieties in different areas. Cardamom can be cultivated in other areas than in South India. Soil of various parts of our country should be tested for sowing those things which are not sown.

The annual production of cardamom of our country is 3,000 metric tons and about 60 to 70 per cent of this quantity is exported. It fetches about three crores of rupees in foreign exchange.

We should survey other areas of our country for cultivation of cardamom. At present its cultivation is limited to three states of Madras, Mysore and Kerala.

All powers have been vested in Central Government in this Bill. There seems to be no justification for forming this Board, if all powers are to remain with the Central Government. These powers should be given to the Board and it should be authorised to allocate money for giving aid etc. to farmers.

श्री बालकृष्णन (कोइलपट्टी) : मेरे क्षेत्र में इलायची की बहुत खेती होती है। उस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी ऊसर भूमि है जिसे इलायची की खेती के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भूमि भूमिहीन ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो यह कार्य करते हैं। वहां पर निर्धन लोगों की सहकारी समितियां बना देनी चाहिए। और वे समितियां इलायची उपजाने का कार्य करें। इस बोर्ड की कार्य अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन आदि का कार्य केवल एक ही संस्था—बोर्ड या राज्य सरकार—के हाथ में होना चाहिए।

Shri Balmiki (Khurja) : I extend my whole hearted support to this Bill. Cardamom is not grown in U. P. I have visited southern states where it is grown. It is liked by all in our country—and is used in 'Pan'. During my visit to kerala and Madras I was fascinated by natural beauty there. I have met poor farmers in those areas.

We are pledged to a Socialistic pattern of society but we find that landless labour is still being exploited. Let the fruits of labour be equitably shared among all. Special efforts are required for the uplift of these poor labourers.

We want an increase in the production of Cardamom for the sake of earning more and more foreign exchange which is acutely needed by the country and that is why special effort is needed for the betterment of labour working on it. For this, we will have to do away with the middlemen who do nothing but to exploit them to the maximum.

With these words, I strongly support this Bill.

श्री म० प० स्वामी (टंकासी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इलायची उत्पादक काफी समय से यह बोर्ड बनाये जाने की मांग कर रहे हैं और मुझे हर्ष है कि यह विधेयक इसकी व्यवस्था करता है ।

इस समय हमें इलायची के निर्यात से 3 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है इसलिए हमें चाहिए कि और अधिक क्षेत्रों में इसका उत्पादन आरम्भ करें और उन सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवायें जहां यह उगाई जा सकती हो ।

मुझे विधेयक में एक त्रुटि दिखाई दी, अर्थात् केरवा बोर्ड की भान्ति यहां इलायची इकट्ठी करने और उसका वर्गीकरण करने की व्यवस्था नहीं है । आशा है खण्डवार विचार करते समय सरकार इस भूल का सुधार करेगी क्योंकि बढ़िया किस्म की इलायची उत्पादकों को इससे प्रोत्साहन मिलता है । इसके निर्यात में सरकार को कडा किस्म नियंत्रण रखना चाहिए, हर प्रकार के के अपमिश्रण को रोकना चाहिए । मद्रास राज्य सरकार द्वारा पहले सिंगमपट्टी के स्थान पर एक अनुसंधान केन्द्र चल रहा था जिसे 6 वर्ष पूर्व वहां से हटा लिया गया है । आशा है अब अन्य केन्द्र स्थापित करने के साथ साथ वहां भी यह केन्द्र पुन: स्थापित किया जाएगा क्योंकि उस क्षेत्र में इलायची बहुत बड़ी मात्रा में उगायी जाती है ।

जैसा श्री बालकृष्ण ने पहले कहा, आशा है भूमिहीन श्रमिकों को इलायची बोने के लिए सहकारितायें स्थापित करके प्रोत्साहन दिया जाएगा । बर्मा से आने वाले विस्थापितों को इलायची का उत्पादन करने वालो क्षेत्रों में बसाया जा सकता है ।

आशा है कि अब इलायची बोने वालो को भी अनुसूचित बैंको द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी क्योंकि पहले यह फसल अन्य फसलों की भान्ति उस पैमाने की नहीं समझी जाती थी ।

श्री म० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु जहां यह सारे भारत पर लागू होता है वहां जम्मू और काश्मीर का नाम हटा दिया गया है—पता नहीं क्यों ?

उत्पादकों को अधिक मूल्य दिलाने के लिये इलायची इकट्ठी करने तथा इसका वर्गीकरण करना आवश्यक जान पड़ता है । आशा है यह बोर्ड स्थापित होने पर इस उद्योग को उचित वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी और उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

---

*बर्ड एण्ड कम्पनी

**BIRD AND COMPANY

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : यह चर्चा उठाने का मुख्य उद्देश्य "बर्ड एण्ड कम्पनी के बारे में सरकार द्वारा की गई जांच के पूरे ब्योरे को सभा के सम्मुख रखना है । इससे यह पता चल जाएगा कि यह कम्पनी किस प्रकार देश का शोषण करती रही है । खेद है कि इस कम्पनी के विरुद्ध ठोस प्रमाण मिलने पर भी, जिसके आधार पर और भी बहुत सी व्यापार संस्थाओं एवं व्यक्तियों की भी मिलीभगत का पता चला है, इस जांच के दौरान किसी समय अनुचित प्रभाव डाल कर और हस्तक्षेप किये जाने पर सरकार नम्र और उदार बनती दिखाई देती है । यहां तक कि सरकार हमें इसकी जानकारी भी देने की इच्छुक नहीं है और मामले की आगे जांच भी

*आधे घंटे की चर्चा ।

**Half-an-hour Discussion.

नहीं करना चाहती। और तो और जिन 17 संस्थाओं और कई बहुत से व्यक्तियों को पकड़ा गया था उनमें से केवल तीन संस्थाओं और कुछ व्यक्तियों को जुर्माने करके शेष सब को मुक्त कर दिया गया है। कहा यह गया है कि इनको सबसे कड़ा दण्ड दिया गया है परन्तु सरकार बताये कि क्या यह सच नहीं है कि यह संस्था पटसन के माल के संबंध में 10 करोड़ रुपये कम के बीजक बनाने और खनिज लोहे के 1 करोड रुपये के कम बीजक बनाने की दोषी नहीं है। यदि उन्होंने 1 करोड़ रुपये की भी हेराफेरी की हो तो भी उनपर 20 लाख रुपया हर्जाने के रूप में वसूल किया गया समझा जाना चाहिए।

यदि उन्होंने 10 करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपये का ही धोका किया हो तो उनको केवल 20 लाख रुपये का अर्थदण्ड दिया गया है, यह अधिक नहीं है जैसा कि वह लोग कहते हैं। इस सम्बन्ध में पहला यह प्रश्न उठता है कि जब उन्होने हमारे साथ इतनी अधिक विदेशी मुद्रा का धोका किया है तो उन पर किये गये अर्थदण्ड के रूप में जो हमें राशि प्राप्त होने वाली है, विशेषकर वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट के संदर्भ में क्या वह विदेशी मुद्रा के रूप में मिलेगी। दूसरी बात वह है कि इन व्यक्तियों तथा इस कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा क्यों नही चलाया गया है। डालमिया के मामले में 2 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड के साथ साथ कारावास का दण्ड भी दिया गया था हालांकि इस मामले में विदेशी मुद्रा भी अन्तर्गत नहीं थी। इस षडयंत्र में जो अन्य 17 फर्में शामिल थी उनके नाम बताये जाने चाहिये। विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त उन्होंने अपने अंशधारियों से भी धोका किया है और आयकर भी नही देते रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि कम्पनी विधि प्रशासन ने इनके विरुद्ध क्या कोई मुकदमा किया है।

सरकार ने बर्ड एण्ड कं० को टीटागढ़ कागज़ मिल के लिए मशीने खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की मंजुरी दी थी हालांकि जो मशीने खरीदी गई हैं वह लगभग 30 लाख रुपये से अधिक राशि की नही है तो इस सम्बन्ध में क्या कोई जांच की गई है कि शेष राशि का कैसे उपयोग किया गया था।

यह एक खेदजनक बात है कि जांच पूरी होने के पश्चात्, जब सरकार के पास ऐसे दस्तावैज थे जिन के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता था फिर भी मुकदमा नही चलाया गया। इस के विपरीत इस कम्पनी के वर्तमान अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक श्री प्राण प्रसाद को कुछ मंत्रियो तथा राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने दिया गया। इससे स्पष्ट है कि मामले को इस प्रकार से तोड मरोड़ कर रखा गया जिससे वास्तविक अपराधी बच जाये और जो दण्ड दिया भी जाये तो वह हल्का हो। इस देश में आज ऐसी कोई भी कम्पनी नही है जो ऐसे समाज तथा राष्ट्र विरोधी बातें न करती हो और इन में सत्ताधारी दल के सदस्यों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे कोई हाथ न हो। इसलिये जब भी कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो उसको दबा दिया जाता है। उदाहरणार्थ नागपूर के श्रीराम दुर्गा प्रसाद के बारे में, जिसका षडयंत्र बर्ड एण्ड कं० द्वारा किये गये षडयंत्र से भी गम्भीर है, इस सभा में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं परन्तु उसके विरुद्ध अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है और वह पहले की तरह अपना कार्य चला रहा है। इस सभा में यह आरोप भी निरंतर लगाया जाता रहा है कि बर्ड एण्ड कं० सरकार को प्रभावित करने के लिए मंत्रियों के कुछ सम्बन्धियों को नौकरी देती रही है चाहे वह उन कार्यों के लिए योग्य हो अथवा नहीं। वित्त मंत्री ने इस कम्पनी में लगाये गये ऐसे लोगों के नामों की एक सूची सभा पटल पर रखने का वचन दिया था परन्तु अभी तक ऐसी कोई सूची सभा पटल पर नही रखी गई है। यह सभी बाते हमें बताई जानी चाहिए ताकि देश इन बातों से अवगत हो सके कि यह बडी बडी कम्पनियां कैसे सिद्धान्तहीन तरीके से चलाई जा रही है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि जांच के दौरान बर्ड एण्ड कं० के प्रबन्धको तथा श्री बिजू पटनायक के बीच हुए पत्र व्यवहार के कुछ पत्र पकड़े गये थे, जिनका सम्बन्ध इन के बीच विदेशी मुद्रा तथा भारतीयों मुद्रा में कुछ बड़े बड़े सौदों से था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या श्री बिजू पटनायक से इस मामले के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : न्याय-निर्णयक ने इस मामले में अधिकतम दण्ड देने की सिफारिश की थी परन्तु वास्तव में ऐसा नही किया गया है क्योंकि सरकार ने महसूस किया कि यदि ऐसा किया जायेगा तो कम्पनी को अधिकांश कारोबार बन्द करना पड़ेगा; और यदि हां, तो सरकार ने बर्ड एण्ड कं० के विरुद्ध इतना उदारता पूर्ण रवैया क्यो अपनाया है तथा सरकार उन लोगों से वह जुर्माना कैसे वसूल करना चाहती है जो इस देश से बाहर चले गये हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि बर्ड एण्ड कं० के कुछ प्रबन्धक वित्त मंत्री से मिले थे और कोई प्रार्थना की थी तो इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार इस कम्पनी को वर्तमान प्रबन्धको के हाथ से अपने हाथ में लेना चाहेगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : माननीय सदस्य ने कई प्रश्न उठाय हैं जिन में से कुछ ऐसे हैं जिनका मैं उत्तर नही दे सकता हूं । इन पत्रों के बारे में हमें कोई जानकारी नही है, जोकि ऐसा प्रतीत होता है कि लिखे गये थे और जिनका अभी उल्लेख किया गया है ।

कागज़ मिल के लिए 30 लाख रुपये की खरीदी गई मशीनों के बारे में भी मेरे पास कोई जानकारी नही है अतः मैं इस मामले में छान बीन करूंगा । मैं सम्बन्धित फर्मों के नामो की एक सूची दे सकता हूं परन्तु ऐसा करने में कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयां हैं । अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये एक विनिर्णय के अनुसार ऐसी फर्मों के नाम केवल जांच पूरी हो जाने के पश्चात् ही दिये जा सकते हैं । नाम केवल उन व्यक्तियों तथा कम्पनियों के दिये जाते हैं जिनको दण्ड दिया गया हो । उन अन्य कम्पनियों तथा अन्य लोगों के, जिनका केवल उल्लेख ही किया गया हो, नाम नही दिये जाते हैं ।

दिये गये दण्ड के सम्बन्ध में यह कहना गलत है कि यह कम है । दण्ड सदा करापवंचन की राशि को ध्यान में रखकर दिया जाता है । लोह-अयास्क के सम्बंध में जिस के मामले में 13 लाख रुपये का करापवंचन किया गया है, 37 लाख रुपये का अर्थदण्ड दिया गया है । पटसन के मामले में, जिसमें 120 लाख रुपये का करापवंचन किया गया है, 128 लाख रुपये का अर्थदण्ड दिया गया है । यह अर्थदण्ड काफी भयोत्पादक तथा अधिक है । जहां तक विदेशी मुद्रा में इसे वसूल करने का प्रश्न है हम केवल इसे रुपयों में ही वसूल कर सकते हैं । इसे वसूल करने के लिए हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं और आशा है कि हम इसे वसूल कर लेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : पिल्किंग्टन से अर्थदण्ड कैसे वसूल किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : उनका उद्योग तो यहां पर है । इसी लिये इन लोगों से भी वसूल करने की युक्तियुक्त सम्भावना है । जहा तक मुकदमा चलाने का सम्बन्ध है हम इस सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं क्योंकि विधि न्यायालय में जाने से पूर्व हमारे पास निश्चयात्मक साक्ष्य होना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : निश्चयात्मक साक्ष्य क्या होता है । क्या उन्हें पहले बिना साक्ष्य के अर्थदण्ड दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : मेरी तथा श्री बनर्जी की राय किस गिनती में है । हमने यह मामला विधि सलाहकारों को सौंप दिया है और हम नहीं जानते हैं कि वह क्या सलाह देंगे । जिस राशि का हिसाब नहीं मिला था इस के बारे में कम्पनी विधि प्रशासन विचार कर रही है .... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा ?

श्री ब० रा० भगत : इसका तो हमे लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन से पता चलेगा । इस सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के मामले के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री ब० रा० भगत : हम ऐसे किसी मामले को नहीं जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त हुई। सभा कल 10 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 सितम्बर, 1965/26 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the clock on Friday, September 17, 1965/Bhadra 26, 1887 (Saka).

भा० स० मु० ना०-वि० ५-36 लोक सभा/66-२७-६-६६-600